खण्ड-214, अंक-8
बुधवार, 12 श्रावण, शक संवत् 1882
(3 अगस्त, 1960 ई0)

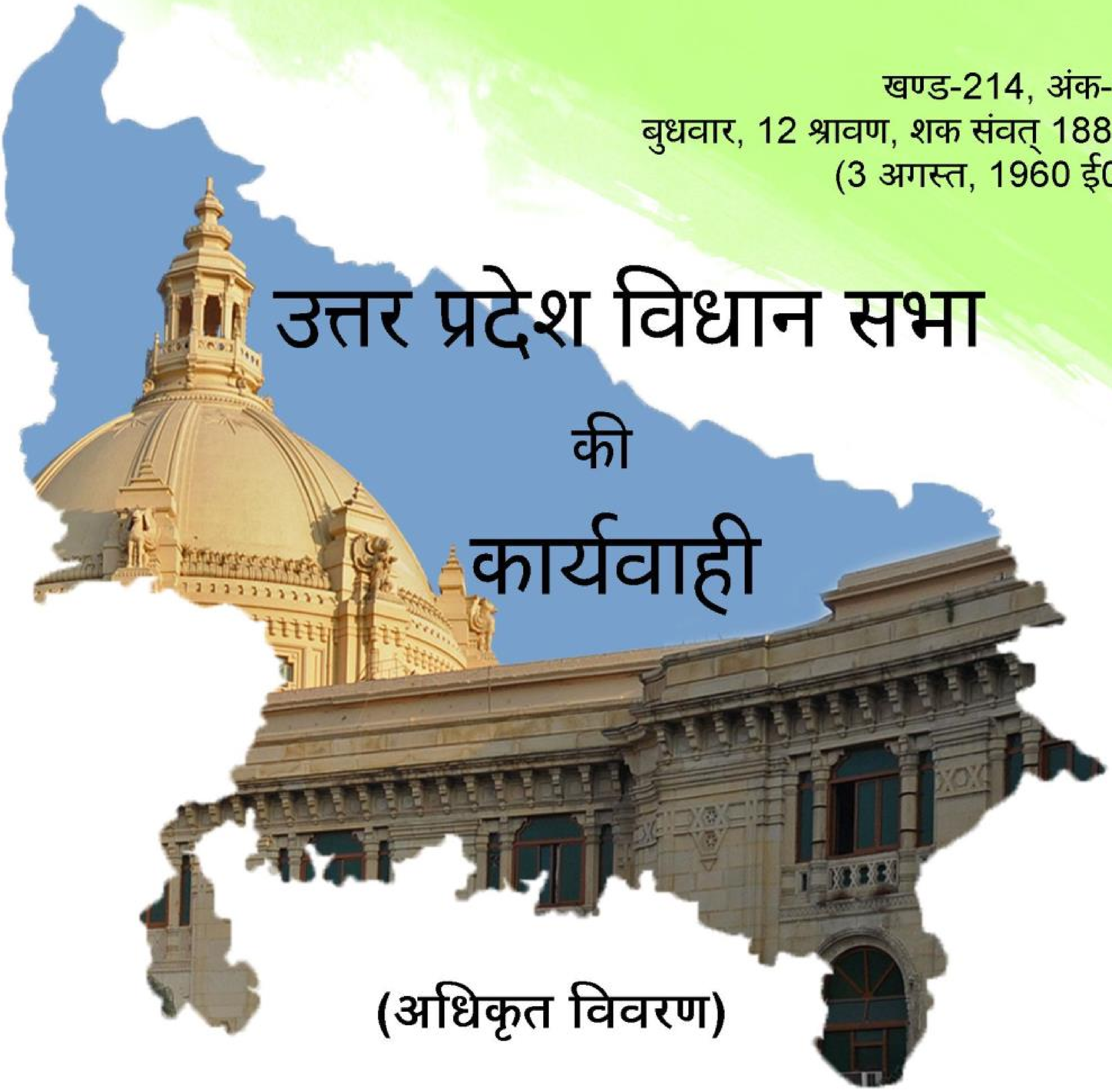

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 214 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ३ अगस्त, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६६

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्त राम वर्मा, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयरअली खां, श्री

गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर आचार्य, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पन्नेराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री

परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमतीदास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस' श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री

राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)

श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

श्रम उपमंत्री द्वारा अपने प्रश्न पहले लिये जाने की प्रार्थना

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—मान्यवर, मुझे एक निवेदन करना था कि आज एजेंडे पर मेरे कुछ प्रश्न ४, ५, ७, ८, ९, १०, १६, १७ और १८ हैं और कौंसिल में भी एक बिल आने को है जिसे मुझे ही मूव करना है, सभापति कौंसिल ने कहा है कि मैं वहां साढ़े ११ बजे तक पहुंच जाऊं, इसलिये पहले मेरे प्रश्न ले लिये जायं तो बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इस में किसी को आपत्ति नहीं है। मैं अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों के बाद उनको पहले ले लूंगा।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ३ अगस्त, १९६०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

कोयले का अभाव

**१—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद), श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी) तथा श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपा

नोट—उद्योग मंत्री के प्रश्न, अल्प सूचित तारांकित प्रश्नों के बाद लिये गये, किन्तु कार्यवाही में प्रश्न क्रमानुसार छापे जा रहे हैं।

कर बतायेगी कि प्रदेश में कोयले के अभाव के कारण प्रदेश के कारखाने बन्द होने की सम्भावना है? यदि हां, तो उसके दूर करने के लिये सरकार कौन-कौन से उपाय कर रही है?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—जी नहीं। यद्यपि वैगनों की कमी के कारण कोयले के आयात में कमी हो गई है फिर भी यह कमी इतनी नहीं है कि कारखाने एकदम बन्द हो जायें।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या यह सत्य है कि कोयले की कमी के कारण प्रदेश में अब कार्ड द्वारा कोयला दिया जाता है? यदि हां, तो किन-किन जिलों में कार्ड द्वारा बांटा जाता है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—कार्ड से इसलिये दिया जाता है ताकि सब लोगों को थोड़ा बहुत मिल जाय और लगभग सभी शहरों में ऐसा हो रहा है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनको ज्ञात है कि कुछ दिन पहले माननीय बहुगुणा जी ने कहीं यह कहा था कि प्रदेश में कोयले की इतनी कमी है कि एक भी कारखाने के पास ३ दिन से अधिक का स्टाक नहीं है और ऐसी आशा भी नहीं है कि ३ दिन में कोयला वहां पहुंच जाय?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इस सम्बन्ध में तो मैंने अभी माननीय राज्यपाल के सम्बोधन के विषय में बोलते हुये कुछ दिन पहले बताया था कि जुलाई के अन्त तक की रिपोर्ट के अनुसार पावर हाउसेज में खास तौर से कहीं २४ दिन का, कहीं १५ दिन का, कहीं २६ दिन का, कहीं १९ दिन का स्टाक इन हैंड है और जो माल ट्रांजिट में है वह कहीं ४ दिन में, कहीं ५ दिन में और कहीं १३ वैगन पहुंचने वाला है। इलाहाबाद में भी अभी १५ दिन का स्टाक है और आधे दिन का अभी ट्रांजिट में है।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रादेशिक सरकार ने केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस कोयले की कमी की ओर दिलाया था और उस पर केन्द्रीय सरकार ने कहा था कि कमी नहीं होगी लेकिन फिर भी कमी हुई तो क्या ऐसी कोई कार्यवाही हो रही है कि आगे कमी न हो?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं वहां के मंत्रालय से बातें कीं और उस के बाद काफी पोजीशन सुधरी जैसाकि मैंने विवरण दिया। औद्योगिक क्षेत्र के लिये जितना कोटा मिलता है उस की देरी का एक कारण यह भी था कि यहां से रिटर्न देर में जाते थे या वैगन्स की कमी के कारण देर होती थी, लेकिन इधर तो काफी लिबरल अलाटमेंट्स हुए हैं चुर्क सीमेंट फैक्ट्री, मिर्जापुर को, म्योर मिल्स को, मोदी पद्मपत मिल कानपुर, कृष्णा टेक्सटाइल, सहारनपुर आदि को। इस के अलावा लखनऊ में भी अभी २ दिन पहले ५६ गाड़ियां आई हैं।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार को पता है कि अभी हाल में बिहार सरकार ने हमारे प्रदेश के कोयले के कुछ वैगनों को उनकी सीमा से गुजरते वक्त ले लिया था? यदि हां, तो कितना, और सरकार ने उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां, ५० गाड़ी रिक्वीजीशन कर ली थी। उसके लिये एक प्रोटेस्ट बिहार गवर्नमेंट को लाज कर दी गई है और उसकी कापी सेन्ट्रल गवनमेंट को भी दी गई है। डिप्टी कोल कंट्रोलर, श्री सरकार ने भी अफसोस जाहिर किया है। और गाड़ियां मूव हो गई हैं, और कुछ पहुंच भी गई हैं।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या प्रदेश में कुछ ऐसे कारखाने हैं जिन्होंने कि इस बात की सूचना दी कि कोयले के अभाव में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और यही हालत रही तो संभव है कि कारखाने बन्द कर देने पड़ें?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मुझे यह मालूम हुआ कि एल्गिन मिल्स, महावीर जूट मिल—ऐसे कुछ हैं जिनकी एसोसियेशन ने तार भी दिया। इनके स्टाक रिटर्न जो थे वह इन्होंने ठीक टाइम पर नहीं दिये थे। अब कहा गया है कि स्टाक रिटर्न रेग्युलरली दिया करें जिससे कि कमी न हो। उन्होंने दो टेलीग्राम भी भेजे। कोशिश हो रही है कि जल्दी से उनके पास आ जाय। कोई ऐसी खास कमी नहीं है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—वैगन के अभाव के कारण, जिन लोगों के पास कोयले का लाइसेंस है, उनको ट्रक से लाने के लिये क्या सरकार लाइसेन्स प्रदान करेगी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—ट्रक में देखना पड़ता है कि उसका भाड़ा ज्यादा पड़ जाता है, बहुत महंगा पड़ जाता है, यह भी तो देखने की बातें हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या यह सही है कि कई इंडस्ट्री वालों ने सरकार के पास लिखा था कि उनके पास ३ दिन का स्टाक है? यदि हां, तो उनके स्टाक में कितना रहना चाहिये था और उन्होंने ऐसा क्यों लिखा?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब तो उन्होंने दे दिया। (डाक्टर सम्पूर्णानन्द के खड़े होने पर) आप अधिक जवाब देंगे?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, यह सब शिकायतें बहुत पुरानी हैं। ५–६ दिन पहले मैं दिल्ली गया था। वहां रेलवे मिनिस्टर ने कहा कि अब वैगनों की बहुतायत है और उन्होंने विश्वास दिलाया कि रत्ती भर भी प्रदेश में कहीं भी कोई तकलीफ नहीं होगी।

काठगोदाम एक्वीडक्ट टूटने से कठिनाई

**२—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि काठगोदाम एक्वीडक्ट के टूट जाने से गौला नदी पर हल्द्वानी के आस-पास कोई भी पुल न होने के कारण समस्त क्षेत्रीय जनता को आर–पार जाने में हो रहे अत्यन्त कष्ट को दूर करने हेतु वह क्या कार्य वाही कर रही है?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—हल्द्वानी में क्षेत्रीय जनता को आर-पार ले जाने के लिये एक हाथी का प्रबन्ध कर दिया गया है। जब नदी में पानी अधिक होता है तभी आर-पार जाने में जनता को असुविधा होती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि स्थायी प्रबन्ध इस क्षेत्र में जनता के कष्ट को दूर करने के लिये वह क्या कर रहे हैं?

श्री गिरधारीलाल—स्थायी के लिये तो डिजाइनिंग वगैरह हो रही है। जिस वक्त सब कुछ हो जाएगा तब इसका फैसला किया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---हाथी से तो केवल लोग ही आर-पार जा सकते हैं, जो लदे हुए घोड़े आदि हैं उनके लिये कोई प्रबन्ध होने वाला है, क्योंकि उसके बिना तो सारा आवागमन ही बन्द है ?

श्री गिरधारीलाल---उसके लिये उस क्षेत्र के जो नुमाइंदे होंगे वह विचार करेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी---स्पष्ट नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष---जरा उत्तर को स्पष्ट कर दीजिये।

श्री गिरधारीलाल---यह सर दर्द उन्हीं के लिये है जो कि उस क्षेत्र के नुमाइन्दे होंगे।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मुझे इस बात का स्वयं तजुर्बा है कि वहां के इस पुल के टूटने से हल्द्वानी के करीब ५० हजार आदमियों को सामान लेने में दिक्कत हो रही है, तो क्या निकट भविष्य में इस दिक्कत को दूर करने के लिये सरकार कोई इंतजाम करने जा रही है, क्योंकि बहुत से आदमी हाथी पर चढ़ना ही नहीं जानते ?

श्री गिरधारीलाल---मैं समझता हूं कि वैसे तो इंतजाम वहां गधों के जरिये से थोड़ा बहुत हो ही रहा है लेकिन जो परमानेन्ट बेसिस पर होगा वह बाद में किया जायगा, उसमें कुछ टाइम जरूर लगेगा।

श्री अध्यक्ष---आप कुछ सजेशन दीजिये।

श्री प्रतापसिंह---क्या मंत्री जी को मालूम है कि काठगोदाम का पुल जिससे सारा आवागमन होता था और बरसात में उस पार जाने का सिवाय उसके कोई अन्य रास्ता न था जिससे नैनीताल जिले के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के लोग हल्द्वानी से सारा सामान ले जाते थे वह अब नहीं ले जा सकते हैं और जवाब दिया गया कि हाथी रखा गया है। तो ४,००,००० रु० जिस पुल के लिये मंजूर किया गया था उस कार्य को क्यों नहीं प्रारम्भ किया गया ?

श्री गिरधारीलाल---मैंने तो जवाब दिया कि उसके लिये कार्यवाही हो रही है। डिजाईनिंग और प्लानिंग होने के बाद कार्य की शुरुआत होगी। दूसरी बात यह है कि यह पुल नहीं था बल्कि ऐक्वीडक्ट थी, रेगुलर ट्रेफिक का पुल नहीं था, थोड़ी बहुत ट्रेफिक जरूर पास हो जाती थी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि उस क्षेत्र के नुमाइंदे लदे हुए घोड़ों को खुद ले जाने का कोई प्रबन्ध नहीं कर सकते हैं और यह कार्य उनके लिये सिर दर्द है इसमें उनकी कुछ सहायता करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल---हर तरीके से आपकी सहायता की जायेगी।

तारांकित प्रश्न

सलेज फार्म, लखनऊ महानगरपालिका में गबन

*१---श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला कानपुर)---सलेज फार्म लखनऊ में कई लाख रुपये के गबन के सम्बन्ध में १० फरवरी, १९६०, के तारांकित प्रश्न संख्या ४० के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १,६१,००० रुपया मियाद बाहर हो जाने के लिये जिम्मेदार जिस अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया था क्या उस अधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—सम्बन्धित अधिकारी मेडिकल छुट्टी पर रहे। इस कारण उनके विरुद्ध चलने वाली जांच में अपेक्षित प्रगति नहीं की जा सकी। जांच पूरी होने के पश्चात् ही यह निश्चित किया जा सकेगा कि उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाय।

*२—श्री उमाशंकर शुक्ल—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक की गई जांच से कितने लाख रुपये के घाटे का अनुमान किया गया है ?

श्री जयराम वर्मा—जांच पूरी होने के पश्चात् ही निश्चित रूप से पता चल सकेगा कि कितना घाटा हुआ है।

*३—श्री उमाशंकर शुक्ल—क्या सरकार को इस वर्ष ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उक्त अधिकारी द्वारा काश्तकारों से पट्टे न कराये जाने के फलस्वरूप ७० हजार रुपये की हानि हो चुकी है और २ लाख रुपये के लगभग और हानि होने की संभावना है और यह कि उपर्युक्त जांच के मध्य उक्त अधिकारी को ६ महीने का बोनस एवं पदोन्नति देकर स्थायी कर दिया गया है यद्यपि वह जिस पद पर स्थायी किये गये हैं उसके लिये निम्नतम योग्यता भी नहीं रखते थे और न राज्य सरकार से उन्हें निर्धारित अर्हता से मुक्त करने के आदेश ही प्राप्त किये गये हैं ? यदि हां, तो उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जयराम वर्मा—ऐसी शिकायतें शासन को प्राप्त नहीं हुई हैं। संबंधित अधिकारी को बोनस जांच के मध्य नहीं दिया गया बल्कि जांच प्रारम्भ होने से बहुत पहले दिया जा चुका था। वह जिस समय स्थायी किए गये थे, उस समय निम्नतम अर्हता का प्रतिबन्ध वैधानिक रूप से लागू नहीं था।

श्री उमाशंकर शुक्ल—क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी ६ महीने में अवकाश ग्रहण करने वाला है ? यदि हां, तो सरकार किस तरह से जांच को पूरा करेगी और कैसे उसके खिलाफ कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

श्री जयराम वर्मा—इसके बारे में सूचना की आवश्यकता है। कब अवकाश ग्रहण करने वाले हैं इसकी हमारे पास सूचना नहीं है।

श्री उमाशंकर शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शिकायत कब प्राप्त हुई थी और बोनस और स्थायीकरण की तारीखें क्या हैं ?

श्री जयराम वर्मा—शिकायत का पता चला सन् ५७–५८ में और स्थायी किये गये थे सन् ५४ में और उसके लगभग बोनस भी दिया गया था।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह अधिकारी कब से कब तक छुट्टी पर रहा और क्या उन्होंने मेडिकल छुट्टी स्पष्टीकरण मांगे जाने के बाद ली या पहले ली थी ?

श्री जयराम वर्मा—यह २ दिसम्बर, १९५९ से ३१ मई, १९६० तक मेडिकल अवकाश पर रहे।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—मुझे यह मालूम हुआ है कि सरकार ने जो पता लगाया है वह किसी दूसरे अधिकारी के संबंध में लगाया है। तो क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किस अधिकारी के संबंध में उन्होंने पता लगाया है, उसका नाम बताने की कृपा करेंगे ?

श्री जयराम वर्मा—यह जांच तो सुपरिंटेंडेंट, कलेक्शन के खिलाफ हो रही है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुये कि सम्बन्धित अधिकारी शीघ्र ही रिटायर होने वाले हैं इस बात पर विचार करेगी कि उसके मामले को पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाय ?

श्री जयराम वर्मा--यह तो ठीक पता चलने पर ही हो सकता है कि पुलिस के सुपुर्द किया जाना चाहिये या नहीं ।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी पिछले सत्र में दिये गये अपने उत्तर को देखने की कृपा करेंगे जिसमें उन्होंने कहा था :--

"इस मामले में अभी प्रारम्भिक जांच की गयी है और गहरी जांच की कार्यवाही आगे जारी है । अभी तक की गयी जांच से पता चला है कि १३६३ फ़सली तक लगान का लगभग १,६१,००० रुपया मियाद बाहर हो गया था । इसके लिये जिम्मेदार अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है और उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है । जांच पूर्ण हो जाने पर ही यह निश्चित रूप से पता चल पायेगा कि वास्तव में बोर्ड को कुल कितनी हानि पहुँची है ।"

तो मैं जानना चाहता हूं कि जब यह जवाब दिया गया था तब से आज तक क्या कार्यवाही की गयी जबकि मंत्री जी खुद तसलीम करते हैं कि १,६१,००० रुपये का गबन है ?

श्री जयराम वर्मा--तब से तो वह मेडिकल अवकाश पर रहे। पहली जून को ज्वाइन किया है तब से कार्यवाही की जा रही है ।

श्री प्रतापसिंह--श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । सौभाग्य से माननीय वर्मा जी ने ही हमको यह जवाब असेम्बली में दिया था और असेम्बली में जो जवाब एक दफ़ा दे दिया जाता है मैं समझता हूं कि वह पब्लिक डाक्यूमेंट है । उनके छुट्टी पर रहने से जांच करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है । अब जो जवाब वह दे रहे हैं इसका मतलब है कि सरकार कोई जांच नहीं करना चाहती है । पिछले सत्र में दूसरा जवाब दिया गया था और अब कुछ और दिया गया है । लेकिन जब वह तसलीम करते हैं कि १,६१,००० रुपये का गबन है तो तब से अब तक क्यों नहीं जांच की ?

श्री अध्यक्ष--वह तो उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया है। आपने जो पढ़ा है उसमें यह है कि इतना नुक्सान जो हुआ उसके लिये कौन जिम्मेदार है ? जो जिम्मेदार है उसका स्पष्टीकरण मांगा गया है । इसके बाद मालूम होता है कि वह छुट्टी पर चले गये । एक जून को वह छुट्टी से वापस आ गये हैं । तब से जांच कर रहे हैं, यह वह कब कहते हैं कि जांच नहीं हो रही है । इसमें और उसमें कोई कन्ट्राडिक्शन नहीं है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार बतायेगी कि १ जून को काम पर वापस आने के बाद उन्होंने अपना स्पष्टीकरण भेजा है या नहीं ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)--श्रीमन्, अभी तक उन्होंने नहीं भेजा है, यह बड़े दुख की बात है और हमने ऐडमिनिस्ट्रेटर से पूछा था तो उन्होंने कहा कि कारपोरेशन बनने की वजह से वह बिजी रहे इसलिये नहीं कर सके । अब वह कार्यवाही कर रहे हैं और जल्दी करेंगे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अधिकारी के बीमार हो जाने से जांच में क्या रुकावट पड़ी ?

श्री अध्यक्ष--अभी तक तो उसका स्पष्टीकरण ही नहीं आया ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--उन्होंने यह कहा कि जांच में दिक्कत यह पड़ गई । अगर वह स्पष्टीकरण की बात कहते तो मुझे संतोष हो जाता ।

श्री जयराम वर्मा---श्रीमन्, स्पष्टीकरण मांगा था जो प्राप्त नहीं हो सका इसीलिये आगे कार्यवाही नहीं हो सकी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या जांच केवल स्पष्टीकरण मांगे जाने तक ही सीमित थी ?

श्री अध्यक्ष---यह जरा थोड़ा-सा आपको भी समझ लेना है कि अब वहां कारपोरेशन हो चुका है और उसके मार्फत ही सरकार जवाब मांग सकती है क्योंकि वह एक आटोनोमस बाडी है । जब वह कहते हैं कि उन्होंने जवाब दे दिया कि वह कारपोरेशन बनने के कारण बिजी रहे हैं इस कारण देर हुई; तो उत्तर तो वहीं से आयेगा और जब उत्तर आ जायगा तभी तो जांच करेंगे । यह खयाल में रखते हुये प्रश्न पूछिये ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, जो जांच हुई वह केवल स्पष्टीकरण मांगे जाने तक ही सीमित थी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, दोनों बातें पूछी गई हैं । अभी तक वास्तव में नहीं कहा जा सकता है कि यह उसकी नेगलीजेंस है या बेईमानी है अभी, सदन में आने से पहले मैंने उनसे पूछा था । हम अपनी राय ही दे सकते हैं और डायरेक्टली गवर्नमेंट आर्डर नहीं दे सकती है कि पुलिस का मामला हो तो पुलिस में दे दिया जाय और पहले ही ऐक्शन ले लें ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मंत्री जी, इस बात को देखते हुये कि इसमें राज्य के रेवेन्यू का सवाल है और करीब दो लाख रुपये का नुक्सान हो रहा है, कोई ऐसा प्रतिबंध करेंगे कि तुरन्त उनकी रिस्पांसिबिलिटी फिक्स की जा सके और इसकी जांच के लिये किसी विशेष अधिकारी को नियुक्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, हम तो कारपोरेशन से रिक्वैस्ट ही कर सकते हैं, ऐक्शन तो उनको ही लेना है । हम डायरेक्टली कोई ऐक्शन नहीं ले सकते हैं ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त अधिकारी कब स्थायी किये गये ?

श्री जयराम वर्मा---श्रीमन्, यह तो मैं बता चुका हूं कि १९५४ में वह स्थायी किये गये ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार इसको ध्यान में रखते हुये कि वह अधिकारी शीघ्र ही रिटायर होने वाला है इसलिये ऐसी कार्यवाही करेगी कि उसकी जांच उससे पहले ही समाप्त हो जाय और यदि मामले में गबन पाया जाय तो मामला पुलिस के सुपुर्द किया जा सके ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---श्रीमन्, मैं अभी निवेदन कर चुका हूं कि हम सभी बातों को ध्यान में रखकर विचार करेंगे ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस पद पर वह रखे गये हैं उसके लिये मिनिमम क्वालीफिकेशन इंटरमीडियेट थी और वह इंटर पास नहीं थे ? इसके अलावा १३-११-५८ को श्री यू० एस० मित्तल ने इस्तीफा दे दिया, १८-११-५८ को उनकी जगह पर यानी सुपरिंटेंडेंट कलेक्शन्स की जगह पर श्री आर० एन० सेठ को मुस्तकिल किया गया, इसकी क्या वजह थी ?

श्री जयराम वर्मा---श्रीमन् जी, १९५४ में वह स्थायी हुए । पहले एक शासकीय आदेश द्वारा योग्यता निर्धारित की गयी थी लेकिन उस शासकीय आदेश का असर बाइंडिंग हो नहीं सकता था । वह सिर्फ ऐडवाइजरी था । इसलिए जिन बोर्डों ने उस शासकीय आदेश के

खिलाफ कार्यवाही कर भी उनको हम रोक नहीं सके । १९५७ में नियमानुकूल उसके नियम बनाये गये और अब वह लागू हो गये हैं । इसके बाद अगर कोई नियमों के खिलाफ करता है तो उसको रोका जा सकता है और कार्यवाही नहीं करने पायेगा । लेकिन जो लोग पहले स्थायी हो चुके थे, १९५७ के पहले, उनके लिए नये नियम जो बने हैं, लागू नहीं होते ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्या यह सही है कि जिस समय उनका स्थायीकरण हुआ है, जिस समय के सिलसिले में माननीय गोविन्दसिंह जी ने बताया है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन न रहते हुए उनको स्थायी किया गया, क्या यह सही है कि उस समय यह कारपोरेशन सरकार के ऐडमिनिस्ट्रेशन में था और बोर्ड ने उनकी बात को नहीं माना, तो मंत्री जी बतायेंगे कि जब उनके ऐडमिनिस्ट्रेशन में था, तो उन्होंने क्यों नहीं शासन का आदेश माना ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---उस समय रूल की हैसियत नहीं थी । अगर उन्होंने किया तो हम रोक नहीं सकते थे । वह इल्लीगल ऐक्शन नहीं था ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने मिर्जापुर नगरपालिका को इस लिए भंग किया कि उसने साइकिल टैक्स घटा दिया, तो यहां क्यों नहीं ऐक्शन लिया गया जब कि लाखों का गबन हुआ ? १९५८ में जांच करने के लिए एकाउंट्स आफिसर नियुक्त हुआ, और १९५९ में रिपोर्ट दे दी, तो अब तक जांच नहीं हुई इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष---आपकी तबीयत के मुताबिक वह सुपरसीड हो चुका था ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---मेरे कहने का मतलब यह है कि एक म्युनिसिपैलिटी को तो इस तरह से टैक्स कम करने पर भंग किया जाता है और सरकार के यहां लाखों का गबन होता है और कुछ नहीं होता ।

श्री अध्यक्ष---आप दूसरी भिन्न शिकायत प्रस्तुत विषय से मिलाना चाहते हैं, लेकिन वह इससे मिलती नहीं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी प्राप्त है कि छुट्टी से आने के बाद, इतने गम्भीर आरोप लगाने पर भी, यह महानुभाव अब भी क्यों सुपरिन्टेंडेंट, कलेक्शन की पोस्ट पर कायम हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---मैं निवेदन कर चुका हूं कि मुख्य नगराधिकारी ने जवाब दिया कि वह इस पर ज्यादा तवज्जेह नहीं दे सके, क्योंकि वह दूसरे कामों में बिजी रहे । बाकी डाइरेक्टली गवर्नमेंट आर्डर नहीं कर सकती है । वास्तव में यह प्रश्न नगरपालिका से पूछना चाहिए कि क्यों नहीं ऐक्शन ले रहे हैं ।

राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ में हुई चोरियों की सूचना

*४---श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ में चोरियों की सूचना देते हुये कितने पत्र सरकार के पास जुलाई, १९५९ से इस समय तक प्राप्त हुये हैं ? क्या सरकार उन पत्रों की नकल अथवा संक्षिप्त सार सदन के सम्मुख रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ में चोरियों की सूचना देते हुये, कोई भी पत्र, जुलाई, १९५९ से अब तक सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है ।

*५---श्री मदन पांडेय (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उन पत्रों की प्राप्ति के अनन्तर क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह प्रश्न नहीं उठता ।

'चायना पीक' का नाम बदलने का सुझाव

*६—श्री मदन पांडेय (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या नैनीताल के प्रसिद्ध "चायना पीक" शिखर का नाम बदलने पर सरकार विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि यह "चायना पीक" नाम शुरू में किसने रखा था, क्या सरकार ने रखा था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस बात का पता लगाने के लिये हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इसका नाम "चायना पीक" है या "चीना पीक", लेकिन कुछ पता नहीं लग रहा है । जब इस बात का पता लग जायगा तब इस बात का उत्तर भी हो जायगा कि इसका नाम बदलने की आवश्यकता है या नहीं । तिवारी जी उस तरफ के रहने वाले हैं, अगर वह कुछ प्रकाश डाल सकें तो मैं उनका बड़ा कृतज्ञ हूंगा ।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस "चायना पीक" का नाम बदलकर "चीनी पीक" रखने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—मालूम होता है जब गोरखपुर वालों का राज्य होगा तब चीनी मिलों की तरफ से यह नाम रखा जायगा ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—इस बात को देखते हुये कि चीन से मिलता जुलता अगर कोई पहाड़ का नाम होता है तो उसको चाइना अपना बतलाने का प्रयत्न करता है, इसलिये क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस पहाड़ का नाम बदलने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—खतरे की वजह से शायद आप ऐसा कह रहे हैं ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यदि इसका असली नाम मालूम हो जाय तो शायद नाम बदलने की जरूरत ही न पड़े, असली नाम रेस्टोर करने के फेर में ही हम हैं ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब इतने भारी प्रदेश का नाम बदल कर उत्तर प्रदेश कर दिया गया तो फिर अगर उस छोटी सी चायना पीक का नाम "नैना पीक" कर दिया जाय, इसमें क्या आपत्ति है ?

श्री अध्यक्ष—यह आपका सुझाव है, वह अभी विचार कर रहे हैं ।

निर्यात व्यापार विकास डिवीजन

*७—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या राज्य में निर्यात व्यापार विकास डिवीजन (एक्सपोर्ट ट्रेड डेवलपमेंट) स्थापित है ? यदि हां, तो कब से ?

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—जी हां । सितम्बर, १९५२ से ।

*८—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या १९६०-६१ के वित्तीय वर्ष में उक्त डिवीजन के प्रसार का प्रश्न विचाराधीन है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी हां ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—मंत्री जी बतायेंगे कि निर्यात व्यापार डिवीजन का प्रधान कार्यालय कहां है और इसका क्या क्रिया-कलाप है ?

नोट—तारांकित प्रश्न ६ श्री नारायणदत्त तिवारी ने पूछा ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--निर्यात व्यापार डिवीजन का प्रधान कार्यालय दिल्ली में है और उसका कार्य हमारे देश की बनी हुई चीजों के व्यापार को दूसरे देशों में फैलाना, अपने देश के जो काम करने वाले कारीगर हैं, खास तौर पर आर्टिजन्स, जैसे लखनऊ, मुरादाबाद और वाराणसी का काम है, इस खास खास कामों के लिये विदेशों में मार्केट ढूंढ़ना ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--मंत्री जी निर्यात डिवीजन के प्रसार को ध्यान में रखते हुए उसकी एक ब्रांच सीतापुर में खोलेंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--इसकी ब्रांच जिलों में खोलने का प्रश्न है ही नहीं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--जो इस समय यू० पी० हैन्डीक्राफ़्ट्स के सैम्पिल हैमबर्ग में, फ्रैन्कफ़र्ट, जेनेवा, लन्दन आदि जगहों में डिसप्ले किये जा रहे हैं वह सैम्पिल मुरादाबाद, बनारस आदि में बने हुए सामानों के इतने पुराने रखे गये हैं कि एक तरह से आउट मोडेड हो गये हैं, ऐसी कोई सूचना मंत्री जी को है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मुझे ऐसी कोई सूचना नहीं है। इतनी सूचना जरूर है कि हमारे एक्सपोर्ट डिवीजन ने डिफ़रेंट नुमायशों में पार्टिसिपेट किया, उसके कारण साल में २०,००,००० रु० तक का माल दूसरे देशों में बिका ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मेरे इस प्रश्न को निजी सूचना मानकर जो मैंने अभी हाल ही में एक कांफरेंस के सिलसिले में हैमबर्ग और जेनेवा में देखा और माननीय मुख्य मंत्री जी को उस बारे में बताया भी, इसकी जांच करके एक्सपोर्ट डिवीजन के द्वारा इसका निराकरण करने की कृपा करेंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मैं तिवारी जी का आभारी हूं । हम जरूर इसकी जांच करेंगे ।

श्री अध्यक्ष--आप जायेंगे या नहीं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--यदि मुझे सदन आज्ञा देगा तो मैं चला जाऊंगा ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--मंत्री जी बतायेंगे कि निर्यात व्यापार डिवीजन का प्रसार किस प्रकार किया जायगा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--इस डिवीजन में इस समय दिल्ली में हमारा एक कार्यकर्ता है । उनको अगर हम दूसरे देशों में नुमायश के अवसरों पर बाहर भेज देते हैं तो हमारा काम रुक जाता है । इरादा यह है कि उनको कुछ सहायक अधिकारी दिल्ली में और दिये जायें जिनके द्वारा इस फैलते हुए काम को कंट्रोल करने के लिये पूरे पूरे यंत्र मिल जायें ।

जुडीशियल मैजिस्ट्रेटों को तहसीलों के केन्द्रीय स्थान पर काम करने का सुझाव

*९--श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार इस पर विचार करने की कृपा करेगी कि जुडीशियल मैजिस्ट्रेट अपनी-अपनी तहसीलों के केन्द्रीय स्थान पर मुकदमे किया करें ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--ऐसा करना संभव प्रतीत नहीं होता ।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जुडीशल मैजिस्ट्रेट अपनी-अपनी तहसीलों के केन्द्र स्थान पर मुकदमे किया करें इसमें, सरकार को क्या-क्या कठिनाइयां हैं और जनता की परेशानी को देखते हुए क्या सरकार पुनः इस विषय पर विचार करने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—एक तो हर तहसील में दफ्तर के लिए जगह नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक जुडीशल मैजिस्ट्रेट केवल एक ही तहसील का काम नहीं करता। कभी-कभी कई तहसीलों का काम उसे देखना पड़ता है। तो जनता का कष्ट बढ़ सकता है अगर एक ही तहसील में जुडीशल मैजिस्ट्रेट बांध दिया जाय।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या यह सही है कि जुडीशल मैजिस्ट्रेटस इस समय डी० एम० के मातहत हैं, तो जैसी कि सेपेरेशन आफ जुडीशियरी की मांग की गयी है, सरकार यह स्टेप इसलिए ले रही है कि हेडक्वार्टर में उनको रख कर जजों के मातहत किया जा सके, तभी सेपेरेशन आफ जुडीशियरी किया जा सकेगा ?

श्री अध्यक्ष—यह फिर आपने इसमें दूसरा सवाल मिला दिया।

श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जैसे एस० डी० ओ० अक्सर तहसीलों में काम करते हैं, जिस तहसील का काम लिया जाता है वहां पर जाकर डाक बंगले में अक्सर केस वह करते हैं, उसी तरह से उनके लिए भी हो सकता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—एस० डी० ओ० तो आम तौर पर सदर में रहते हैं। कुल जमा शायद हफ्ते में दो दिन जाया करते हैं और बाकी दिन सदर में ही रहा करते हैं। फिर जो कठिनाई मैंने बतलाई वह कठिनाई फिर भी रहेगी।

श्री गौरीशंकर राय—पिछले वर्ष सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया था कि अगर तहसील के हेडक्वार्टर पर मकान हो जायं तो हम यह व्यवस्था कर सकेंगे, तो इस उत्तर से क्या हम यह समझें कि अब भविष्य में भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स को तहसीलों में भेजने का कोई कार्यक्रम सरकार के विचाराधीन नहीं है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—माननीय सदस्य को याद होगा कि जिस सवाल का जवाब मैंने दिया था वह एस० डी० एम० के सम्बन्ध में था। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सम्बन्ध में था ही नहीं।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार को यह मालूम है कि यदि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट तहसीलों में भेजे जायंगे तो मुवक्किलों को वकील वगैरह वहां से ले जाने में विशेष कठिनाई होगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। इस बात का लिहाज करके ही तो हम उनको तहसीलों में भेजते नहीं।

फल सुरक्षार्थ कोल्ड स्टोरेज

*१०—**श्री गनेशचन्द्र काछी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के किस-किस जिले में फलों को सुरक्षित रखने के लिये सरकार के कोल्ड स्टोरेज हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—फलों को सुरक्षित रखने के लिए केवल रामगढ़ फल संरक्षण फैक्ट्री (जिला नैनीताल) में एक सरकारी कोल्ड स्टोरेज स्थापित किया गया है।

देवरिया जिले में ग्राम सेवा प्रशिक्षण प्राप्त पंचायत मंत्री

*११—**श्री भगवतीसिंह विशारद** (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले में कितने ऐसे पंचायत मंत्री हैं जो ग्राम सेवक का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, किन्तु उन्हें ग्राम सेवकों के स्थानों पर कार्य करने का अवसर प्रदान नहीं किया जा रहा है ?

नियोजन उपमंत्री (श्री सुल्तान आलम खां)—देवरिया जिले में कुल १५ ऐसे पंचायत मंत्री हैं जो ग्राम सेवक का पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं किन्तु अभी तक ग्राम सेवक के स्थान पर स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किये जा सके हैं।

नोट—तारांकित प्रश्न ११ श्री प्रतापसिंह ने पूछा।

श्री प्रताप सिंह---क्या माननीय नियोजन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उनकी पूर्व घोषणा के अनुसार कि पंचायत सेक्रेटरी और ग्राम सेवक का एक पद कर दिया जायगा, इस बात को कब तक कार्यान्वित करने की कृपा करेंगे, जिससे कि इस समस्या का हल हो जाय ?

श्री सुल्तान आलम खां---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री प्रताप सिंह---क्या माननीय नियोजन मंत्री इस बात को ध्यान में रखते हुये कि गोविन्द सहाय कमेटी और बलवन्तराय मेहता कमेटी ने यह सिफारिश की है और जैसा कि पिछले सत्र में इस सदन में कहा भी गया कि पंचायत राज सेक्रेटरी और ग्रामसेवक, इन दोनों पदों के स्थान पर एक ही पद होगा, यह कब तक कार्यान्वित हो जायगा ?

श्री सुल्तान आलम खां---गोविन्द सहाय कमेटी की सिफारिशों पर गौर हो रहा है और उसके बाद फैसला लिया जायगा जो कि माननीय सदस्यों को और तमाम सदन को मालूम हो जायगा।

श्री गेंदासिंह---ट्रेन्ड ग्राम सेवक जो कि पंचायत सेक्रेटरी हो चुके हैं उनको इतनी देर तक स्थान न मिलने के क्या कारण हैं ?

श्री सुल्तान आलम खां---इसका कारण यह है, जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम होगा कि पिछले दो सालों से जो हमारा कम्यूनिटी प्रोजेक्ट और ब्लाक खोलने का काम था उसमें बहुत भारी कमी हो गई है और धीरे काम हो रहा है। सन् १९६१ के अप्रैल तक हमारे जो ब्लाक सेचुरेट होने वाले थे वह अब १९६३ के अक्तूबर तक सेचुरेट होंगे। इसी वजह से जो नियुक्तियां करनी थीं, उनमें भी कमी हो गई जिससे लोग बाकी हैं।

श्री प्रतापसिंह---क्या यह सही है कि ग्रामसेवक की ट्रेनिंग होने के बाद उसको इसी विभाग में काम करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस बात की व्यवस्था करेगी कि ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद तुरन्त उनको नौकरी मिल जाय जिससे उनकी रोजी चल सके ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

मैनपुरी के वाटर वर्क्स में खराबी की शिकायत

*१२---**श्री गनेशचन्द्र काछी**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या नगरपालिका मैनपुरी ने शिकायत के रूप में ऐसे प्रस्ताव पास करके सरकार के पास पिछले दो सालों से कई बार भेजे हैं कि जो सरकार के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने वाटर वर्क्स बनाया है और जिसमें कि ९ लाख ६२ हजार रुपया खर्च हुआ है, उसकी फिटिंग गलत कर दी गई है, जिसके कारण नाली फट गई है और जोड़ खुल गये हैं ? यदि हां, तो उन शिकायतों पर क्या हो रहा है ?

श्री जयराम वर्मा---जी हां। पाइप के जोड़ों के रसियाने के सम्बन्ध में शिकायतें थीं परन्तु ऐसे जोड़ों को अब ठीक किया जा चुका है।

श्री गनेश चन्द्र काछी---मेरी सूचना यह है कि अब भी जोड़ ठीक नहीं हुए हैं और जोड़ों में सीसे के स्थान पर रस्सी अधिक भरदी गई है, जो लाइन डाली गई है वह बहुत ही ऊंची और नीची है जिसके कारण सड़क कट जाती है, तो मेरी इस सूचना को सही मान कर माननीय मंत्री जी मेरे साथ चल कर खुद उसे देखने की कृपा करेंगे क्योंकि इसमें ९ लाख रुपया खर्च हो चुका है या किसी दूसरे विभाग के इंजीनियर से जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री जयराम वर्मा—श्रीमान् जी, चीफ इंजीनियर से जांच कराई गई और उन्होंने जो रिपोर्ट दी वह हम सामने रख रहे हैं। बीच में वहां के इंजीनियर ने बोर्ड इंजीनियर को लिखा कि जहां आप शिकायत करते हैं कि वह लीक करता है तो हमारे साथ चलिए, देखा जाय, तो वहां के प्रेसीडेंट ने इन्कार कर दिया कि हम यह देखने की इजाजत नहीं देंगे। यह मामला सरकार के सामने विचाराधीन है। तो अगर देखा नहीं जा सकता है तो कैसे मान लिया जाय कि ठीक नहीं हुआ है और लीक करता है। वह देखने की इजाजत ही नहीं देते।

श्री गनेशचन्द्र काछी—मैं तो अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन कर रहा हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे साथ खुद चल कर देख लें कि ऐसी हालत है या नहीं या दूसरे विभाग के इंजीनियर से जांच करा लें, क्योंकि ९ लाख रुपये का मामला है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, वहां जाकर तो यही पता चलेगा कि लीक करता है, तो अगर लीक करता है तो उसकी जिम्मेदारी तो हम लेते हैं ठीक करा देने की। इंजीनियर ने कहा है कि जो भी शिकायतें हैं उसको हम ठीक कर देंगे। लेकिन जब उसको जाने ही नहीं देंगे, काम नहीं करने देंगे तो लीक करता ही रहेगा, वह ठीक कैसे होगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या जो जांच की गई उसमें फिटिंग गलत होने की जो शिकायत है वह शिकायत सही पायी गई या गलत ?

श्री जयराम वर्मा—इसमें पहले अन्दाज ऐसा लगाया गया था कि रांगा की भराई कम हुई है लेकिन जांच से यह मालूम हुआ कि औसतन रांगे की कमी नहीं है। यह कहा गया कि अगर कहीं लीक होता है तो उसको बतायें, उसको ठीक कराने की जिम्मेदारी हमारी है, उसको वह दिखाने को तैयार नहीं हुए।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी, जो रिपोर्ट उनके पास है, संक्षेप में उसको पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री जयराम वर्मा—इसकी दो बार शिकायत हुई थी। पहली बार जो शिकायत थी वह यह थी कि वह लीक करता है और पब्लिक स्टैंड पोस्ट टूट गये हैं। लीक करने के बारे में चीफ इंजीनियर की राय हुई कि ऐसी सम्भावना हो सकती है कि उसमें रांगा कम भरा गया हो। तो एक्जिक्यूटिव इंजीनियर को आदेश दिया गया कि जब पानी की जरूरत कम हो जाय तो उस वक्त उसकी जांच करें कि सचमुच ऐसी बात है या नहीं। जो स्टैंड पोस्ट टूट गये हैं उनके बारे में पता चला कि बहुत से स्टैंड पोस्ट इसलिये टूट गये हैं कि ट्रकों और जानवरों का उनको धक्का लगा। जो स्टैंड पोस्ट इसलिये टूट गये हैं कि उनका कोई कारण नहीं तो उसके लिये आदेश दिया गया कि वह ठीक करा दिये जायं और जब तक स्टैंड पोस्ट ठीक न हो जायं तब तक ठेकेदार को पैसा न दिया जाय। यह पहली शिकायत के बारे में उनकी रिपोर्ट थी।

दूसरी बार यह शिकायत की गई कि वह लीक करता है और कहीं-कहीं यह शिकायत थी कि कम गहराई पर पाइप डाला गया है। लीक करने के बारे में फिर जांच की गई तो जांच करने पर मालूम पड़ा कि आमतौर पर रांगे की मात्रा कम नहीं है और बहुत से पाइप ऐसे होते हैं कि उनमें रांगा कम लगाया जाता है। इस तरह की बात भी हो सकती है कि उसमें रांगे की जरूरत कम रही हो लेकिन फिर भी यह कहा गया कि अगर अब भी लीक करते हों तो उसको बताया जाय वह ठीक करा दिये जायं। जहां तक गहराई की बात है कि कम गहराई पर पाइप डाले गये तो जनरली २, २॥ फुट की गहराई पर पाइप डालना चाहिये, लेकिन यहां २ से ३ फुट की गहराई पर डाला गया।

जहां हेवी गाड़ियों के चलने की बात है वहां पर और नीचे पाइप डालने चाहिये, किन्तु वहां पर ऐसी बात नहीं थी। जहां पर गली सकरी है वहां ज्यादा गहराई में पाइप नहीं डाले जा सकते थे क्योंकि बहुत से मकानात जो बगल में बने हैं बैठ जाते। इससे मकानों को खतरा हो सकता था। यह रिपोर्ट उन्होंने दी।

श्री शिवप्रसाद नागर—मंत्री जी ने बताया कि रांगे की जांच की गई तो मंत्री जी इतना बताने की कृपा करें कि जमीन के अन्दर से खोदकर पाइप से रांगे को उतार कर तौल की गई या किसी भूगर्भ शास्त्री के द्वारा उसकी जांच हुई ?

श्री जयराम वर्मा—रांगे को निकाल कर तौला नहीं गया। उसको देखा गया कि जो भराई हुई है, वह कैसी है।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जब यह वाटर वर्क्स का कांस्ट्रक्शन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अन्तर्गत हुआ तो जो अफसर इस काम के लिये जिम्मेदार थे उनको क्या दंड दिया गया ?

श्री जयराम वर्मा—दंड देने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। जब यह बनकर तैयार हुआ तो वहां बोर्ड ने उसको देख कर लिया। फिर भी उनसे कहा गया कि उसके बाद कोई डिफेक्ट निकलता है तो उसको ठीक करा दिया जायगा।

श्री नवलकिशोर—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इसके लिये जिम्मेदार है और वाटर वर्क्स के कांस्ट्रक्शन की देखरेख उसके हाथ में है तो म्युनिसिपैलिटी की शिकायत का इसमें क्या प्रश्न उठता है ? यह तो उसकी ही जिम्मेदारी है कि काम ठीक हो ?

श्री जयराम वर्मा—ऐसा होता है कि जब पाइप डाला जाता है तो साधारणतः पहले लीक होता है और बाद में उसको ठीक कराया जाता है। कहीं पर यदि कुछ लीक हो जाय तो उसको बहुत बड़ा कसूर मान लिया जाय यह कोई बहुत उचित सा नहीं लगता।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग विभाग के कुछ अफसरों की देखरेख में यह वाटर वर्क्स बनाया गया, ऐसा कहा गया किन्तु क्या यह सही है कि वहां पर कोई भी अफसर नहीं रहा जब यह बना ?

श्री जयराम वर्मा—श्रीमन्, मैनपुरी में हमारा इसका डिवीजन है यह कैसे हो सकता है कि वहां पर कोई अफसर न हो।

श्री रामदीन (जिला मैनपुरी)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो वहां जोड़ जोड़े गये हैं वह रांगे से न जोड़ कर सीसे से जोड़े गये हैं ?

श्री जयराम वर्मा—वह तो रांगे से ही जोड़े गये हैं ऐसी हमारी सूचना है। अगर माननीय सदस्य की सूचना ऐसी हो कि रांगे से जुड़ाई नहीं हुई है तो उसकी जांच की जा सकती है।

श्री रामदीन—क्या माननीय मंत्री जी मेरी इस सूचना को सही मान कर कि वे जोड़ रांगे से नहीं बल्कि सीसे से जोड़े गये हैं, किसी एक जोड़ की फिर से जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इसमें लिखा है कि "दि पिग लड वाज आबटेन्ड फ्राम सो एण्ड सो" (The pig lead was obtained from so and so).

श्री नारायणदत्त तिवारी—माननीय मंत्री जी ने जो अपने उत्तर में "रांगा" शब्द का इस्तेमाल किया उसका आधार क्या है ?

श्री अध्यक्ष—"पिगलेड" उसका आधार है। उसका अर्थ अगर आप "रांगा" लगाते हैं तो रांगा लगाइये, "सीसा" लगाते हैं तो "सीसा" लगाइये।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि लोकल सेल्फ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रदेश में जितने भी कार्य हो रहे हैं उनमें ७५ फीसदी में यह शिकायत होती है, चाहे वे म्युनिसिपल बोर्ड के काम हों अथवा किसी दूसरी संस्था के, कि काम ठीक नहीं हुआ ? अल्मोड़ में भी नल लग रहे हैं और वहां भी यही शिकायत है। तो क्या यह सही है कि ७५ फीसदी काम खराब होता है और उसकी शिकायतें आती हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

*१३-१४---श्री लक्ष्मणराव कदम---[११ अगस्त, १९६० के लिये स्थानान्तरित किये गये]

*१५---श्री लक्ष्मणराव कदम---[१० अगस्त, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

रोजगार समिति की सिफारिशें

*१६---श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या अभी हाल ही में राज्य में लघु-उद्योगों के व्यापक विकास की सिफारिश " रोजगार समिति " ने अपनी रिपोर्ट में सरकार से की है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी हां।

*१७---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और रिपोर्ट में की गयी सिफारिशें कब तक कार्यान्वित होंगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---राज्य रोजगार समिति की ८-२-१९६० की बैठक में हुई मुख्य सिफारिशों की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६०१-६०२ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलायेंगे कि इन ११ सिफारिशों में से ऐसी कोई सिफारिश सरकार के विचाराधीन है जिसे सरकार शीघ्र ही कार्यान्वित कर सकेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---यह कहना कठिन है, क्योंकि सभी सिफारिशें साथ ली जा रही हैं।

श्री गेंदासिंह---ये सिफारिशें द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन हैं या तृतीय पंचवर्षीय योजना के अधीन हैं तो क्या वे इस अवधि के भीतर पूरी कर दी जायंगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---अपनी बेरोजगारी को दूर करने की दृष्टि से ये सिफारिशें रखी हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप निश्चित है। इन सिफारिशों को रखा गया है कि क्या काम इस समय में ही कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में उस पर विचार हो रहा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---इन पर विचार करने का अन्तिम फैसला कब तक हो जायगा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---शीघ्र होगा।

श्री गेंदासिंह---मेरा प्रश्न स्पष्ट यह था कि जो कुछ भी सिफारिशें हैं वे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन हैं या तृतीय पंचवर्षीय योजना के अधीन हैं, तो ये सिफारिशें क्या इस तरह से लागू की जायंगी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में पूरी हो जायं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जैसा मैंने कहा था इसमें एक सिफारिश यह थी कि कृषि के क्षेत्र में सहकारिता द्वारा जो कृषि के यंत्र हैं उनका वितरण आदि कराना। यह चीज द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शुरू हो जायगी लेकिन कुछ प्राविधिक शिक्षा के सम्बन्ध में तथा उद्योगों के फैलाने के सम्बन्ध में जो बुनियादी तब्दीलियां की हैं वे तब नजर आयेंगी जब तृतीय पंचवर्षीय योजना बनेगी।

आजमगढ़ जिले में खुलने वाले उद्योग

*१८---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में आजमगढ़ जिले में कौन-कौन उद्योग कहां-कहां खोले जाने वाले हैं?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---तृतीय पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है अतः इस सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री रामसुन्दर पांडेय---इसके अन्तिम रूप का निर्णय सरकार कब तक कर सकेगी?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---आशा यह की जाती है कि सितम्बर मास में प्लानिंग कमीशन के साथ सारे प्लान का डिस्कशन होगा और उस बातचीत के बाद ही उसका अन्तिम स्वरूप शायद निकल पाये।

श्री गेंदासिंह---मैं समझता हूं कि यह प्रश्न बड़े महत्व का है।

श्री अध्यक्ष---उन्होंने बतलाया कि सितम्बर में निर्णय होगा।

श्री गेंदासिंह---यह उत्तर ऐसा है जिससे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न निकल सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---आजमगढ़ में कौन-कौन से उद्योग कहां-कहां खोले जाने वाले हैं जब यह उनको मालूम ही नहीं है तो आप कितना भी जोर लगायें, कोई जवाब नहीं निकल सकता।

राजकीय कार्यों में हिन्दी के प्रयोग सम्बन्धी गश्ती चिट्ठी

*१९---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार ने १९६०-६१ के वित्तीय वर्ष में जून तक हिन्दी के सम्बन्ध में विभागाध्यक्षादि अधिकारियों को कोई गश्ती चिट्ठी भेजी है? अगर हां, तो वह क्या है?

*२०---क्या सरकार उस गश्ती चिट्ठी की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---कदाचित माननीय सदस्य का अभिप्राय गश्ती चिट्ठी संख्या १३६/इक्सीस---१५-१९५९, दिनांक १६ मार्च, १९६० से है जो राजकीय कार्यों में हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में भेजी गई थी और जो विभागाध्यक्षों इत्यादि को वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में मिली थी। उस चिट्ठी के पैराग्राफ ७ में यह आशा प्रकट की गई थी कि १९६५ तक राज्य का सारा कार्य हिन्दी में होने लगेगा। इसके अतिरिक्त ३ जून, १९६० को अदालती फैसलों को हिन्दी में लिखे जाने के सम्बन्ध में एक गश्ती चिट्ठी और जारी हुई है। इन चिट्ठियों की †प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

*२१---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या यू० पी० ओफीसियल लैंग्वेज ऐक्ट, १९५१ की धारा (२) के अनुसार पूरा काम होने लगा है? अगर नहीं, तो क्यों?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं। स्थिति का स्पष्टीकरण एक नोट में कर दिया गया है जिसकी प्रति †सदन की मेज पर रख दी गई है।

---

†छापी नहीं गईं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--१६ मार्च, १९६० को सरकार ने अपनी गश्ती चिट्ठी में जो आदेश दिये हैं ९ और १० पर, क्या वे दोनों काम हो गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, विशेष अधिकारी की नियुक्ति हो चुकी है और बाकी जो नियम संग्रह है, यह भी हो रहा है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार इस बात के आदेश देने का विचार कर रही है कि हिन्दी के टेलीप्रिन्टर्स बनाने का प्रयत्न किया जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--टेलीप्रिन्टर्स हम तो नहीं बनवा रहे हैं, लेकिन शायद वे बन रहे हैं और कई अखबार वाले उनसे काम भी ले रहे हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--प्रश्न संख्या २१ के बारे में जो नोट है वह महत्वपूर्ण मालूम पड़ता है । क्या माननीय मंत्री जी संक्षेप में बतलाने की कृपा करेंगे कि उसमें क्या-क्या खास बातें हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--तीन, चार बातों का जिक्र इस नोट में है । एक तो यह कि अभी भारत सरकार से हमको पत्र-व्यवहार अंग्रेजी में करना ही पड़ता है । दूसरे केवल भारत सरकार से ही नहीं, बल्कि भारत सरकार के अधीन कई और विभाग हैं, जैसे एकाउन्टेन्ट जनरल का आफिस, स्टेट बैन्क आफ इंडिया, आदि जो हमारे प्रदेश में भी है उनके साथ हमको अपना पत्र-व्यवहार अंग्रेजी में करना पड़ता है। तीसरी बात यह है कि कितने ही काम, जिनका संबंध हाईकोर्ट से होता है उनको भी अंग्रेजी में ही करना पड़ता है और जो हमारे कानून बनते हैं उनके लिये भी संविधान के अनुसार हमको एक अथराइज्ड कापी अंग्रेजी में छापनी पड़ती है गजट में ।

यह तीन-चार मुख्य बातें हैं जिनके कारण पूरी तरह से हम चाहें तो भी सारा काम हिन्दी में नहीं कर सकते ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उसी गश्ती चिट्ठी के पृष्ठ दो पर, पैरा ६ में, जो यह कहा गया है कि कुछ सरकारी कार्यालय अपने यहां के हिन्दी टाइपराइटरों के अक्षर पटल (की बोर्ड) को बदल कर अंग्रेजी करवा रहे हैं जो नीति के विरुद्ध है, तो यह कौन-कौन से कार्यालयों में हुआ है और क्या उनसे कोई जवाब तलब किया गया है, और यदि नहीं तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री गौरीशंकर राय--माननीय मुख्य मंत्री ने अभी बताया कि अंग्रेजी की कापी अथराइज्ड कापी मानी जाती है जो अंग्रेजी में छापी जाती है । तो मैं पूछना चाहता हूं कि कानून के अन्दर अंग्रेजी की कापी अथराइज्ड कापी मानी जाती है या हिन्दी की कापी अथराइज्ड मानी जाती है ?

श्री अध्यक्ष--यह तो संविधान में भी दिया हुआ है, आप देख लें ।

श्री गौरीशंकर राय--श्रीमन्, इस संबंध में कचेहरियों में अक्सर विवाद चल चुका है।...

श्री अध्यक्ष--जी नहीं, माननीय मुख्य मंत्री जी अगर कुछ कह भी दें तो कचेहरी उसको मानने के लिये बाध्य नहीं हो सकती । मैं प्रश्न की इजाजत नहीं दे सकता ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब कोई ऐसी कापी बनानी पड़ती है जो हिन्दी में भी लागू हो सकती है और अंग्रेजी में भी तो उसके लिये क्या आदेश दिये गये हैं ? यानी पहले अंग्रजी में वह लिखी जाती है, फिर उसका हिन्दी में अनुवाद होता है या पहले हिन्दी में लिखी जाती है, फिर उसका अंग्रेजी में अनुवाद होता है, इस संबंध में कोई आदेश है क्या ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसका ठीक-ठीक जवाब देना कठिन है। जो अधिकारी होता है यह उस पर निर्भर करता है। मैं खुद अपने को अपराधी मानता हूं क्योंकि कभी-कभी मुझे भी कोई ड्राफ्ट करना पड़ता है तो मैं पहले अंग्रेजी में करता हूं और फिर उसे हिन्दी में करता हूं। इसलिये इसके बारे में कुछ कहना कठिन है। आदेश कुछ नहीं है।

श्री देवनारायण भारतीय---माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कठिनाइयां बतायी हैं जोकि बाधक हैं सारा काम हिन्दी में होने में, तो क्या वे यह बताने की कृपा करेंगे कि इन बाधाओं के होते हुए कब तक वे आशा करते हैं कि सारा काम हिन्दी में होने लगेगा और यह बाधायें दूर हो जायेंगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---माननीय सदस्य ने कान्सटीट्यूशन को पढ़ा ही होगा। कम से कम सन् १९६५ तक तो बाधायें दूर नहीं होंगी। उसके बाद की भगवान जाने।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---यह जो गश्ती चिट्ठी है उसके साथ जो नोट हैं उसके पाचवें पृष्ठ के आठवें पैराग्राफ में यह कहा गया है कि राज्य सरकार इस समय इन निर्णयों या डाइरेक्टिव्ज की प्रतीक्षा कर रही है, राष्ट्रपति से, तो राष्ट्रपति के यह डाइरेक्टिव्ज कब तक आ जाने की आशा है ? क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं ठीक-ठीक नहीं कह सकता कि कब तक आ सकेंगे।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह जो गश्ती चिट्ठी भेजी गयी है यह सब ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेन्ट्स को ही भेजी गयी है या कामर्शियल डिपार्टमेन्ट्स को भी भेजी गयी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सरकार के जितने डिपार्टमेन्ट्स हैं और जिनसे उसकी लिखा-पढ़ी चलती है, उनको भेजे गये हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकारकोई ऐसे आदेश देने की कृपा करेगी कि भविष्य में जब कभी इस प्रकार के अनुवाद की आवश्यकता हो तो वह पहले हिन्दी में बनाये जायं और फिर अंग्रेजी में उसका अनुवाद हो ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह बात ठीक है, लेकिन उस आदेश का पालन कैसे हो सकेगा, यह मैं नहीं कह सकता।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी प्रदेश के पुलिस विभाग को यह आदेश देने की कृपा करेंगे कि वह अपना पत्र-व्यवहार सब हिन्दी में किया करें ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जैसे कि और विभागों को आदेश दिये गये हैं, पुलिस विभाग को भी गये हैं।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष---कार्य स्थगन प्रस्ताव तो मैंने कोई स्वीकार नहीं किया।

राजकीय सेकेंडरी हाई स्कूलों के अध्यापकों को सेवा कार्य से अलग करने की नोटिस के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---श्री तेजबहादुर और चन्द्रजीत यादव के ध्यान आकृष्ट करने वाले विषय में लिये लेता हूं। "उत्तर प्रदेश के गवर्नमेन्ट सेकेन्डरी हाई स्कूलों में करीब २,००० अध्यापकों को, जिनमें पुरुष और महिला अध्यापक शामिल हैं, सेवा कार्य से अलग करने की नोटिसेज जारी होने के फलस्वरूप प्रदेश के अध्यापकों में गहरा असन्तोष व्याप्त है और विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। इस आवश्यक गंभीर परिस्थिति पर आपके द्वारा संबंधित मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।"

माननीय शिक्षा मंत्री इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे ? आज डालेंगे ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—अभी डाल दूंगा।

श्री अध्यक्ष—ठीक है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—श्रीमन्, जहां तक २,००० अध्यापकों का उल्लेख किया गया है, तो ऐसी बात तो नहीं है। जो सूचना मिली है उसके अनुसार २००, २५० नोटिस दिये गये हैं। उसका कारण यह है कि लोक-सेवा आयोग द्वारा जो अध्यापक चुन लिये जाते हैं और टीचर्स का नया चुनाव हो जाता है, तो टेम्पोरेरी काम करने वालों के स्थान पर वे चुने हुए मुकर्रर किये जाते हैं। टेम्पोरेरी अध्यापकों को नोटिस दिया जाता है कि आपकी सेवा समाप्त की जाती है। ऐसी ही नोटिस दी गई है, एक महीने की चाहे कोई अध्यापक हों या अध्यापिका। दूसरी बात यह भी है कि सी० टी० के अध्यापक और अध्यापिकाओं का चुनाव भी एक डिपार्टमेंटल कमेटी के जरिये होने वाला है। वह चुनाव भी बहुत जल्द समाप्त हो जायगा। जो लोग टेम्पोरेरी हैं और चुने नहीं गये, उनको तो नोटिस दिया ही जायगा, जो नियमतः है।

इतना और निवेदन करना चाहता हूं कि प्रायः ऐसे नोटिस हमको हर साल देने पड़ते हैं। हम यह चेष्ठा करते हैं कि जो लोग हमारे यहां काम कर रहे हैं, क्योंकि स्थान बढ़ते जाते हैं, जिन्हें अलग किया जाता है या नोटिस दिया जाता है, उन्हें कहीं न कहीं टेम्पोरेरी हम चलाते रहें जब तक कि वे फिर कमीशन के सामने न जावें। हां, अगर स्थान रिक्त नहीं हों और दूसरे लोग चुनाव होकर आ गये, तो फिर नियमतः यह नोटिस उनको दे दी गई है। किसी को निकालने का विशेष प्रश्न नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतावेंगे कि जिनको नोटिस दिये गये हैं उनके लिये वह कोई व्यवस्था कर रहे हैं और क्या यह सही है कि कमीशन में उनके सेवाकाल का लिहाज नहीं रखा जाता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कमीशन के सामने रेकार्ड तो भेज ही दिया जाता है कि इतने वर्ष से ये काम कर रहे हैं और डिपार्टमेन्ट की रिपोर्ट भी भेज दी जाती है। हमारे सेक्शन्स बढ़ते हैं, जगह बढ़ती हैं, हमने हाई स्कूलों को इंटर किया, जूनियर हाई स्कूलों को हाई स्कूल किया, तो स्थान हमारे पास होते चलते हैं। जो काम करने होते हैं, इसलिये कि उनको हटाना न पड़े, उनको स्थान देते रहते हैं। इस प्रकार २, ४, ५ वर्ष तक वे चलते रहते हैं। रियायतन यह चीज चलती है।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—कार्य को क्रमशः न करके बैच बाई बैच न करके एकायक करने की क्या जरूरत पड़ गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—बैच बाई बैच तो होता ही है। कुल अध्यापकों की संख्या २००–२५० थोड़े ही हैं। कभी अंग्रेजी का कभी ज्योगरफी का, कभी हिन्दी के और कभी गणित के अध्यापकों का चुनाव होता है, इसी तरह होता रहता है।

श्री अध्यक्ष— उन्होंने ढाई सौ तथा २०० नहीं सुना। २,००० समझा है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैंने शिक्षा संचालक के यहां की रिपोर्ट देखी और २,००० की बात तो सही नहीं है। २००, ढाई सौ नोटिस दिये गये हैं। नोटिस में, मान्यवर, यह लिखा है कि एक महीने की तुमको नोटिस दी जाती है लेकिन जब तक आपके स्थान पर कोई दूसरी नियुक्ति न हो, आप काम करते रहें। इसके मानी यह हैं कि उनको खपाने का प्रयास है, सड़क पर फेंकने का नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या मंत्री जी यह आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि जैसे वह पुराने टीचर्स के लिये करते हैं वैसे ही इन २००, ढाई सौ को भी मौका देंगे ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने कहा है कि हर साल ऐसा होता है। आपके द्वारा २०० में एक शून्य बढ़ा दिया गया है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---हर साल मई में नोटिस दी जाती है लेकिन इस वर्ष जुलाई में दी गई, जिससे खलबली मची हुई है। तो क्या यह सही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---कमीशन से चुनाव का रिजल्ट आने के बाद हम नोटिस दे देते हैं। अक्सर कोशिश इस बात की करते हैं कि सेशन के शुरू होने से पहले ही दे दें ताकि कोई कहीं जा सके। किस तारीख को नोटिस दिया गया, यह मैं नहीं जानता लेकिन मुझे इससे कोई बड़ी घबराहट इसलिये नहीं है कि इसमें ऐडजस्ट करने की कोशिश डिपार्टमेन्ट करे, ऐसा आदेश सरकार का है। बहुधा ऐडजस्ट होता भी रहता है जब तक कि कोई ऐसी बात न आ जावे कि वह असंभव हो जाय।

लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बन्धित डिग्री कालेजों में प्रातः एवं सायंकाल कक्षायें न लगाने के आदेश के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---अब श्री रामसुन्दर पाण्डेय द्वारा ध्यान आकृष्ट करने के बारे में आज उत्तर देने के लिये माननीय मंत्री जी ने कहा था। लखनऊ विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने १ अगस्त सन् १९६० से विश्वविद्यालय से संबंधित सभी डिग्री कालेजेज को आदेश दिया है कि प्रातः एवं सायंकाल को कक्षायें न लगाई जावें। इस आदेश से संबंधित कालेज के हजारों छात्र, जो अधिकांश नौकर पेशा हैं, अध्ययन से वंचित होने जा रहे हैं। इससे असन्तोष व्याप्त हो गया है। इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न के ऊपर ध्यान आकृष्ट किया गया है।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---इस प्रश्न का संबंध सीधे-सीधे मौजूदा सरकार से नहीं है। यह विश्वविद्यालय से संबंधित है। एसोसियेटेड कालेजों में जो लिखाई पढ़ाई होती है वह विश्वविद्यालय के निर्देश, नियम, उनके आर्डिनेंस और हुकम के अनुसार होती है। लखनऊ विश्वविद्यालय में ११-१२ एसोशियेटेड कालेजेज हैं। जानकारी हासिल करने पर यह पता लगा कि कान्यकुब्ज कालेज कान्यकुब्ज, वाकेशनल कालेज, डी० ए० वी० कालेज, विद्यान्त हिन्दू कालेज, खुनखुनजी कालेज और शशिभूषण बालिका विद्यालय, इन ५-६ कालेजेज में प्रातः काल पढ़ाई हो रही है। इस वर्ष चान्सलर ने यूनिवर्सिटी को एक पत्र लिखा। उसमें उन्होंने यह लिखा कि प्रदेश भर में जितने भी विश्वविद्यालयों से एसोशियेटेड कालेजेज हैं उनमें १० से ४ बजे तक दिन में पढ़ाई होती है तथा डिग्री क्लासेस के लिए फुल टाइम टीचर्स रखे जाते हैं लेकिन इन कालेजेज में साढ़े छः से दस बजे तक पढ़ाई होती है और पार्ट टाइम टीचर्स रखे जाते हैं, जो उस काम को भी करते हैं और दूसरे काम भी करते हैं। इस प्रकार से हायर एजूकेशन को नुकसान पहुंचता है। उन्होंने यह भी कहा कि अब वेतन-क्रम बढ़ा दिये गये हैं। जब उसमें फुल टाइम काम करने वाले टीचर्स मिल जाते हैं तो फिर कोई वजह नहीं है कि उतने ही ग्रेड के यहां पार्ट टाइम टीचर्स रखे जायं। इसलिये पूरी तनख्वाह देकर पूरे टाइम के लिये ही टीचर्स रखे जायं ताकि ऊंचे दर्जों की शिक्षा को कोई नुकसान न पहुंचे।

इस पर वाइस-चांसलर ने इन कालेजेज को एक सर्कुलर भेजा कि आप लोग पढ़ाई का समय वही रखें जो हमारी यूनिवर्सिटी और उत्तर प्रदेश के दूसरे विश्वविद्यालयों से संबंधित कालेजेज में है ताकि विद्यार्थियों को पूरे समय पढ़ने को मिल सके और टीचर्स के भी परमानेन्ट एप्वाइन्टमेंट्स हो सकें, क्योंकि इससे पढ़ाई की व्यवस्था ठीक नहीं चलती है। ये तो वे कालेजेज हैं जो वर्षों से सुबह पढ़ा रहे हैं लेकिन मुझे ऐसी भी सूचना मिली है कि इस वर्ष ही कुछ कालेजेज ने यह दरख्वास्त दी कि हमको भी सुबह पढ़ाने की इजाजत दी जाय और इस पत्र को पाकर उन्होंने इस बात को बदलने की कोशिश की।

यह बात सही है कि इन कालेजेज में बहुत से सरकारी कर्मचारी पढ़ते हैं जो सुबह के समय में पढ़कर दिन में यहां काम करते हैं, उन्हें कुछ असुविधा हुई है।

यह आधार है उसका। यानी चान्सलर ने उनको पत्र लिखा और उसके प्रकाश में उन्होंने कालेजेज को सर्कुलर भेजा। मैंने इस बारे में यूनिवर्सिटी से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमें किसी कालेज ने यह नहीं लिखा है कि इससे उन्हें कोई असुविधा हो रही है और अगर कालेजेज को कोई असुविधा हो रही होगी तो हम उस पर विचार करेंगे ताकि उनकी वह असुविधा दूर की जा सके।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बतायेंगे कि वाइस-चांसलर ने ऐसे आदेश जारी करने से पहले सरकार से मशविरा किया था या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—चान्सलर ने उनको लिखा सरकार से उसका कोई संबंध नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री जी यह बतायेंगे कि सरकार ने जो सुविधा सरकारी कर्मचारियों को पढ़ने की दी थी कि वे सुबह और शाम स्कूलों में पढ़ सकते हैं तो क्या सरकार उनको उस सुविधा से वंचित न करेगी ?

श्री अध्यक्ष—यह तो स्पष्ट ही है कि वे वंचित रहेंगे। आप दूसरा प्रश्न कीजिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या इस आज्ञा से वे सरकारी नौकर वंचित हो जायेंगे जिनको सरकार ने पढ़ने की सुविधा दी है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो स्पष्ट ही है कि वंचित हो जायेंगे।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बहुत से सरकारी कर्मचारी जिन्होंने बी० ए० आर्ट फर्स्ट पास कर लिया है और बी० ए० फाइनल एक्जामिनेशन के लिये फीस जमा कर दी है और ऐडमिशन ले लिया है, कुलपति और उप कुलपति को लिखने की मेहरबानी करेंगे कि यह आदेश जो जारी किया गया है, इस साल जारी न किया जाय ताकि जो लोग फाइनल कक्षा में चले गये हैं वे अपना कार्यकाल पूरा कर सकें ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं समझता हूं कि जो एसोसिएटेड कालेज हैं उन्हें वाइस-चांसलर को लिखना चाहिये कि इस तरह की असुविधा हो रही है ताकि उनके नोटिस में यह बात आवे। जैसा मैंने कहा कि मेरी वाइस-चांसलर से इस विषय में बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा कि वे इस पर विचार करेंगे और फिर चांसलर के सामने वह प्रश्न उपस्थित होगा।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या यह सही है कि जब तक इन एसोसिएटेड कालेजों के ऐडमिशन का वक्त था इस तरह का आदेश नहीं दिया गया और जब पढ़ने वाले लोगों ने अपना ऐडमिशन कराया और एक बड़ी लम्बी रकम खर्च कर दी उसके बाद इस समय सेशन के बीच में क्या सरकार ऐसा नहीं समझती है कि इस प्रकार की कार्यवाही अनुचित होगी ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने एक सुझाव दिया है और उससे आपको समझ लेना चाहिये। अब सरकार की राय पूछना कि अमुक उप-कुलपति की आज्ञा उचित होगी कि अनुचित, मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है क्योंकि यूनिवर्सिटी एक आटोनामस बाड़ी है।

श्री गौरीशंकर राय—जब सरकार और मामलों में चांसलर को सलाह दिया करती है तो क्या वह उनको शिक्षा के संबंध में भी सलाह देगी कि इस तरह का आदेश जो आपने दिया है, और किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है, जो कि प्रदेश में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं ?

श्री अध्यक्ष—चांसलर को सरकार सलाह नहीं देती है। कांस्टीट्यूशन में यह चीज नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय—इस सिलसिले में मैं एक चीज निवेदन कर दूं कि जब विद्यार्थी ऐडमिशन लेते हैं तो एक तरह का ऐग्रीमेंट होता है कि वह इंस्टीट्यूशन उनको दो साल तक पढ़ाई की सुविधा देगा, इस एग्रीमेन्ट का ब्रीच हो रहा है, तो क्या इस तरह का ब्रीच सरकार द्वारा रोका नहीं जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष—बात यह है कि ऐग्रीमेंट जो होता है उसकी वजह से क्या परिणाम होगा, उसको आप भी जानते हैं। यह कानून की बात है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—मैं शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कल एसोसियेटेड कालेजों ने एक प्रस्ताव पास किया है और उन्होंने एक प्रार्थना पत्र यूनिवर्सिटी को दिया है कि वह दोबारा इस पर विचार करे, तो क्या माननीय मंत्री जी इस नई परिस्थिति को देखते हुये इस सम्बन्ध में यूनिवर्सिटी को कोई परामर्श देंगे जैसा कि उन्होंने आश्वासन दिया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जो परामर्श मांगेगा उसको हम परामर्श देंगे। माननीय सदस्य मांगें, यूनिवर्सिटी मांगे, चांसलर मांगे जो कोई भी परामर्श मांगेगा उसे हम जरूर परामर्श देंगे, लेकिन वाइस चांसलर से जो मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि अगर इस आदेश की वजह से लोगों को असुविधा है तो वे इस सम्बन्ध में लिखेंगे तो यूनिवर्सिटी जरूर विचार करेगी।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो कार्यवाही की गई है, चांसलर के लिखने के मुताबिक की गई है, तो क्या सरकार की ओर से चांसलर को कोई ऐसा सुझाव दिया गया था ?

श्री अध्यक्ष—यह जवाब दिया जा चुका है कि उनकी तरफ से कोई सुझाव नहीं दिया गया।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि वाइस चांसलर ने यह कहा है कि अगर वे एसोसियेटेड कालेज दरख्वास्त दें कि इस तरह की असुविधा हो रही है तो उन पर वे विचार करेंगे, तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि प्रदेश के उन कालेजों ने जिनके यहां इस तरह की पढ़ाई चलती थी जो बन्द की गई है, उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा है और जो लड़के उनमें पढ़ते थे उनके अभिभावकों ने एक प्रस्ताव पास करके सरकार के पास भेजा है और यह दरख्वास्त की है कि सरकार इस बीच में इंटरवीन करे और इस प्रकार की दिक्कतों को देखते हुये चांसलर से दरख्वास्त करे कि वे अपने इस आर्डर को बदलें, तो क्या सरकार चांसलर से इस तरह की दरख्वास्त करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं समझता हूं कि चांसलर से दरख्वास्त करना उचित नहीं होगा। चांसलर और वाइस-चांसलर आपस में इस बात को समझ लेंगे और यदि लोगों को असुविधा हो रही है तो उन्हें वाइस-चांसलर को लिखना चाहिये। सरकार की राय बार-बार पूछने के सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया कि अगर सरकार से कोई परामर्श लेगा तो सरकार जरूर परामर्श देगी। लेकिन सरकार से उसका कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। इसका सीधा सम्बन्ध यूनिवर्सिटी से है। जैसा कि मैंने बतलाया कि वाइस-चांसलर ने जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है कि आप लोग पार्ट टाइम टीचर्स रखते हैं जिससे पूरी पढ़ाई नहीं हो सकती, इसलिये १० बजे से ४ बजे तक का टाइम ठीक होगा। अब अगर कोई असुविधा होती हो तो उस सम्बन्ध में वाइस-चांसलर को लिखें, वे उस पर अवश्य विचार करेंगे। इस तरह का उनका पत्र आया है। तो एसोसियेटेड कालेजों से जिन लोगों को ज्यादा हमदर्दी है वे उनसे कहें कि वे वाइस चांसलर को लिखें।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—क्या इस बात को देख कर और विचार करके सरकार सिफारिश करेगी कि जो ४–५ कालेज हैं और जिनका परीक्षाफल यूनिवर्सिटी से अच्छा आता है और इसी को आधार मानकर ऐसा किया जा रहा है कि सुबह शाम की क्लास वहां न हो, सरकार उनका परीक्षाफल देखकर सिफारिश करेगी कि उनका पुनः विचार किया जाय ?

श्री अध्यक्ष—यह तो स्पष्ट जवाब उनकी तरफ से हो चुका कि वह बीच में भदाखलत करना नहीं चाहते और इसलिये भी वह नहीं करना चाहते क्योंकि वाइस-चांसलर स्वयं कहते हैं कि अगर कोई दिक्कत है तो वह संस्थ यें हमारे पास लिख कर भेजें, इसका यह भी मतलब है कि वाइस-चांसलर स्वयं भी कोई भदाखलत नहीं चाहते। वह चाहते हैं कि विश्वविद्यालय चूंकि एक अटोनामस बाडी है इसलिये जो कुछ भी उन कालेजेज का कहना है वह सीधे उनके पास लिख कर भेजें, वह भी चाहते हैं कि जो उनके अधिकार हैं उनके अनुसार ही कार्यवाही हो। इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री गौरीशंकर राय—क्या सरकार को मालूम है कि विश्व की प्रसिद्ध एक बड़ी संस्था "लन्दन स्कूल अफ एकनामिक्स" है जिसकी क्लाजेज बहुत बड़े नगरों में प्रातः और संध्या को ही होती हैं और उनका परीक्षाफल भी अच्छा रहता है तो फिर सरकार इस प्रकार क्यों नहीं सोचती कि इस प्रकार सुबह शाम पढ़ने से जब शिक्षा का स्तर नहीं गिरता और यह सिद्ध हो चुका है कि इन संस्थाओं का परीक्षाफल अच्छा रहता है तो क्या आपत्ति है इसमें ?

श्री अध्यक्ष—आप सरकार को बार-बार पकड़ रहे हैं, आप को यह बहस वाइस-चांसलर से करना चाहिये।

श्री प्रतापसिंह—अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसका सीधे सम्बन्ध सरकार से नहीं है, इस वाक्य को मैं जरा स्पष्ट कर दूं, इस में प्रश्न विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का नहीं बल्कि प्रश्न सरकार के उन एम्पलाइज का है जिन को सरकार ने आगे पढ़ने की सुविधा अपनी आज्ञा से दी है, सरकार उनको अब ज्यादा क्वालीफाइड, हाई स्कूल के बजाय ग्रेजुएट चाहती है, सरकार ने सुविधा दी कि तुम इस पीरियड में बी० ए० पास कर लो। तो सरकार ने एज एम्पलायर उनको इजाजत दी है इसलिये वह बीच में आती है।

श्री अध्यक्ष—इसीलिये उन्होंने आप के लिये दूसरा रास्ता निकालकर बता दिया, अब आप उनके ऊपर अपना रास्ता फोर्स नहीं कर सकते। उनको स्वयं इस बात का खयाल रहा होगा कि इससे सरकारी नौकरों का नुकसान होता है और इसीलिये उन्होंने इतनी पूछताछ की और उप-कुलपति से पुनर्विचार करने की अनुमति प्राप्त की।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—सदन में जो प्रश्नोत्तर इस सम्बन्ध में हुआ है और जनता का असन्तोष मंत्री जी के नोटिस में आया है उसको देखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी चांसलर महोदय को इस प्रश्नोत्तर की सूचना देकर यह निवेदन करने का कष्ट करेंगे कि वह अपने निर्णय को फिर से दोहरा लें ?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं, मैं स्वयं कई बार इस चीज को कह चुका हूं कि आप ऐसे प्रश्न नहीं कर सकते कि जिसमें आप कहें कि सरकार रोजाना प्रतिबन्ध के कार्य में भदाखलत करे किसी एक अटोनामस बाडी के कार्य में। उसका वही तरीका हो सकता है जैसा कि उन्होंने बताया कि वह कालेजेज वाइस-चांसलर को लिखें कि अमुक दिक्कत है। कोई और तरीका नहीं हो सकता।

श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)—जो रिजोल्यूशन सरकार के पास भेजा गया है उसको देखते हुये आदेश न भेजें लेकिन वाइस-चांसलर का ध्यान आकर्षित करने में क्या आपत्ति है और उसका आधार क्या है ?

श्री अध्यक्ष—आपका समझने का इरादा ही नहीं है । मैं इस प्रश्न की इजाजत नहीं दूंगा, उन्होंने स्पष्ट बता दिया कि उन्होंने पूछताछ की, वाइस चांसलर का जवाब भी आया, उस पर उन्होंने रास्ता भी बता दिया लेकिन आप चाहते हैं कि मंत्री जी को आर्डर देना चाहिये या सरकार को कोई सुझाव या सिफारिश करना चाहिये लेकिन मैं समझता हूं कि आप के सुझाव भी मंत्रियों के सुझाव से कम नहीं हैं । ऐसा लगता है कि आप ने जो भावनायें व्यक्त की हैं उनको आप नाकाफी समझते हैं और उनका महत्व आप नहीं समझते हैं । बार-बार प्रश्न हो रहे हैं, लेकिन प्रश्न काफी हो गये हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—शिक्षा मंत्री जी उन सरकारी कर्मचारियों के लिये जिनको कि सरकार ने स्वयं आज्ञा दी है कि पढ़ सकें, अगर विश्वविद्यालय ने इस प्रकार का कोई प्रबंध नहीं किया तो कोई आल्टरनेशनटिव अरेन्जमेन्ट कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—अब यह हाइपोथेटिकल हो गया । उनके उत्तर से तो आपको विश्वास होना चाहिये कि कोई न कोई उचित कार्यवाही होगी ।

श्री चन्द्रजीत यादव—माननीय मंत्री जी क्या वह तारीख बतलाने की कृपा करेंगे जिस दिन चांसलर ने वाइस-चांसलर को खत लिखा है कि इस प्रकार की व्यवस्था बन्द करें ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—चांसलर का जो खत गया है वह २३ जुलाई का है ।

श्री देवनारायण भारतीय द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत दिये गये प्रश्न के सम्बन्ध में जानकारी

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—श्रीमन्, मैंने कल एक कामरोको प्रस्ताव दिया था और आज दफा ५२ के अन्तर्गत भी प्रश्न दिया है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में फिर विद्यार्थियों में कुछ गड़बड़ी हो रही है.....

श्री अध्यक्ष—मैंने उस कामरोको प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया.....

श्री देवनारायण भारतीय—दफा ५२ में दिया है.....

श्री अध्यक्ष—उसको भी नहीं लिया.....

श्री देवनारायण भारतीय—वह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रान्त में एक बहुत...

श्री अध्यक्ष—यह तो आपका मत है, मैंने उसको इजाजत नहीं दी, इतना महत्व नहीं समझा उसका ।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक पर विचार के समय सवा एक से सवा दो बजे तक बैठक स्थगित करने का प्रस्ताव

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह (जिला गोंडा)—श्रीमन्, मैं एक प्रस्ताव करना चाहता हूं कि सवा बजे से सवा दो बजे तक लंच के लिये सदन स्थगित कर दिया जाय क्योंकि कल के अनुभव से हमने देखा कि उन पर बड़ा भारी स्ट्रेन पड़ता है जिन लोगों को कि इसमें दिलचस्पी होती है । सरकार के पास तो कई साधन हैं, एक नहीं तो दूसरे मंत्री जी बैठे हैं, लेकिन सदस्यों के लिये बड़ी दिक्कत होती है । कल हमारे चन्द्रजीत जी ने भी कहा था, शायद सरकार को कुछ भ्रम हो गया, वह यही चाहते थे कि एक दिन और बढ़ा दिया जाय तो उससे एक घंटे की कमी पूरी हो जायगी । मैं नेता सदन से भी यह आशा करता हूं कि वह इसे मान लेंगे ।

श्री अध्यक्ष—नियम को निलम्बित करके एक घंटा आप चाहते हैं । यही मैंने आपसे कहा था कि प्रस्तुत विधेयक को १० की बजाय ११ तारीख को समाप्त करने के लिये सरकार तैयार हो तब तो समय मिल जायेगा । अगर एक अ ध घंटे की कमी रह जायेगी तो वह पूरी कर लेंगे । अगर सरकार सहमत हो तो मैं इजाजत दे दूंगा ।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—अध्यक्ष महोदय, मैं तो इस बात पर तैयार हूं कि १० तारीख के बजाय ११ तारीख हो, लेकिन इस शर्त पर कि एक पंचायत अमेंडिंग बिल है वह ११ तारीख को ही खत्म कर दिया जाय । इसके अलावा हम और कोई ज्यादा वक्त देने के लिये तैयार नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष—दो बिल एक साथ चलेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—दो-डेढ़ घंटा उसके लिये काफी है ।

श्री अध्यक्ष—मतलब यह कि आप चाहते हैं कि ११ तारीख को ३ बजे तक यह समाप्त कर दिया जाय और उसके बाद २ घंटे में दूसरा विधेयक समाप्त कर दिया जाय । वह बिल क्या पास होना है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां, पास होना है ।

श्री अध्यक्ष—यह तो सदन के साथ ज्यादती थोड़ी इसलिये होगी क्योंकि आपका बिल जब सदन के सामने आये तभी तो पता चले कि उसमें कितना समय लगेगा ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—तो ऐसे ही चलने दीजिये, लंच न हो ।

श्री अध्यक्ष—तो मैं उस प्रस्ताव के लिये इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—आपके द्वारा श्रीमन्, नेता सदन से निवेदन करूंगा .....

श्री अध्यक्ष—आप बैठें मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, १९५९
खंड ३ (क्रमागत)*

**श्री गोविन्द नारायण तिवारी (जिला जालौन)—अध्यक्ष महोदय, कल मैंने खंड ३ के उपखंड (क) में संशोधन पेश किया था और उस पर बोल रहा था। इस खंड से इस बात का पता चलेगा कि वर्तमान सरकार सीलिंग के सिद्धांत में कहां तक विश्वास करती है । इससे यह भी पता चलेगा कि इस वर्तमान विधेयक के द्वारा सरकार किनको लाभ पहुंचा रही है और किनको हानि। धारा ४, ६, १६ यह तीनों मिला कर जब पढ़ी जायेंगी तब इस खंड का अर्थ समझ में आयेगा। धारा ६ के अन्तर्गत जो ऐग्जेम्पशन्स दिये गये हैं उनके ऊपर गौर करना श्रीमान्, बड़ा आवश्यक है । धारा ६ ....

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमान्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सदन के अन्दर गरीब सदस्यों की कोई सुनवाई नहीं होती है। जब हम लोग निवेदन करते हैं तो श्रीमन् उस पर गौर नहीं करते हैं। यह सदन बड़े आदमियों का है। बिड़ला का है, टाटा का है। यहां गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है, हमारा अपमान किया जाता है। इसलिये मैं सदन का १ घन्टे के लिये त्याग करता हूं।

(श्री टीका राम पुजारी ने सदन का परित्याग किया)

---

* अगस्त, १९६० का कार्य ही से ।
**वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी—तो मैं कह रहा था कि धारा ६ की उपधारा (१) को देखा जाय कि जिसमें लिखा 'Grove land existing as such prior to 1st May, 1959" इसमें यह भी जरूरी नहीं है कि ग्रोव लैंड का कहीं रेकार्ड हो। अगर यह भी लिखा जाता कि Grove land recorded as such prior to 1st May, 1959" तब भी ठीक रहता। ग्रोव लैंड जहां लिख दिया गया है कोई भी आदमी जिसको जमीन की भूख होगी वह आकर नियत अधिकारी के सामने दरख्वास्त देगा। इस कानून में यह कहीं नहीं लिखा है ग्रोव रेकार्डेड होना चाहिये। तो कोई भी आदमी एक साल पहले के दरख्त लगा लेगा और सीलिंग से ग्रोव लैंड के नाम पर ५०–१०० एकड़ तक जमीन बचा लेगा।

माननीय मंत्री जी ने १९५२ का ऐक्ट पायलट किया था, उसके पहले १९३९, के ऐक्ट का भी उनको तजुर्बा है। यह बड़ी निर्विवाद बात है कि हाई कोर्ट और बोर्ड आफ रेवेन्यू में ग्रोव की डेफीनेशन पर बड़ा झगड़ा है। हाई कोर्ट ने ग्रोव को किसी दूसरे तरीके से डिफाइन किया, बोर्ड ने दूसरे तरीके से। १९३९ और १९५२ के ऐक्टों में ग्रोव लफ्ज की जो डेफीनीशन है उनमें बड़ा लिटीगेशन हुआ। जो मौजूदा विधेयक है इसमें भी पिछले तजुर्बों का लाभ नहीं उठाया गया। तो ग्रोव की सारे के सारे ऐक्ट में कोई भी डेफीनीशन नहीं है। श्रीमन्, क्या बबूल का दरख्त ग्रोव मान लिया जायगा, टिम्बर ट्रीज होंगे उनको ग्रोव मान लिया जायगा, ग्रोव की कोई डेफीनीशन होना चाहिये। सीलिंग के एरियाज से ग्रोव को निकाला जा रहा है। तो इस सिलसिले में मैं यह निवेदन कर दूं कि अगर आप इस सारे के सार ऐक्ट की स्कीम पर गौर करें तो बुन्देलखंड के बाहर के एरिया में ७० एकड़ की सीलिंग होगी। ७० एकड़ से कम की सीलिंग इस विधेयक के जरिये से ज्यादा नहीं होती। अगर इसकी धारा १६ देखें तो धारा १६ में दिया गया है जब यह तै होने लगेगा कि फलां आदमी के पास इतनी सरप्लस लैंड है, उस सरप्लस लैंड को जब हम दे रहे हैं और वह आदमी कहे कि हमें १० एकड़ दे दीजिये हम इसमें ग्रोव लगायेंगे तो उसके एग्जिसटिंग ग्रोव्स बच जायेंगे और १० एकड़ और मिल जायेंगे।

४ हजार बीघा अगर गांव का रकबा है तो ७ एकड़ जमीन ग्रोव की जमीन होगी। बुन्देलखंड के ऊपर अगर इसे एप्लाई करें तो आपको वहां १० एकड़ का ग्रोव नहीं मिलेगा। मलिहाबाद में अगर आप देखें तो ३० एकड़ जमीन है और १८० बीघा का हमारे पास ग्रोव है। बुन्देलखंड में ४,००० गांव हैं, किसी गांव में जाइये १० एकड़ क ग्रोव देखने को नहीं मिलेगा। फिर जैसा मंत्री महोदय ने कहा कि बुन्देलखंड बड़ा बैकवर्ड एग्रीकल्चरली है। इसलिये वहां जमीन के लिहाज से ज्यादा जमीन देने की चेष्टा करेंगे। लेकिन जैसा मदन मोहन जी ने बतलाया बुन्देलखंड का जैसा फ्रेम है बुन्देलखंड के बाहर रहने वालों को ज्यादा जमीन और बुन्देलखंड में रहने वालों को कम जमीन मिलेगी और यह वहां एप्लाई होगा जहां जमींदारी अबोलीशन ऐक्ट एप्लाई कर दिया गया है। तो जो मर्ज्ड एरियाज हैं जैसे, दतिया, समथर, पन्ना, बावनी, चरखारी उनमें कोई जमींदारी नहीं थी, उनमें कोई सेटिलमेंट नहीं हुआ था। माननीय मंत्री महोदय ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया जब सेक्शन ४ लिखा गया कि कितनी जमीन कहां रही, सर्किल रेट क्या कहां है। तो मेरा निवेदन यह है कि ग्रोव को जो छोड़ दिया गया है तो ग्रोव को नहीं छोड़ना चाहिये। सीलिंग के कारण किसी मरघट, किसी कब्रिस्तान को छोड़ दीजिये किसी भावना के अन्दर तो बात समझ में आती है। लेकिन ग्रोव को छोड़ दीजिये जिसमें एग्रिकल्चरल प्रोड्यूस होता है और आमदनी होती है उसको सीलिंग से छोड़ दिया जाय यह बात समझ में नहीं आता।

बिल के आबजेक्ट्स एंड रीजन्स में, प्रिएम्बिल में तथा जनरल डिस्कशन के वक्त यह नहीं बतलाया कि इस ग्रोव को क्यों छोड़ा जा रहा है। क्या ग्रोव से आमदनी नहीं होती? मलिहाबाद में एक एक ग्रोव से ८०,००० की आमदनी होती है। उस को इस सीलिंग से बिलकुल मुक्त कर दिया जाय यह मुनासिब नहीं है। एक जमीन का टुकड़ा है जिसमें बागबानी होती है, उससे आमदनी होती है और दूसरे जमीन के टुकड़े में गेहूं पैदा करने से आमदनी होती है;

तो दोनों में समानता तो होनी चाहिये । इस वजह से मेरा निवेदन है कि इसके लिये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है । केवल यही एक जस्टिफिकेशन हो सकता है कि ये सीलिंग नहीं करना चाहते हैं । सीलिंग का स्लोगन तो देना चाहते हैं मगर उस स्लोगन के सैटिस्फाई करने में किसी भूमिहीन को जमीन नहीं देना चाहते । धारा ६ की उपधारा (२) में लिखा है —

"वह भूमि जो १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा १४३ के अर्थ में उद्योग के काम में लाई जाती हो ।"

श्रीमन्, जो जमींदारी एबालिशन ऐक्ट की धारा १४३ में दी गयी है उसको सीलिंग से विमुक्त करने का कौन सा कारण है ? क्या किसी छोटे काश्तकार ने यह इंडस्ट्री कायम की ? क्या किसी भूमिहीन ने या किसी विस्थापित व्यक्ति ने इस इंडस्ट्री को कायम किया ? यह तो समझ में आ सकता था कि जो गरीब लोग हैं उन्होंने अगर कोई इंडस्ट्री स्थापित की हो या छोटे-छोटे काछियों ने कहीं अपना कछियाना कर रखा हो तो उसको सीलिंग से विमुक्त कर दिया जाय, लेकिन धारा ६ की उपधारा (२) के अन्तर्गत जो जमीन सीलिंग से विमुक्त की जा रही है यह सीलिंग के सिद्धान्त के बिलकुल विरुद्ध है और सरासर अन्याय है ।

इसके बाद जहां तक उपधारा ६ (३) का प्रश्न है उसमें तो हमको एतराज नहीं मालूम होता । यह २ एकड़ जमीन जो खलिहान वगैरह के लिये दी जा रही है यह ठीक है । लेकिन सीलिंग के सिद्धान्त को देखा जाय तो ४० एकड़ तो वह हो गई, १० एकड़ यह हो गई और २ एकड़ यह हो गई और १ एकड़ हाट वगैरह के लिये पहले हो गई । इसके बाद देखें तो लिखा है "वह भूमि जिस पर निवास गृह हों तथा उससे अनुबद्ध क्षेत्र ।" इसमें यह भी नहीं दिया गया कि जिस आदमी की जमीन पर सीलिंग होगी उसको कितने निवास गृह दिये जायेंगे, कितना एरिया निवास गृह का माना जायगा । अगर वह निवास गृह ऐसा हुआ जैसा राजा साहब जगम्मनपुर का है .....

श्री अध्यक्ष—आप महल की बातें सोच रहे हैं ।

श्री गोविन्द नारायण तिवारी—निवास गृह के दो माने हैं । एक तो चाहे १९३३ का ऐक्ट देखें, चाहे १९५२ का ऐक्ट देखें, किसी भी रेवेन्यू लेजिस्लेशन को देखें, लैन्ड की परिभाषा जरूर कर दी गयी है । यह पहला बिल ऐसा आया है जिसमें लैन्ड की परिभाषा है ही नहीं । नतीजा यह हुआ कि सारा कन्फूजन हो गया । आबादी की लैन्ड इसमें शामिल होगी, आबादी के बाहर की लैन्ड शामिल होगी । हो सकता है कि मन्त्री महोदय का मंशा दूसरा हो मगर लैजिस्लेशन तो डेफिनिट होना चाहिये ताकि उसके इन्टरप्रेटेशन में बार-बार झगड़े पैदा न हों और लिटिगेशन किसी तरह से कम हो सके । तो यह जो दे दिया गया है कि निवास गृह और उससे अनुबद्ध क्षेत्र, तो वह क्षेत्र कितना हो । जार्पलिंग रोड की तरफ एक दफा मैं गया तो देखा किसी का एक बड़ा भारी बंगला बना हुआ है और उसके चारों तरफ एक बड़ा भारी अहाता घिरा हुआ है । मैं समझता हूँ कि शायद उसमें १०० एकड़ जमीन होगी । तो लैन्ड एपर्टिनेन्ट तो एक रीजनएबिल लैन्ड होनी चाहिये और यह उस आदमी के डिस्क्रीशन पर नहीं छोड़ देना चाहिये वरना वह अपना मकान बनायेगा और वहां से ४०० गज आगे एक फाटक बना लेगा और कहेगा कि यह सारी की सारी जमीन हमारे निवास गृह से अनुबद्ध है ।

श्रीमन, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि माननीय मन्त्री जी इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें कि खातेदार को निवास गृह के लिये कितनी जमीन दी जायगी वरना वह यह भी कर सकता है कि वह यह कहे कि यह हमारा बाहरी निवास गृह है, यह हमारा जनाना निवास गृह है और यह भी कह सकेगा जैसा कि हमारे राजा और महाराजाओं के यहां होता है कि यह हमारा गर्मी का निवास गृह है यह जाड़े का है और यह बरसात का है । आखिर कोई न कोई सीमा जरूर होनी चाहिये । इस तरह से कानून में लंकूना छोड़ देना ठीक नहीं होगा । इसलिये मैं इसका विरोध करता हूँ ।

[श्री गोविन्द नारायण तिवारी]

इसके बाद श्रीमन् देखें कि इसके उपखन्ड (१) में दिया है कि:—

"वह भूमि जो उत्तर प्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, १९५२ के उपबन्धों के अनुसार वितरण के लिये किसी भूदान समिति के पास हो, किन्तु वह भूमि नहीं जिसके सम्बन्ध में उक्त अधिनियम के अधीन कोई अनुदान कर दिया गया हो,"

श्रीमन, जब मैं भूदान के विषय में कोई बात कहता हूँ तो मुझे कभी-कभी बड़ी तकलीफ होती है। यह बात सही है कि विनोबा भावे जी की वजह से लाखों एकड़ जमीन सारे देश में प्राप्त हुई। लेकिन इसके साथ ही साथ यह बात भी सही है कि उसके वितरण में बड़ी गड़बड़ी हुई। श्रीमन, मैंने जालौन जिले में देखा है कि १४ हजार एकड़ जमीन उनको भूदान में दी गई। भूदान समिति के पास इतनी जमीन थी और जब उसके वितरण का सवाल आया तो ऐसे लोगों को जमीन मिल गई जो कानपुर के रहने वाले थे और सरकारी नौकरी या प्रेस में नौकरी कर रहे थे। इसके निवेदन की गरज मेरी यह है कि गलत आदमियों के हाथ में जमीन के पड़ जाने से उसका बड़ा दुरुपयोग होता है। यह भी है कि कहीं अच्छे आदमियों के हाथ में जमीन पड़ गई तो उसका उचित उपयोग हुआ। लेकिन जहां कहीं पार्टीबन्दी वाले लोगों के हाथ में पड़ गई या अनुचित लाभ उठाने वाले लोगों के हाथ पड़ पड़ गई तो उसका अच्छा उपयोग नहीं हुआ। इसलिये जब लैन्ड डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है तो मेरा निवेदन यह है कि सारी की सारी जमीन इसी एक पूल में डाली जाय। अगर यह मालूम होता कि इस विधेयक के जरिए १० लाख या ५ लाख एकड़ जमीन मिलेगी और यह भी मालूम होता कि भूदान समिति के पास ५ लाख एकड़ जमीन है तो सब को मिला कर एक पूल बनाया जाता ताकि वितरण में एक अच्छी व्यवस्था हो जाती और तब निश्चय किया जाता कि कितनी-कितनी जमीन प्रति आदमी दी जाय। इसलिये मेरा निवेदन यह है और मैं समझता हूँ कि १३ में जो एक्सेप्शन दिया गया है वह सेंटीमेन्ट्स के कारण दिया हुआ है। सरकार के द्वारा जो वितरण होगा वह नियमों के अनुसार होगा। इसलिये जो एक्सेप्शन दिया हुआ है उसमें न हो कर सारी जमीन को एक जगह पूल कर दिया जाय।

श्रीमन, १४ के मुताल्लिक मेरा कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद इस जमीन को टच नहीं किया जा सकता है। जो भारत सरकार ने निगोशियेबिल इंस्ट्रूमेंट्स ऐक्ट के अनुसार वायदा किया था उसके जरिये से यह भूमि नहीं आ सकती है। लेकिन मेरा एक निवेदन जरूर है कि यह जो लेजिस्लेशन इसमें हुआ है, जिसमें शासकों की जमीन छोड़ दी गयी है।

श्री अध्यक्ष—यह बात बहुत व्योरे में, दूसरी दफाओं के ऊपर जा रहे हैं। आप तो तीसरी दफा पर बहस कर रहे हैं। उसके लिये दो-तीन कारण बता देते काफी था।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी—अब मैं सोलहवीं पढ़ रहा हूँ—

"केवल कृषि प्रयोजनों के लिये प्रयोग की जाने वाली भूमि से भिन्न वह भूमि जो विशेषित फार्मों में सम्मिलित हो और जो अनन्य रूप से कुक्कट पालन या दुग्धशाला कार्य अथवा अन्य ऐसे प्रयोजनों के लिये जो नियत किये जायें प्रयुक्त होती हो," श्रीमन, मैं इसके एग्जेम्शन के खिलाफ हूँ।

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न यहां पर नहीं है। आप का संशोधन ३ (क) में है। उसमें आप यह बता रहे हैं कि विमुक्त भूमि से भिन्न भूमि किस कारण की वजह से आप हटाना चाहते हैं। उसके लिए दो-चार उदाहरण काफी हैं। लेकिन अगर आप खण्ड ६ जो आगे आयेगा, जिसमें १५, १६ उपखण्ड हैं, अगर उन पर कहने लगें तो दो दफा बहस हो जायगी। इसलिये आप का विवरण काफी हो गया। दो-चार उदाहरण काफी हैं।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी—बहुत अच्छा। इस लिये यह एग्जेम्शन सीलिंग के सिद्धांत के, जो कि इक्विटेबिल डिस्ट्रीब्यूशन आफ लैन्ड पर आधारित है, विरुद्ध है। इससे सीलिंग का परपज बिल्कुल फेल हो जायगा।

एक और निवेदन है। मैं इसको ऐग्रेरियल लेजिस्लेशन नहीं मानता। यह बिल्कुल पोलिटिकल लेजिस्लेशन है। इस मुल्क में कुछ प्रगतिशील दलों की ओर से एक आवाज आयी कि जमीन पर सीलिंग करना चाहिये और कांग्रेस ने भी फैसला किया, उसके फलस्वरूप यह उत्तर प्रदेश में लेजिस्लेशन आया। यह जमीन की समस्याओं को हल करने के लिये नहीं आया है। १९३९ में लेजिस्लेशन हुआ। दफा १७१ बना दी गयी। कहा गया कि काश्तकारों का बड़ा फायदा होगा। नये अधिकार दे दिये गये। लेकिन सैकड़ों लाखों काश्तकार बदखल हो गये। १९५२ में लेजिस्लेशन हुआ, कहा गया कि बहुत सी जमीन मिलेगी लेकिन कुछ भी जमीन न मिली। मैं माननीय माल मन्त्री और मन्त्रिमन्डल की इस बात की दाद देता हूँ कि वह रेवेन्यू लेजिस्लेशन में एक्सपर्ट हैं। वे इतने पुराने जमाने से रेवेन्यू लेजिस्लेशन करते चले आ रहे हैं तो कौन सी मुश्किल की बात है कि वह उसको न समझते हों? उन्होंने जो दूसरा लेजिस्लेशन जमींदारी अबालीशन का किया वह शहरों तक पूरा नहीं हो सका। उसके बाद यह लेजिस्लेशन आया। अगर आप इन लेजिस्लेशन पर गौर करें, तो सिर्फ स्लोगन मांगरिंग हुई, एक नारेबाजी हुई। किसी किसान को किसी स्टेज पर कोई फायदा नहीं हुआ। आज जैसा सीलिंग का बिल पेश किया गया है उससे भी किसी को कोई फायदा नहीं है। हमारा निवेदन यह है कि अगर गरीब को जमीन मिलनी है तो फिर वह विमुक्त भूमि जो रक्खी गयी है, वह क्लाज हटा दिया जाय ताकि एक सीलिंग ४० एकड़ की रह जाय।

***श्री अवधेश प्रताप सिंह** (जिला फैजाबाद)—मान्यवर, माननीय गोविन्द नारायण तिवारी जी के संशोधन के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि यदि मैं चाहूं भी तो भी मेरे लिये कोई उपाय नहीं है सिवाय इसके कि मैं उसका विरोध करूं। मान्यवर, वह भी वकील हैं और आप भी वकालत कर चुके हैं। जिस तरह से वह बहस कर रहे हैं मैं एक-एक चीजों का उनका जवाब देना चाहता हूँ।

उनको शिकायत यह है कि बाग जो हैं उनको एग्जेम्प्ट नहीं करना चाहिये। इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह विधेयक जो हमारे सामने प्रस्तुत है इसका उद्देश्य और कारण देखा जाय, इसका प्रिएम्बिल देखा जाय, प्रस्तावना देखी जाय तो उससे यह स्पष्ट है कि यह कृषि के उत्पादन के लिये जोतों की हदबन्दी लगायी जा रही है, भूमि की हदबन्दी नहीं है। इनका जो कहना है कि लैन्ड क्यों नहीं डिफाइन की जा रही है तो लैन्ड डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपकी आज्ञा से वकील साहब की जानकारी के लिये प्रस्तावना का अन्तिम हिस्सा पढ़ देना चाहता हूं—

"पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश में जोतों की अधिकतम सीमा आरोपित करने की व्यवस्था करना इष्टकर है।"

अतः जो सीलिंग है श्रीमान्, वह होल्डिंग्स की है। यह इस बात का जवाब है कि जोतों पर ही यह अधिकतम सीमा आरोपित करने की व्यवस्था करने के लिये यह विधेयक लाया गया है। और देखिये श्रीमन, प्रस्तावना के शुरू में दिया है—

"सामुदायिक हित के लिये यह आवश्यक है कि अधिक कृषि उत्पादन सुनिश्चित किया जाय तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिये तथा अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये भूमि की इस प्रकार व्यवस्था की जाय जिससे अधिकतम लोक हित साधन हो"।

मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि उन सिद्धांतों से मैं सहमत हूँ या न हूँ लेकिन सरकार जो यह विधेयक ला रही है यह कृषि उत्पादन हेतु ला रही है और उसमें वृद्धि कराने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

के लिये क्या माननीय तिवारी जी का यह मत है कि यह बाग एग्जम्प्ट न किये जायं और इनको लेकर पेड़ कटवाये जायं ? क्या यह नेशनल इन्टरेस्ट में होगा कि एक तरफ जब पेड़ लगवाये जा रहे हैं, सेकेन्ड फाइव ईयर प्लान और थर्ड फाइव ईयर प्लान में वन जितने हैं उनमें वृद्धि की जा रही है। पेड़ों को, दरख्तों को बढ़ाना चाहते हैं, तो यह किस दृष्टिकोण से, माननीय तिवारी जी यह चाहते हैं कि यह सरकार पेड़ों को ले और कटवा दे जबकि दूसरी तरफ सरकार इस बात के लिये एक नियन्त्रण रखे हुये है कि लोग पेड़ न काटने पावें। यह मैं समझ सकता था कि जो समाजवाद के पुजारी हैं, वह अधिक प्रोत्साहित होकर कानून न जानते हुए यह सब कहते तो मुझे शिकायत न होती, लेकिन जोकि एक अच्छे वकील हों, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में महज एक्सीडेंट से मौजूद हों उनके लिये जिनके पास जमीन मौजूद हो, जिनके पास बाग मौजूद हों, उनके लिये यह बात कहना कुछ उचित मालूम नहीं पड़ता है।

उनको दूसरी शिकायत है कि रेजीडेंशियल हाउस के सामने जो जमीन है वह भी एग्जम्प्ट नहीं होनी चाहिये।

(इस समय १२ बजकर ५८ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये तथा अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त पीठासीन हुए।)

श्रीमन, रूस और चीन में भी अगर किसी के पास घर है तो उसके सामने की जमीन उसी की मानी जाती है। अगर सोशलिस्ट पार्टी का समाजवाद इस तरह का है कि घर तो उस घर वाले का हो और उसके दरवाजे के सामने की जमीन सरकार को हो ताकि वह घर के बाहर न निकल सकें। अगर उनका मन्शा यह हो कि जिनके पास इस तरह की जमीन है, उन को आप हाउस एरेस्ट करना चाहते हैं कि वह हाउस एरेस्ट में रहें तो मैं उनको बताऊं कि इन लोगों की इस कदर तादाद बढ़ जायगी कि प्रान्त की पुलिस इतनी काफी नहीं होगी कि उनकी देख रेख कर सके। सरकार जो कुछ कर सकती है वह यह कि लैन्ड होल्डिंग पर टैक्स निर्धारित कर दिया जाय और उसको वह वसूल करे लेकिन माननीय सदस्य जो जालौन से पधारते हैं उनमें मैंने यह बड़ा भारी विरोधाभास देखा कि राजा साहब जगमनपुर जितने इस मामले में उदार और सरल थे उतने ही हमारे तिवारी साहब आगे हैं। जगमनपुर राजा साहब को यह शिकायत हो सकती है कि उनके ऊपर यह असर नहीं पड़ सका।

तीसरी बात यह थी कि उनको यह शिकायत थी, वह चाहते यह थे कि एग्जेम्प्शन होना चाहिये लेकिन उनका अगर संशोधन मान लिया जाय जैसा कि मौजूद है इस दफा में, तो उसका मतलब यह हुआ कि जो इस अधिनियम के जरिये से विमुक्त न की गयी हो वह भूमि। अगर इसको देखा जाय तो जितने एग्जम्प्शन दफा ६ में दिये गये हैं उनके लिये विरोधाभास पैदा होता है। एग्जम्प्शन तो वह चाहते हैं लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वह दफा ६ के अन्तर्गत हो। अगर उनके संशोधन को मान लिया जाय तो फिर कोई भी एग्जम्प्शन इस ऐक्ट में बाकी नहीं बचता है। इस वजह से मैं इसका विरोध करता हूँ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—अधिष्ठाता महोदय, इसके पहले कि मैं संशोधन का समर्थन करूं मैं राजा साहब का जवाब देना चाहता हूँ। राजा साहब को यह गलतफहमी है और उन्होंने ऐसा कहा कि इन कामों की जोत उस जोत से अलग है। उनको मालूम होना चाहिये कि जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में जो जोत की परिभाषा दी गई है उस में कृषि करना, बागबानी करना, कुक्कुट पालना और मछली पालन वगैरह यह सब कृषि की जोत में हैं। तो उनका कहना कि इसकी परिभाषा अलग है जोत से, यह मेरी समझ से गलत है।

दूसरी बात यह कही कि सब घरों के सामने जो जमीन है वह उसको मिलनी चाहिये और उसको विमुक्त करना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं कि इस देश में अगर आम जनता के लिये जमींदारी अबालिशन से घर निर्माण करने के लिये सरकार जमीन इकट्ठा करके देने

के लिये कानून बनाती है और दूसरी तरफ १० एकड़, २० एकड़ और ३० एकड़ घर के सामने रखने की बात करती है कि वह अपने घर के सामने लान रख सके और इस तरह से इसका समर्थन करना चाहते हैं तो जो इस बिल के उद्देश्य और कारणों में लिखा हुआ है उसको देखने से मुझे ऐसा मालूम होता है कि सरकार की जो मन्शा सीलिंग करने का है वह बिल्कुल बेकार हो जाता है। मैं आप की इजाजत से यह पढ़ूं कि उसमें यह लिखा हुआ है कि अधिक कृषि का उत्पादन सुनिश्चित किया जाय तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिये तथा अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये भूमि की इस प्रकार से व्यवस्था की जाय जिससे अधिकतम लोकहित सिद्ध हो। यह उनकी भूमिका है।

अधिष्ठाता महोदय, फिर उद्देश्य और कारण में बतलाया गया है कि हम यह सीलिंग क्यों कर रहे हैं। वहां कहा गया है कि "भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को यथासम्भव मात्रा में भूमि उपलब्ध करा कर उसका अधिक साम्यपूर्ण वितरण करने की व्यवस्था करने के उद्देश्य से तथा सहकारिता के आधार पर खेती की व्यवस्था करने....." आदि, आदि। तो यह विधेयक साम्यपूर्ण वितरण की व्यवस्था के लिये बनाया जा रहा है, लेकिन इस मन्शा की पूर्ति होगी या नहीं यह हमें देखना है। और उसी के लिये मुझे इस संशोधन का समर्थन करना पड़ रहा है। अधिष्ठाता महोदय, यदि यह संशोधन मान लिया जाय तो जो जनता की मांग है, जो आज उसकी आवाज है, उसकी पूर्ति यह विधेयक कर सकेगा ऐसी मुझे आशा है।

अधिष्ठाता महोदय, आगे इसके समर्थन के सिलसिले में मुझे यह कहना है कि जो जमीन सरकार छोड़ रही है उसका सम्बन्ध केवल एक ही धारा से नहीं है। धारा ६ में १८ किस्म की जमीन छोड़ी गई है। धारा ७ और १६ में भी ऐसा ही है। १६ में सीलिंग करते समय बाग की जमीन छोड़ देने का प्राविजन है। अधिष्ठाता महोदय, इस बाग की जमीन के लिये भी कहीं यह परिभाषा नहीं है कि वह बाग की जमीन किस किस्म की होगी। सीलिंग के लिये तो अच्छे प्रकार की जमीन की परिभाषा कर दी, लेकिन बाग के लिये जब कोई प्रार्थना पत्र देगा तो वह किस तरह की जमीन पायेगा इसकी कोई परिभाषा नहीं है। अगर अच्छे प्रकार की जमीन है तो १० एकड़ पायेगा, दूसरे किस्म की जमीन हो तो १५ पाये और तीसरे किस्म की हो तो २० एकड़ पाये। तो उसकी किस्म का न दिया जाना भी इसमें एक कमी है और इसके लिये बहुत स्पष्ट रूप से इसमें प्राविजन होना चाहिये कि किस प्रकार की जमीन उसको दी जानी चाहिये।

तीसरी चीज जहां यह सरप्लस लैण्ड बचेगी इस विमुक्ति के बाद, उसके बटवारे के जो नियम हैं उनके सम्बन्ध में मुझे एतराज है। खलिहानों के लिये ढाई एकड़ जमीन दी जा रही है, और वह सब छूट खलिहानों, खाद के गड्ढों आदि के लिये है। लेकिन सोचना यह है कि सीलिंग के बाद जो जमीन बचेगी उसको सरकार उन भूमिहीनों को देगी जो सहकारी समिति बनायेंगे इस हिसाब से कि ३ /८ एकड़ हर एक के हिस्से में पड़े। यह ठीक है कि हमारे बीघे में और प्रदेश के दूसरे भागों के बीघे में कुछ फर्क पड़ता है लेकिन यह अनइकानामिक है। इस के अलावा उन लोगों को ढाई एकड़ की जो छूट मिलेगी उसे अगर मान लिया जाय तो कोई जमीन मिलने वाली नहीं है।

अधिष्ठाता महोदय, मुझे आपत्ति है इस प्रकार की नीयत पर। किसी व्यक्ति की नीयत पर मुझे आपत्ति नहीं है। क्योंकि मैं अध्ययन कर रहा हूं जब से यह सरकार शक्ति में आयी तब से। १९३९ से आज तक लगातार उसने किसानों को धोखा दिया है। आज आम जनता समझ रही है और सरकार की नीयत किसानों के खिलाफ है यह सब लोग जान रहे हैं और शीघ्र ही इसका वह फैसला करेगा। क्योंकि १९३९ में जो टेनेन्सी ऐक्ट बना उसके अनुसार जमींदारों को आपने छूट दी कि जो कुछ जमीन मिल सके वह जमींदार ले लें। उसके बाद जमींदारी एबालिशन ऐक्ट बना कि जमींदार सारी भूमि का बन्दोबस्त कर सकते हैं और जमींदारों ने सब सार्वजनिक भूमि का बन्दोबस्त कर के पैसा ले लिया। केवल शर्त यह थी कि ८ अगस्त, १९४६ के इधर का पट्टा न हो। जमींदारों के पास काफी जमीन पड़ी हुई थी, उन्होंने उसका बन्दोबस्त किया और उससे पैसा भी कमाया।

[श्री ब्रजनारायण तिवारी]

अब इसमें आप देखें कि बाग की आराजी को छूट दी गयी है। जिस भूमि पर बाग होगा उसे छूट है। मैं एक प्रश्न इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार ने जो ४० एकड़ की सीलिंग की है, तो हमारे प्रदेश में कितने ऐसे खातेदार हैं जिनके पास ४० एकड़ से ज्यादा भूमि है। क्या सरकार ने इसके आंकड़े मंगाये हैं ? क्या उनके पास ऐसे आंकड़े हैं। अगर नहीं हैं तो सरकार यह दावे के साथ नहीं कह सकती कि हम भूमि पर सीलिंग कर रहे हैं। फिर भी यह अन्दाजा लगाना कठिन है कि प्रदेश में ४० एकड़ से अधिक का कोई खातेदार नहीं है, तो सीलिंग हो कैसे पायेगी। उससे कितनी जमीन आपको मिल पायेगी ?

श्रीमन्, खन्ड ६ के उप-खन्ड (१४) को देखा जाय उसमें लिखा है कि वह भूमि जो किसी भूतपूर्व विलीन राज्य के शासक के पास हो और जो उसके तथा भारत सरकार के बीच विलयन संबंधी अनुबन्ध की शर्तों आदि-आदि से छूट रहेगी तो इसका मतलब यह है कि इसको भी छोड़ दिया गया है। विलयन के समय राजाओं और भारत सरकार के बीच मे जो समझौता हुआ था उसके अनुसार प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट उनकी जमीन नहीं ले सकती थी, किन्तु जब कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के ही प्रस्ताव के मुताबिक सरकार प्रदेश में सीलिंग का कानून बनाने जा रही है तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है कि उनके ऊपर भी कानून बनाने का प्रबन्ध न किया जाय। क्या कांग्रेस में इतनी क्षमता नहीं है कि वह सारे प्रदेश के लिये ऐसा कानून बनाये कि जिससे वे भी इसकी लपेट में आ जायें। लेकिन वह ऐसा नहीं कर रही है, इसीलिये मैंने यह कहा है कि मुझे सरकार की नीयत में संदेह है। वह यह नहीं चाहते हैं कि किसानों को जमीन मिले। यह सब धोखा है। उस धोखे के आधार पर सरकार एक दिखावा करना चाहती है कि हम सीलिंग के जरिये किसानों को जमीन दे रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह से किसानों को जमीन मिलने वाली नहीं है।

अब श्रीमन्, यह जो धारा १६ है उसको देखा जाय। वह यह है, मैं उसको पढ़ देना चाहता हूं ....

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह---श्रीमन्, यह पहले कहा जा चुका है कि धारा १६ का या किसी का बार-बार पढ़ना अनुचित है, उसको तो बाद में देखा जायेगा, उसको पढ़ने की क्या जरूरत है ? वह अपने आर्गूमेन्ट्स बराबर रिपीट कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता---आप उसको पढ़िये नहीं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---खैर मैं उसकी मंशा जो है उसको ही बतलाऊंगा पढ़ूंगा नहीं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार निश्चित रूप से इस्पेशलाइज्ड खेती के नाम पर जो काम करना चाहती है, वह पूरा नहीं होने का। फिर आप देखें कि इसमें कहीं भी उसकी परिभाषा नहीं है। अधिष्ठाता महोदय, अगर कोई चाहे कि वह इस सीलिंग से बच जाये, तो वह यह कर सकता है कि कोई एक हजार रुपया लेकर एक बाड़ा तैयार कर सकता है और उसमें मुर्गे-मुर्गी इत्यादि पाल सकता है क्योंकि सरकार के कानून में उससे वह जमीन बरी हो जायेगी। उसके बाद वह चाहे तो कीमत लेकर बेच भी सकता है उसे। इसमें यह भी लिखा है कि उसमें चारा उगाने का काम भी ले तो भी यह छूट दे दी जाय। इसलिये अधिष्ठाता महोदय, मुझे सरकार की मंशा में शक पैदा होता है क्योंकि इसके पहले साफ कर दिया गया है कि चाहे खेत में बाग लगाये या उसमें चारा पैदा करें या जो भी काम करें कृषि कार्य के अन्दर वह आ सकता है लेकिन इस नये अर्थ में जो जोत की और भूमि की परिभाषा की गई है उसमें यह भी बरी कर दिया गया है।

अधिष्ठाता महोदय, एक चीज और कहना चाहता हूं। इस प्रकार के एक्ट से भूमिहीनों को कोई भूमि नहीं मिलने वाली है। सरकार कुछ लोगों के साथ बहुत पहले से रियायत करती चली आ रही है, पता नहीं सरकार का और उनका आपस में क्या संबंध है। आम लोग तो

यह समझते है कि कांग्रेस सरकार बड़ी क्रान्तिकारी है, सीलिंग का एक्ट पास कर दिया लेकिन जहां परिवार की परिभाषा है, बटवारे की परिभाषा है, इसके पहले तो सरकार ने मान रखा था कि कानूनी आधार पर अगर कोई डिवीजन होगा तभी उसको माना जायगा लेकिन अब यह है कि अगर पारिवारिक समझौते के आधार पर भी जो डिवीजन होगा उसको सरकार मान लेगी। तो सरकार ने इस तरह से जमीन को छोड़ने का एक रास्ता खोल दिया है। इस ऐक्ट से श्रीमन, कुछ होने वाला नहीं है, इसका प्रभाव एक आध आदमियों पर भले ही पड़ जाय ले..नि आम जनता का इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है।

श्री अधिष्ठाता—आप तो जनरल डिस्कशन के तौर पर बोल रहे हैं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—यह उसी से सम्बन्धित है। अगर तिवारी जी का संशोधन मान लिया जाय तो मैं बोलना ही बन्द कर दूं। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—अधिष्ठाता महोदय, मैंने अपने दोनों तिवारी मित्रों की बहस सुनी। हममें और जमीदारों में क्या रिश्ता है, यह ब्रजनारायण जी नहीं जानते और दोनों तिवारियों में क्या रिश्ता है मुझे भी नहीं मालूम। मैं तो केवल संशोधन के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। उसकी ओर मैं श्रीमन् की भी तवज्जह दिलाना चाहता हूं। ३ (क) इस प्रकार से है—"अधिकतम क्षेत्र का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन विमुक्त भूमि से भिन्न भूमि के उस क्षेत्र से है जो धारा ४ के उपबन्धों के अनुसार इस रूप में अवधारित किया गया हो"। यह तो मौजूदा क्लाज है। अब इसमें से तिवारी जी चाहते हैं कि "अधीन विमुक्त भूमि से भिन्न भूमि के" यह शब्द निकाल दिये जायं। इन शब्दों को निकालने के बाद यह क्लाज इस प्रकार से रह जायगी "अधिकतम क्षेत्र का तात्पर्य इस अधिनियम के उस क्षेत्र से है जो धारा ४ के उपबन्धों के अनुसार इस रूप में अवधारित किया गया हो"। अब आपकी आज्ञा से मैं अंग्रेजी में भी पढ़ दूं। "Ceiling Area means the area of land, not being land exempted under this Act....." यह अधिनियम गवर्न करता है "not being land exempted under this Act" इससे संबंध रखता है। तिवारी जी चाहते है कि सिर्फ "अन्डर दिस ऐक्ट," बाकी रह जाय हमारे मित्र बड़े होनहार वकीलों में से है। एक वकील की कलम से ऐसी तरमीम आने पर, बदकिस्मती से मैं भी वकील हूं, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। व्याख्यान तो बड़े लम्बे-लम्बे हो गये लेकिन यह नहीं देखा कि इस तरमीम की शक्ल क्या होगी। अगर यह तरमीम मान ली जाती तो फिर जो इसकी शक्ल रह जायगी उसको अगर कोई पढ़ेगा तो यही कहेगा कि किस अनाड़ी ने इसको बनाया है और अगर यह मालूम हो जायगा कि एक वकील के जरिये से यह तरमीम आई तो बड़ी लज्जा की बात होगी। यह तरमीम जिस तरह से वह रखी गयी है अगर मंजूर हो जाती है तो इस क्लाज की रीडिंग अनहैपी हो जायगी। लिहाजा जिस शक्ल में वह है, उसमें वह मानी नहीं जा सकती। मुझे विश्वास है मेरे मित्र तिवारी जी भी इसको महसूस करेंगे। और इस सदन में भी कोई ऐसा अनाड़ी नहीं हैं जो इस तरमीम को मान ले। लिहाजा मैं मजबूर होकर इसकी मुखालिफत करता हूं और जिस शक्ल में यह तरमीम है उस शक्ल में इसको मानना नामुमकिन है।

इस तरमीम का एक मतलब यह भी हो सकता है कि जितने एक्जेम्पशन्स हुए हैं, उन सब को खत्म कर दिया जाय। अच्छा, तो बताइये कि क्या कब्रिस्तानों को निकाल दिया जाय। अगर उनको मुस्तस्ना न किया जायगा तो क्या लाश घर में गड़ेगी। दफन होना लाजिमी है और इसलिये कब्रिस्तान जरूरी हैं, ऐसी भूमिको एक्जेम्पशन से हटाया नहीं जा सकता।

अब बागों पर भी बहुत जोर दिया गया। खास तौर से इस बात पर जोर दिया गया कि बुन्देलखन्ड में बाग नहीं होते इसलिये उन लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। मलिहाबाद के लोगों का नाम लिया गया कि वहां लोगों को बड़ा फायदा होगा। लेकिन मैं उनको बताना

[श्री हुकुम सिंह बिसेन]

चाहता हूं कि अगर बुन्देलखन्ड में आम के बाग नहीं लगते तो बबूल के तो लगाये जाते हैं। वे भी बाग मान लिये जायेंगे, वे भी मुस्तसना हो जायेंगे। इस तरह से उनको भी फायदा होगा।

अवधेशप्रतापसिंह जी ने एक बारीकी की बात बता दी कि बागात नेशनल एसेट्स हैं। जैसा कि इस बिल का उद्देश्य बताया गया, उसके द्वारा हम खेती के उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि बागों पर सीलिंग लगा कर उनको कटवा डाला जाय और उसकी लकड़ी को कानपुर और बुन्देलखन्ड में बेंच दिया जाय और वहां पर जमीन साफ करके खेती करायी जाय ? लेकिन ऐसा होना उचित नहीं होगा। हमारी फारेस्ट पालीसी है कि काबिल काश्त की ३३ फी सदी जमीन पर जंगल होना चाहिये। पहाड़ों पर भी होना चाहिये और प्लेन्स में भी होना चाहिये। हमारे यहां ११ प्रति शत के करीब जंगल हैं जो बहुत कम हैं, इनमें बागात भी शामिल हैं। ऐसी हालत में बागों का कटना मुनासिब नहीं होगा। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि बागों का असर वर्षा पर भी पड़ता है, सैलाब पर भी पड़ता है। तो हर नुक्तेनजर से बागों की रक्षा करना अनिवार्य है। इसीलिये सरकार ने उनको एग्जेम्प्ट किया।

अब यह कह दिया जाय कि हमारी नीयत खराब है और हम बागदारों की मदद करना चाहते हैं, उनके साथ रियायत करना चाहते हैं तो आपके पास जबान है, आजादी है, फ्रीडम आफ स्पीच इन दि ला प्रोटेक्शन है, आप जो चाहे कह दें। लेकिन असल बात यह है कि बागों की रक्षा करना, उनका रखरखाव करना बहुत जरूरी है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर बागों पर सीलिंग लगा दी जाय और दो दो, तीन-तीन या चार-चार एकड़ के बाग चाहे कोआपरेटिव सोसाइटीज के अन्दर ही कर दिये जायं तो क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि बागों की हैसियत वैसी ही बदस्तूर बनी रहेगी जैसी कि अब है ? नहीं रहेगी। नतीजा यह होगा कि हमारे देश के सब बाग कटते जायेंगे और बड़ा भारी नेशनल लास होगा। अगर हमने एग्जेम्प्शन किया है तो वह देश के लाभ के लिये ही किया है। इसके अलावा हमने तो यह भी कहा है कि गोशालाओं और गोसदन के लिये भी जो जमीन है उस पर सीलिंग न लगायी जाय। आपने काऊ प्रोटेक्शन बिल पास किया ताकि गायें न मारी जा सकें। हम गाय को माता कह कर पुकारते हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि वे गायें चारे के बिना घुट-घुट कर मर जांय और हम देखते रहें ? अगर एक मर्तबा उन सबका कत्ल हो जाय तो वह तो एक हद तक ठीक है लेकिन चारे के बिना उनका मरना हमारे देश की संस्कृति के विरुद्ध होगा, लिहाजा हमने उनकी जमीन को एग्जेम्प्ट किया है।

एक बात हमारे बड़े तिवारी जी ने कही कि लीजिये, इंडस्ट्रियल एरिया को भी एग्जेम्प्ट कर दिया। जमींदारी एबालीशन ऐक्ट की धारा १४३ के अनुसार इंडस्ट्रियल परपजेज के लिये लैन्ड को जब हम पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं तो उसको हम कैसे ले सकते हैं ? हम तो केवल एग्रीकल्चरल लैन्ड को ले सकते हैं। जो इंडस्ट्रियल लैन्ड डिक्लेयर हो चुका उसको हम नहीं ले सकते हैं।

एक बात हमारे मित्र ने और कही कि रेजिडेंशल हाउसेज के लिये लैन्ड की कोई तादाद हमने मुकर्रर नहीं की। इसकी तादाद हम नहीं मुकर्रर कर सकते हैं क्योंकि एक बड़ा मकान होता है जिसमें ज्यादा लैन्ड की जरूरत होती है और एक कोठरी होती है जिसके लिये थोड़ी जमीन की जरूरत होती है। हमारे मित्र तो वकील हैं, वे अलग केस ला देखें तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ पायेंगे कि किसी मकान के लिये कोई एरिया तय हो। मान लीजिये, श्री गेंदासिंह जी का मकान हो और सहन का पट्टा मेरे नाम हो तो मैं कांग्रेस का और वे पी० एस० पी० के, दोनों में बराबर लड़ाई चल सकती है और यह आये दिन का झगड़ा हो सकता है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार कतई इसको नहीं मानती है कि वह ऐसा कानून बना दे जिससे हमारे देश के रहने वाले आपस में लड़-लड़ कर खत्म हो जायं।

हमारे मित्र ने कहा कि खलिहानों को भी आपने एग्जेम्प्ट कर दिया है। यह सुन कर मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ, जब वे कब्रिस्तान के लिये जमीन एग्जेम्प्ट करने पर नाराज हैं तो खलिहान के लिये तो होना लाजिमी ही है। जहां तक पार्टी की बात है, ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में इस पर मेरे और श्री गेंदासिंह के बीच काफी झगड़ा रहा और फिर उसमें अमेंडमेंट लाकर मैंने अपने मित्र की ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश की और उसके लिये बिलकुल एक अलग प्रोविजो लगाया। हमारे मित्र श्री ब्रजनारायण तिवारी ने शिकायत की कि आपने फार्म्स के लिये फाडर बोने का अधिकार दे दिया जिसे बाजार में ले जाकर वे बेंच सकते हैं। तो इस संबंध में मैं उनको बतला दूं कि फार्म्स को सिर्फ अपने मेंटिनेंस के लिये फाडर बोने की हमने इजाजत दी है।

इस तरह से बहुत सी बहस तो गलतफहमी पर मबनी है, यानी दफा के अलफाज को ठीक से न समझने के कारण उनको गलतफहमी है। यह कहना बड़ा आसान है कि सरकार की नीयत खराब है लेकिन यह हमारी बदकिस्मती है कि उनको ऐसा दिखाई देता है। किसी को क्यों दूसरे की नीयत खराब लगती है, इसके विषय में मैं उनको क्या कहूं, कह नहीं सकता लेकिन एक अंग्रेजी की कहावत कहूंगा कि "One sees reflection of one's own heart" मैं तो उनके लिये नामुनासिब अलफाज इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसलिये यह तरमीम ऐसी है कि जिस पर हाउस को नजर नहीं डालना है। अगर वह मान ली जाय तो वह उपहास होगा कि जिसे कहते हैं। जिसमें सुपरफ्लुअस लफ्ज कायम रखे जायं वह तरमीम नामुनासिब और बेजा है। इसलिये मैं इसकी मुखालफत करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसको नामंजूर करेगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी की तकरीर बड़े गौर से सुन रहा था। शायद उनको अपने आर्गूमेन्ट्स में कोई वजन नहीं मिला इसीलिये वह अपनी बात कहकर बाहर चले गये। उन्होंने सोचा कि उनके आर्गूमेंट्स कट जायेंगे, इसलिये उनका काट सुनना ठीक नहीं है, इसलिये वह उठकर चले गये। जिस तरह से गांधी जी ने अपने यहां ३ बन्दरों की मूर्तियां रखी थीं जिन्होंने अपने कान, मुंह व आंख पर हाथ रखा था जिसके रखने का मतलब यह था कि बुरा मत सुन, बुरा मत बोल, बुरा मत देख, शायद उसी का अनुकरण कर मंत्री जी चले गये। मेरी समझ में नहीं आया कि जो चीज ठीक से समझी ही न जाय वह एबसर्ड हो जायगी, यह कैसे कहा जा सकता है। संशोधित की गई धारा को मंत्री जी ने ठीक नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा ही न जाय और कुछ का कुछ समझ लिया जाय तो फिर हम क्या कहें? इसमें सारी बात साफ है। इस संशोधन के बाद यह उपखन्ड इस तरह हो जायगा जिसे मैं पढ़ता हूं "अधिकतम क्षेत्र का तात्पर्य इस अधिनियम के उस क्षेत्र से है जो धारा ४ के उपबन्धों के अनुसार इस रूप में अवधारित किया गया हो।" इसमें कहां एबसर्ड हो रहा है? अगर अंग्रेजी तर्जुमा उनका गलत हो, या उनकी समझ में न आता हो तो उसके तिवारी जी जिम्मेदार नहीं हैं।

इस बिल की खुद यह मन्शा है कि अधिकतम क्षेत्र का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जो धारा ४ के उपबन्धों के अनुसार इस रूप में अवधारित किया गया हो। इसी तरह से अंग्रेजी में तिवारी जी जो शब्द निकालना चाहते हैं उनको निकालने के बाद यह रूप हो जाता है कि

"Ceiling area means the area of land determined as such in a ccordance with the provisions of section 4;"

मंत्री जी ने आव देखा न ताव, कह दिया कि एबसर्ड है, उन्हें पता नहीं कि क्या घटाया जा रहा है, क्या बढ़ाया जा रहा है। जिस आधार पर उन्होंने अपने तर्क को खड़ा किया वह आधारशिला ही टूट गई। जिस तरह की पुरानी छतर मंजिल क्यों टूटी? क्योंकि उस की बुनियाद ही ढह गई, पानी भर गया और वह नहीं निकल सका। तो जिस आधार पर मंत्री जी ने सारी बात कही वही खत्म हो गई। तिवारी जी के आर्गूमेंट को आप देखें। मैं इन धाराओं को . . . .

श्री अधिष्ठाता---आपको संशोधन के पक्ष में जो तर्क देने हैं वह आप दें तो अच्छा है। गोविन्दनारायण जी को तो जवाब का मौका मिलेगा ही।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---मैं वही कह रहा हूं कि तिवारी जी ने जो तर्क दिये उनका मंत्री जी ने विरोध किया और पहली बात उन्होंने यह कही कि अगर बागों पर सीलिंग लगा दें तो बागात कट जायेंगे। कहीं भी तिवारी जी ने यह नहीं कहा कि बागात कट जायें या वह न रहें। सरकार यह प्रतिबन्ध लगा सकती है और कानूनन वह प्रतिबन्ध बिल्कुल लीगल होगा। तो सीलिंग के बाद जो बाग बचे जिसके पास वह जाये वह उसके बनों को काट न पाये।

अभी हम देखते हैं कि एक दूसरा विधेयक सदन के समक्ष आया है उसमें यही कहा गया है कि यह जो फारेस्ट हैं इनको लोग काटने लग गये हैं, जमींदारी विनाश के बाद बहुत ज्यादा कट गये हैं। "फारेस्ट" शब्द की परिभाषा में प्रोटेक्टेड फारेस्ट भी ले आये हैं। तो जो कोई आदमी उसे काटेगा उसका प्रासीक्यूशन होगा, वह काट नहीं सकेगा। इस अधिनियम में हम सकी भी व्यवस्था करदें तो उचित है। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आया कि अगर बागों पर यह सीलिंग लगायें तो वह कैसे कट जाएंगे। मैं तो कहता हूं कि बड़े बागों की देख-रेख नहीं हो पाती। मलिहाबाद वगैरह में मैंने देखा कि जहां कभी बाग रहे होंगे, अब दो चार पेड़ हैं, बाकी जगह में खेत हैं। तो बाग के नाम पर जमीन हथिया लेना उचित नहीं है और कोई इस बिल में ऐसा संकेत नहीं है कि बाग कैसा होगा या कब से लगा होगा। केवल एक जगह है कि सन् ५९ से पूर्व जो बाग रहा हो उसे छूट होगी, कितने साल से रहा हो, कब रहा हो? यह भी नहीं है कि आज भी बाग के रूप में विद्यमान हो यह ठीक नहीं है। इसके माने यह हैं कि लोगों के पास से किसी तरह से, बाग के बहाने, सुअर पालने के बहाने या मुर्गी पालने के बहाने, जमीन ले ली जाय। यह बिल का निचोड़ है। तो सरकार ने जो बड़े-बड़े लक्ष्य घोषित किये हैं कि गरीब और भूमिहीनों को मिलेगी, उसका समान वितरण होगा, तो क्या एक आदमी के पास हजारों एकड़ बाग हो और एक के पास मुट्ठी भर भी जमीन न हो तो वह कैसा समान वितरण हुआ? एक तरफ कहते हैं कि जमीन मिलेगी और दूसरी तरफ कहते हैं कि कुक्कुट पालन की जमीन को मत छुओ, बाग को मत छुओ।

"लैन्ड एपरटीनेन्ट टु दि हाउस" की बात आई। मैं मानता हूं कि मिलना चाहिये, लेकिन कितना किसी के घर से मिलता है? एक हजार एकड़ का फार्म हो तो क्या एक हजार एकड़ छूट दी जायगी? उसकी भी एक सीमा होनी चाहिये। मैं इन शब्दों के साथ तिवारी जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

***श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह**---अधिष्ठाता महोदय, हमारे मन्त्री जी ने तो एक वकील की बात पर ताज्जुब किया था, लेकिन साथी गोविन्दसिंह जी भी वकील हैं इससे और भी ताज्जुब हो गया। अगर माननीय तिवारी जी का संशोधन मान लिया जाय और जो शब्द उनके हैं उन्हें स्वीकार कर लें कि "अधीन विमुक्त भूमि से भिन्न भूमि के", यानी जितनी विमुक्तियां दी गई हैं वे कोई न दी जायं, तो खुद ही माननीय तिवारी जी ने उसका खंडन किया था कि जो पुराने राजा महाराजाओं को उनके मुआवजे के मुताबिक जमीन दी थी उस पर तो हम बोल ही नहीं सकते हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि हम बोल नहीं सकते हैं और दूसरी तरफ यह भी निकाला जाय। तो दोनों कंट्रेरी चीजें उन्होंने कही हैं। जैसा कि मन्त्री जी ने कहा, चाहे वह दलील न लागू हो, लेकिन मेरे खयाल से ये शब्द निकाले ही नहीं जा सकते हैं। यह बात दूसरी है कि जो विमुक्तियां दी गई हैं उनमें से कौन सी रहें कौन सी नहीं। यह वह धारा आयगी तब देखा जायगा।

बहरहाल, धारा को पूर्ण रूप देने के लिये विमुक्ति का रहना आवश्यक है। माननीय गोविन्दसिंह जी कहते हैं कि बाग काटे जायं और यह भी कहते हैं कि बाग काटे न जायं। मुझे

---

*वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ताज्जुब होता है कि अगर बाग बांटने का सवाल आ जायगा और भूमिहीनों को बाग की जमीन दी जायगी, जिसको वह कर नहीं सकते, तो फिर फायदा क्या होगा ! इन शब्दों के साथ, मैं दोनों संशोधनों का विरोध करता हूं।

*श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—अधिष्ठाता महोदय, मेरे लिये आवश्यक हो गया कि मैं बोलूं। मन्त्री जी ने मेरे ऊपर बड़ी मेहरबानी की और कहा कि सेलेक्ट कमेटी में मैंने बड़ा झगड़ा किया। यह सही है। लेकिन उससे बड़ा कनफ्यूजन हो गया। जो सारे ऐग-जेम्पशन दिये गये हैं उनमें से कुछ से तो मैं सहमत हूं। माननीय गोविन्दनारायण जी का जो संशोधन है, जिसको अनावश्यक कहा गया है, यह ठीक नहीं है। इतने सारे ऐग्जेम्पशन इसमें दिये हुये हैं कि उनका अनुचित लाभ बहुत दूर तक उठाया जा सकता है और जो भी विधेयक को देखे उसके दिमाग में सन्देह होना स्वभाविक है कि इससे जमीन रखने वाला अनुचित लाभ उठा सकेगा और गरीबों को भूमि नहीं मिल पायेगी। इसलिये गोविन्दनारायण जी का जो संशोधन है वह उचित ही है। अब रही यह बात कि कुछ ऐग्जेम्पशन ऐसे हैं जिनको रहना चाहिये। लेकिन सरकार को सोचना चाहिये वह ऐसे ही हों जिनको यह सदन स्वीकार करे और उसमें ऐसे ऐग्जेम्पशन न हों जिनसे उचित ऐग्जेम्पशन भी घपले में पड़ जायें। दुनिया का तरीका है कि अगर पुलिस सही मुलजिम के साथ गलत मुलजिम पकड़ती है तो दोनों छूटते हैं। इस सरकार ने भी वही काम किया है। अतः जो संशोधन गोविन्दनारायण तिवारी जी का है वह स्वीकार होना चाहिये और अगर आगे जरूरत पड़ी तो नये संशोधन आ सकते हैं और जब तक रामलखन जी सदन में हैं तब तक जल्द से जल्द संशोधन आने में कोई दिक्कत नहीं होगी।

मैं माननीय अवधेशप्रतापसिंह जी को अपनी सलाह दे सकता हूं, अपना निवेदन उन के सामने कर सकता हूं: मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उन लोगों पर भर सा करना होगा जो लोग धनहीन हैं और सम्पन्न नहीं हैं। जो चर्चा की गई कि बागात कट जायं तो यह सही है कि बाग नहीं कटने चाहियें। जमींदारी विनाश कानून जिस समय यहां आया तो उसके बाद जो हमारे प्रदेश में करोड़ों दरख्त कट गये हैं उनके कटने की जिम्मेदारी किस पर है ? अवधेशप्रताप जी और उनके भाई बन्द पर नहीं है क्या ? बावजूद इसके कि प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट था, उसके लूपहोल्स को लेकर देश के करोड़ों दरतों को काट डाला गया। तो वह काम जिन लोगों ने किया है उन पर हमको शक हो कि वह बागात भी काट डालेंगे, तो इसमें कोई अतियुक्ति नहीं है।

जैसा गोविन्दनारायण जी ने कहा, किसी गरीब आदमी के नाम पर अगर वह बाग दिया जाता है तो उसकी वह हिफाजत कर सकता है। हम बड़ी इज्जत करते हैं राजा साहब मनकापुर की, लेकिन सीलिंग वाले मामले में आखिरी दिन तक देखना है कि कितनी दफा हम एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं।

कहा गया कि दरख्त से आमदनी क्या। क्या पत्ती खायगा ? अच्छी से अच्छी जमीन पर उन्होंने बाग लगाये हैं और जोत से अनाज पैदा कर के जितनी आमदनी लेते हैं उससे ज्यादा आमदनी बागात से करते हैं। हम उन गरीब आदमियों को सलाह दे सकते हैं और ऐसी स्थिति पैदा कर सकते हैं कि जो बाग उनको मिले उनसे अच्छी से अच्छी आमदनी पा सकें। नीम के बीज की कीमत इस वक्त १२ रुपये मन है। अगर २ मन भी एक नीम से बीज पैदा होता है, वैसे ५ मन तक निकलता है तो ६० रुपये एक वर्ष में मिल सकते हैं। कितनी दूरी में एक नीम का दरख्त पड़ेगा ? तो किसी हालत में दरख्तों को काटने की इजाजत नहीं मिलना चाहिये। वह गरीब आदमी है, नहीं काटेगा और उसके साथ-साथ इनकम भी निकाल सकेगा। तो ये सारी बातें सुधारी जा सकती हैं।

आगे आने वाले संशोधन से कहीं कोई परस्पर विरोधाभास नहीं है और इस संशोधन को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बात कह दूं कि माननीय अवधेशप्रताप सिंह

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

जी को कुछ गलतफहमी है। उन्होंने कहा कि बाई एक्सिडेंट गोविन्दनारायण जी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में हैं। मैं क्या उत्तर दूं! बाई एक्सिडेंट कौन लोग कुर्सी बदला करते हैं? माननीय गोविन्दनारायण जी का आसन तो वही है। वह एक मर्तबा उस आसन पर थे जहां से देश की सबसे बड़ी खिदमत की जाती थी। फिर उसके बाद माननीय गोविन्दनारायण जी ने उस संस्था को राज्य सिंहासन पर बैठा कर अपने को अलग कर लिया और उसके बाद उस पार्टी में आज तक मौजूद हैं जिस पार्टी में रह कर उनका अकीदा है कि वह देश की सबसे बड़ी खिदमत कर सकते हैं।

हमारा खयाल है कि जनता की एक बड़ी संख्या का विश्वास है कि गोविन्दनारायण जी जहां हैं वहां रह कर सब की सेवा की जा सकती है, इसमें किसी को रत्ती भर भी शक नहीं है। अवधेशप्रताप जी की भी नीयत पर मुझे शक नहीं है, वह सेवा करने के लिये ही इस सदन में हैं और आगे भी सेवा करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो गलतफहमी उनके दिल में थी वह किसी मित्र के बारे में नहीं होनी चाहिये।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)---मैं संशोधन का समर्थन कर रहा हूं। अगर इन अक्षरों को निकाल दिया जाय तो क्या खण्ड ६ पर भी कोई प्रभाव पड़ेगा? मैं समझता हूँ कि कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वह अपने स्थान पर ज्यों का त्यों रहेगा। खण्ड ३ में हम कुछ परिभाषाओं की व्याख्या कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इन अक्षरों के निकाल देने से परिभाषा भी ठीक हो जायगी और वह सेक्शन ४ में जाता है कि वह क्षेत्र क्या होगा। इसमें मुझे कुछ रिडन्डेंट सा मालूम होता है। हां, एक बात जरूर है कि अगर यह निकल जाता है, जैसी कि अभी बहस चल रही है, जोत वही मानी जायगी जिस पर हल चलता हो और अन्न उपजता हो। ऐसा नहीं है। इस बिल के अन्दर जोत की भी परिभाषा दी गई है, उपखण्ड (घ) में। उसमें है----

'जोत' का तात्पर्य ऐसी भूमि या भूमियों से है जो किसी व्यक्ति के पास भूमिधर, सीरदार, गांव समाज के आसामी या "१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम" की धारा ११ में उल्लिखित असामी अथवा य०पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ के अधीन, शिकमी काश्तकार (sub-tenant) से भिन्न, काश्तकार या सरकारी पट्टेदार अथवा, यदि शिकमी पट्टे की अवधि पट्टे की अवधि तक हो, तो सरकारी पट्टेदार के शिकमी पट्टेदार के रूप में हो।"

जोत के माने यह नहीं हैं, जैसा उद्देश्य और कारण से पढ़ कर बता दिया गया कि जोत वही है जिस पर हल चलता हो। मैं उस तर्क से सहमत नहीं हूं। हां, इतना जरूर मानता हूं कि इस बिल के अन्दर ऐसी सारी जमीन ली गयी है जिस पर अन्न उपजता हो, उसकी सीलिंग की गई है। उसके अलावा कोई और जमीन नहीं ली गयी है। आज हमारे सामने कई प्रश्न खड़े होते हैं। हम अन्न उपजाने वाली जमीन को ही क्यों सीलिंग के अन्दर ले रहे हैं? हम आमदनी पर सीलिंग क्यों नहीं करने जा रहे हैं जिससे बाग की आमदनी भी उसमें शामिल हो जाय?

हमें विचार करना चाहिये कि हमारी इकोनामिक होल्डिंग क्या होनी चाहिये। सामान्य जीवन स्तर जिस जोत के सहारे प्राप्त किया जा सके वही इकोनामिक जोत कहलायेगी, ऐसा प्लानिंग कमीशन ने भी माना है। उस आधार पर हम १२ सौ की आमदनी को चाहे कितना ही गुना कर दें वह हमारी एक आर्थिक होल्डिंग हो जायगी। उसके आधार पर तो समझ में आता है लेकिन बागों को हमने किस आधार पर छोड़ा? बागों से आमदनी होती है और अगर एक पैसा भी आमदनी है तो बागों को जोत के अन्दर शामिल करना होगा। माननीय मन्त्री जी बतायें कि बागवालों को बागों से कितनी आमदनी होती है। उसको शामिल करके उस पर सीलिंग लगाने का प्रबन्ध करें। माननीय मन्त्री जी ने कहा कि वह खंड ६ पर

पड़ जायगा, कब्रिस्तान कहां रहेंगे, गायें भूखी मर जायंगी । उस सबसे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । मैं संशोधन प्रस्तुतकर्ता के विचार से सहमत हूं कि कब्रिस्तानों को और जहां गायें चरती हों उनको छोड़ दिया जाय लेकिन जिससे आमदनी पर असर पड़ता हो उसको छोड़ने के लिये मैं तैयार नहीं हूं ।

मुझे इस संशोधन पर इतना ही कहना है ।

*श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)---अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन श्री गोविंद नारायण तिवारी जी ने पेश किया है, मैं उसका विरोध करता हूं । उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है और लोगों ने भी कहा है कि बाग का एरिया, कब्रिस्तान का एरिया और खलिहान का एरिया भी उसमें जोड़ दिया जाय । मैंने उनकी बात सुनी और इसके अलावा और भी तर्क उपस्थित किये गये और यह भी कहा गया कि बागों से बड़ी जबर्दस्त आमदनी होती है । लेकिन मैं उनको यह भी बता देना चाहता हूं कि ऐसे भी बाग हैं जिनसे कोई आमदनी नहीं होती है । हमारे पास बाप दादों का २४ एकड़ का बाग है और गांव वाले अपना हक समझते हैं कि जो फल उसमें गिरते हैं उनको वह बीन ले जाते हैं और हम भी मना नहीं करते हैं । इसके माने यह हैं कि इसके पास हो जाने से वह बाग भी कटेगा और हम उसको रोक नहीं सकते हैं ।

माननीय गेंदासिंह जी ने यह भी बताया कि जहां तक देश सेवा का ताल्लुक है वह उचित स्थान यही है और इसके सिवाय दूसरा नहीं है और माननीय अवधेशप्रतापसिंह जी की ओर यह भी संकेत किया कि उनको देश के लोगों का विश्वास करना चाहिये । लेकिन मैं एक बात बताऊंगा । और चाहे कहीं हो या न हो लेकिन जो माननीय गेंदासिंह जी ने अपनी विमति टिप्पणी में लिखा है उससे हमारा यह निश्चित मत बन गया है कि गांव वालों को उनकी बातों पर भरोसा करने से गढ़े में जाना है । मैं उसको आपकी आज्ञा से एक मिनट में पढ़ कर सुनाना चाहता हूं । वह इस प्रकार है कि:--

"यदि मुट्ठी भर लोगों को प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शहर के उद्योगपतियों की समता में लाने की चेष्टा की जायगी तो अपने देश का भविष्य अन्धकारमय होगा ।" अगर गांव वालों के लिये चेष्टा की गई तो देश का भविष्य अन्धकारमय हो जायगा । ऐसा भी हमको अधिकार नहीं है । मैं उनको बता देना चाहता हूं कि लेशमात्र भी हमें उनके ऊपर विश्वास नहीं रह गया है ।

श्रीमन्, बाग और खलिहान के बारे में कई तर्क उपस्थित किये गये । आज कहते हैं कि लाखों पेड़ कट गये । मैं समझता हूं कि इस लेजिस्लेशन की बदौलत और यहां के लोगों के संकेत की बदौलत जिन्होंने सोचा कि वह पा सकेंगे वह लेकर भागे । आज भी अगर इस कानून में प्रोटेक्शन न होता और लोगों को मालूम हो जाता कि सीलिंग में यह शामिल हो जायगा तो एक पेड़ भी देखने को न मिलता और कुछ लोगों ने संकेत किया कि वह कब्रिस्तान की जमीन लेना चाहते हैं, चाहे बाग की लें या न लें । मैं समझता हूं कि अगर बाग की नहीं ली गयी तो अभी तो थोड़े ही आदमियों को कब्रिस्तान में जाना पड़ता है और फिर सारी की सारी भूमि कब्रिस्तान के लिये देनी पड़ेगी और लकड़ी तक नहीं मिलेगी । इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और गेंदासिंह जी ने जो कहा उसके ऊपर निष्ठा नहीं रखता हूं और अपने मित्र से कहूंगा कि वह इस संशोधन को वापस ले लें तो अच्छा है क्योंकि इसी में कल्याण है ।

*श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली)---अधिष्ठाता महोदय, माननीय गोविन्दनारायण तिवारी ने जो संशोधन रखा है वह उचित है । मैं इस बहस में हिस्सा लेना नहीं चाहता था लेकिन बलदेवसिंह जी के बोलने के बाद और गेंदासिंह जी की बात पर कहा गया तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शिवराजबहादुर]

मैं जरूरी समझता हूं कि अपने खयालात का इजहार करूं। जहां तक कानून का वास्ता है, इस एक्सेप्शन के निकालने के बाद भी सीलिंग के एरिया पर कोई फर्क नहीं आता है और न गैरकानूनी हो जाता है। लेकिन ज्यादा फिक्र है मन्त्री जी को जो इसको निकालना चाहते हैं। उनकी फिक्र ज्यादा होनी चाहिये जो लोग जिन्दा हैं, और जो मुर्दों से भी बदतर हैं। जहां तक श्मशान और कब्रिस्तान की भूमि का सवाल है, श्मशान हमारे यहां भी हैं। बहुत थोड़े एरिया में लाखों आदमी फूंक दिये जाते हैं। कब्रिस्तान सभी का एक होता है। यह नहीं कि हर परिवार का अलहदा-अलहदा कब्रिस्तान हो। कहीं राजा-महाराजाओं के बाग में समाधि बनी हो वह बात दूसरी है। कानून की मंशा यह है कि हर आदमी के लिये कानून एकसां हो। वैसे इसमें ४० दफात हैं। यह ऐसा संशोधन है जो कि चालिस दफात को कवर कर लेता है।

मैं निवेदन करूंगा कि इस सीलिंग में कुछ है नहीं। आगे चल कर पता चलेगा पहले फ्रीयर ऐवरेज क्वालिटी लैण्ड पांच रुपये का था, अब ६ रुपये कर दिया गया। तो कहीं ४० एकड़ होगी, कहीं ६०, कहीं ८० होगा। अगर एक गरीब आदमी है जिसके पास कोई जमीन नहीं है, अगर कल वह फार्मिंग करना चाहे तो साढ़े बारह एकड़ से ज्यादा जमीन वह खरीद नहीं सकता। मुझे यह चीज खटकती है। वह साढ़े १२ एकड़ कौन सी जमीन होगी? ६ रुपये की, ५ रुपये की या ३ रुपये की होगी? अगर उसको बहुत रद्दी किस्म की जमीन मिली, तो वह आगे नहीं जा सकेगा। तो अभी कानून में फ्ला है।

एक तरफ तो एक आदमी जो नयी जमीन खरीदने जा रहा है वह साढ़े १२ एकड़ खराब जमीन ले दूसरी तरफ सीलिंग है जिसमें १८ एग्जैम्पशन्स हैं। मन्त्री जी बतायेंगे कि कब्रिस्तान के लिये, पास्चर लैण्ड के लिये, मुर्गी पालने के लिये, पान लगाने के लिये, कितनी जमीन छोड़ी है। फैक्ट, फैक्ट है। कितने ही बागात ऐसे हैं, जिनमें पेड़ नहीं हैं। आज उन पर काश्त होती है। एक तरफ साढ़े १२ एकड़ ताइयुन कर दिया और दूसरी तरफ खुली छूट है। इसमें इतनी मुस्तस्नियात हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अख्तियार है कि इतने एकड़ तक बाग लगाने की इजाजत दे सकता है। इसलिये अगर इसको निकाल दिया जाय तो इन्साफ होगा। कानून सबके लिये यकसां होना चाहिये। कानून राजाओं और गरीबों के लिये यकसां होना चाहिये।

गेंदासिंह जी ने जो कहा है उसको ट्विस्ट किया गया है। उन्होंने कहा है कि मुट्ठीभर गांव के आदमियों को अगर टाटा, बिड़ला और डालमियां तक ले जाना चाहते हैं तो उससे ज्यादा फायदा नहीं पहुँचेगा। उनको टाटा-बिड़ला की बराबरी में नहीं ला पायेंगे। इसलिये उन्होंने कहा। इसके मानी यह नहीं हैं कि वह नहीं चाहते हैं कि गरीब आदमी फूलें और फलें। जो गरीब हैं, मोहताज हैं, जिनको खाने-पीने को नहीं मिलता है, उनके स्तर को जरा ऊँचा किया जाय और स्तर को भी चाहे ऊँचा न कर सकें, इतना तो करें कि उनको दो वक्त में एक वक्त कम से कम रोटी मिल जाय। इसलिये माननीय गोविन्दनारायण तिवारी जी का जो संशोधन है, यह बहुत सही है और मैं इसकी ताईद करता हूं।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह संशोधन जो माननीय गोविन्दनारायण जी ने उपस्थित किया है ऐसा लगता है कि इसे संशोधन नहीं होना चाहिए था बल्कि जो इस संशोधन के रूप में उपस्थित किया है वह ओरिजिनल बिल में होना चाहिए था। जो विधेयक है उसके उद्देश्य को देखा जाय, जिस लिए यह विधेयक रखा गया है, सारे प्रदेश और देश में भूमि की सीमा आरोपण की जो कल्पना है, उसका जो उद्देश्य है, वह सारा उद्देश्य नष्ट हो जाता है अगर यह संशोधन उसमें न रहे। एक तरफ तो उसके पीछे उद्देश्य यह है कि कुछ जमीन बचे और वह जमीन जो बचे वह किसानों को मिले और दूसरी तरफ—एक ओर तो सीमा आरोपण करते हैं और दूसरी ओर इतने छेद, इतने चोर दरवाजे उसमें बना दिये गए

हैं कि जिनसे निकलकर हर आदमी अपनी जमीन की रक्षा कर लेगा । इस सम्बन्ध में, अधिष्ठाता महोदय, मैं अपनी एक व्यक्तिगत जानकारी की बात बताऊँ । इस वर्ष नैनीताल जब मैं गया था तो सरकारी कृषि फार्म देखने के लिए गया था । वहां सरकारी कृषि फार्म से आगे एक बहुत बड़ा फार्म किसी भले आदमी का है । उस फार्म के किनारे-किनारे रिक्शा लेकर मैं चारों तरफ घूमा तो देखा क्या कि आज से कुछ दिन पहले जो एक फार्म था उसमें दूर-दूर पर छोटे छोटे आम के और विभिन्न चीजों के पौधे लगा दिये गए हैं । गन्ने की फसल उसमें लगी हुई है और वह पेड़ जो हैं मैं अनुमान तो नहीं कर सकता लेकिन सड़क के किनारे जितनी दूर में फार्म है उसकी तीन चौथाई से अधिक दूरी तक वह पेड़ लगा दिये गये हैं । उसमें कुछ ऐसे पेड़ हैं कि जो बहुत विकसित होकर भी बहुत बड़े नहीं होंगे । लेकिन उसको बाग मान लिया जायगा क्योंकि बाग मान लेने पर वह छोड़ दिया जायगा ।

इसी तरह से उद्योगों के संबंध में भी छूट देने की व्यवस्था है । अगर उद्योग सरकारी हैं तो सरकार उस उद्योग के लिए जमीन एक्वायर कर लेती है । लेकिन अगर व्यक्तिगत उद्योग हैं, किसी को अपनी मिल खोलनी है, तो हमारी समझ में यह नहीं आता है कि उस मिल के लिए उस आदमी के पास अलग से जमीन क्यों छोड़ी जाय । अगर वह खेतिहर है और उद्योग करना चाहता है तो इसका अर्थ यह तो नहीं हुआ कि उसको उसके लिए खेती से अलग जमीन दी जाय । आज जब देश में बेकारी फैली हुई है, लोगों के पास बहुत ज्यादा उद्योग-धन्धे नहीं हैं, इसी सदन में बड़ी चर्चा इस पर हुई है और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की आलोचना भी हुई है कि एक व्यक्ति को दो रोजगार नहीं देना चाहिए । तो जहां एक तरफ लोगों के पास एक भी रोजगार न हो, वहां एक व्यक्ति को यह छूट देना कि खेती तो उसके लिए रहे ही, दूसरा रोजगार खोलने के लिए भी उसको जमीन दी जाय, यह कुछ उचित नहीं है ।

इसी तरह से इसमें स्पेशलाइज्ड फार्मों की बात है । उसके लिए भी छूट देने की बात रखी हुई है । हमको शंका है और शंका नहीं बल्कि हम ऐसा समझते हैं कि आज जो किसी मिल मालिक के गन्ने का फार्म है उसमें वह एक नये प्रकार का गन्ना बोना शुरू कर देगा और वह एक विशेषीकृत फार्म हो जायगा, उसके लिए भी छूट मिल जायगी ।

यहां हमारी बगल में बैठे हुए मित्र इसका विरोध कर रहे हैं । लेकिन मैं समझता हूं कि यह विरोध वह भ्रमवश कर रहे हैं । अबोध तो मैं उनको कह नहीं सकता । लेकिन यह जरूर है कि वह इस विधेयक की भावना को समझने में असमर्थ रहे हैं क्योंकि जो इसकी भावना है वह तो शुद्ध रूप से यह सरकार इस विधेयक के द्वारा इन्हीं के हितों का समर्थन कर रही है । फर्क केवल यह है कि जनता को एक नारा दे रही है कि हम जमीन पर सीमा लगा रहे हैं जबकि असलियत यह है कि कोई कल्याण जनता का इससे हो नहीं रहा है क्योंकि बहुत सारे चोर दरवाजे उसमें बना दिये गए हैं । मैं समझता हूं कि अगर यह संशोधन नहीं स्वीकार किया गया तो यह तो पहले से ही प्राणहीन या अधमरा हुआ विधेयक है और इस संशोधन को न मानने से तो बिलकुल निष्प्राण हो जायगा । इस प्रकार की छूट अगर देते हैं तो इस सीमा आरोपण का कोई अर्थ नहीं रह जाता । वे सारे उद्देश्य पराजित हो जाते हैं । इसलिए मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं ।

*राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—सभापति जी, जो संशोधन इस समय भवन के सामने पेश है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । जिन भाइयों ने इसका समर्थन किया वह इस बात को नहीं देखते कि यह जो एग्जैम्पशन दिया गया है वह किसी खास मकसद के लिये दिया गया है । जो प्लानिंग कमीशन ने सजेस्ट किया है देश के हित में उसको हमारे भाई भूल जाते हैं । हमारे मित्र अपनी-अपनी पार्टी की बात देखने लगते हैं कि कौन पार्टी कितनी जमीन बांटने के लिये तैयार है । पी० एस० पी० के भाई कहते हैं कि इससे १, २ एकड़ बढ़ जायगी किन्तु मेरा निवेदन है कि जो लोगों को जमीन मिलने वाली है हम भी उसमें आपके साथ हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[राजा वीरेन्द्रशाह]

हम भी देश का हित चाहते हैं । हम भी चाहते हैं कि देश में पैदावार बढ़े । जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उसको पूरा करने के लिये किस चीज की आवश्यकता होगी ? उसके लिये जमीन में पैदावार बढ़ाकर पूरा किया जायगा । हमको इस बात में बिलकुल भ्रम नहीं है । इस समय जितनी राजनैतिक पार्टी हैं वह यह नहीं समझतीं कि और तरह से भी देश का हित किया जा सकता है । वे तो सारा जनहित का साधन देहात से ही शुरू करते हैं । वह समझते हैं कि शहरों के लिये इस बात की जरूरत नहीं है कि वहां पर कोई काम किया जाय या कोई प्लानिंग की जाय या वहां के रहने वालों की आमदनी कम की जाय । जो कुछ भी काम शुरू करते हैं वह सब देहात से शुरू करते हैं ताकि मजदूर और गरीबों की बदतर हालत रहे और उनको हमेशा के लिये चंगुल में रखे रहें ।

मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि प्लानिंग कमीशन ने रिपोर्ट दी लेकिन सरकार ने स्वयं नहीं माना । इसमें ऐसी चीजें हैं जिनको प्रस्तावक महोदय ने रखा है कि उनको विमुक्त किया जाय । उसमें राजाओं के फार्म छोड़े गये हैं । उन राजाओं के पास इतनी जमीन है कि जिसके लिये फिर सवाल रहेगा । तो फिर क्यों नहीं गवर्नमेंट आफ इंडिया से तय करके इस चीज को तय किया गया ? जब जमीन का सवाल है तो इसमें भेदभाव नहीं रखना चाहिये । जब वे प्रीवी पर्स पाते हैं तो उनको क्यों एग्जैम्पशन मिलना चाहिये ? मैं समझता हूं कि यह अनुचित है ।

यह जो विनोबा जी की योजना में जमीन का दान हुआ इसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ । जो कार्यकर्ता थे उन्होंने ६०,८० और १०० एकड़ तक अपने नाम कर रखी है । गोरखपुर के एक कार्यकर्त्ता ने अपना नाम लिखाकर अपने नाम पट्टा करा लिया और कब्जा कर लिया । मेरे कहने का मतलब यह है कि चाहे जिस तरह से भी सीलिंग हो हम आपके साथ हैं ।

आगे क्लाज ६ के बारे में मेरा संशोधन भी आयेगा और हमने भी कहा है कि अपनी जमीन से उनको हट जाना चाहिये । मैं निवेदन करूँ कि मेरे पास कोई फार्म नहीं है । मैं आपकी सीलिंग में नहीं आता हूं । मैं जागीरदार था लेकिन जो जमीन मेरे पास रही वही मेरे पास है । मैंने कहीं से हड़पी नहीं है और न हड़पने की कोई कोशिश की । अगर हम सीलिंग के अन्दर आते हैं तो वह चली जायगी । इस वजह से मेरा निवेदन है कि इस संशोधन को इस समय वापस लिया जाय और आगे जहां पर इस संबंध में आया है वहां पर इन बातों को रखें । बेमतलब जमीन रोक कर रखी जाय, इसको हम भी पसन्द नहीं करते हैं ।

दूसरी बात यह है कि सरकार के पास जितने फार्म हैं वह सब अलाभकर चल रहे हैं । क्यों नहीं सरकार उस जमीन को वितरित कर देती ताकि लोग उस जमीन में अधिक पैदावार कर सकें ? आपके कर्मचारियों ने आपके यहां से तनख्वाह पाकर भी उसको अलाभकर रखा । हम किसान लोग उसमें पैदा करेंगे । सरकार ने उसको क्यों घेर रखा है ? मैं समझता हूं कि सरकार उस जमीन को गरीबों को बांट दे और अपने पास वह उदाहरण के लिये थोड़ी-सी जमीन रख सकती है ।

*श्री दाताराम (जिला सहारनपुर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, तिवारी जी ने जो संशोधन पेश किया है मैं उसका विरोध करता हूं और इसकी वजह यह है कि बागों को लगाने के लिये जो कहा गया है, उसे सुन कर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, बड़ा धक्का पहुँचा और मैं समझता हूं कि जैसा अभी एक भाई ने कहा कि हमारी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का रेजोल्यूशन है कि बाग को इस भूमि में जरूर शामिल किया जाय, मेरे खयाल में यह ठीक न होगा । हमारे मुल्क में गल्ले की पैदावार कम है और इसमें कोई दो रायें नहीं हैं और अरबों रुपये का गल्ला हमको बाहरी मुल्कों से मंगाना पड़ता है । उसके बदले में दूसरे मुल्कों को सोना दिया जाता है । लेकिन इसके साथ ही, पिछले साल एक करोड़ के करीब का आम हमने दूसरे मुल्कों को भेजा है । जहां हमको गल्ला मंगाने की जरूरत पड़ती है उसके साथ ही हम अपना फल, खास कर आम, बाहर भेजते हैं और उसके बदले में हमको गल्ला और दूसरी मशीनों का सामान मिलता है । वैसे भी,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्लानिंग कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट दी है जिसमें खास तौर से बागों को लगाने की सिफारिश सरकार से की है कि वे ज्यादा से ज्यादा लगने चाहियें और मेरी राय तो यह है कि साइन्सदानों की राय भी यही है कि मुल्क में जितने ज्यादा बाग लगाये जायेंगे उतनी ही बारिश ज्यादा होगी ।

ऐसा कहा जाता है कि एक एकड़ बाग लगाने से एक ट्यूब वेल के बराबर पानी मिलने का फायदा होता है । आज जगह-जगह जो खुश्की होती जाती है या जमीन में जो रेत बढ़ती जाती है, जैसा कि आगरे की तरफ हो रहा है, उसको रोकने के लिये केवल बाग लगाने की जरूरत है । दूसरे, एक जंगलात का बिल जल्दी ही सरकार लाने वाली है और उसमें इस बात का विधान किया गया है कि जो प्राइवेट जंगल हैं, जिनमें अच्छी तरह से मरम्मत आदि नहीं हो रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं, या पेड़ नहीं लगाये जा रहे हैं, उनका इन्तजाम सरकार खुद ले ले । मुल्क में जहां फलों और लकड़ी की जरूरत है उसके साथ ही बारिश बढ़ाने के लिये भी बाग लगाने की जरूरत है और मेरी राय तो ऐसी है कि जो लोग बाग लगाये हैं उन्हें सरकार को मालगुजारी में कुछ सहूलियत देनी चाहिये देश हित के लिये । हो सकता है, जैसा किसी एक भाई ने कहा, कि किसी ने किसी जमीन पर कुछ पेड़ लगा दिये और वहां ईख बो रखी है या उस जमीन का गलत इंदराज कर रखा है, तो इन चीजों की तहकीकात की जाय और अगर वे सही हैं तो उन बागों को कटवा देना चाहिये । लेकिन बाग की तो अपने देश हित के लिये, अपनी रक्षा के लिये और अन्न की पैदावार बढ़ाने के लिये बहुत ज्यादा जरूरत है । बाग होने से ही जहां हम अरबों का गल्ला बाहर से मगाते हैं, करोड़ों का फल भी बाहर भेज रहे हैं और खास कर आम का फल तो ऐसा है कि जो सारी दुनिया में पसन्द किया गया है और अब तो ऐसे तरीके निकल आये हैं कि जिनके कारण वह खराब भी नहीं होता और हवाई जहाज से बहुत जल्दी ही कहीं पर भेजा जा सकता है । तो इन बातों को देखते हुए, मैं समझता हूं कि तिवारी जी अपने संशोधन को वापस ले लें और सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह बागों के लिये इससे भी ज्यादा सहूलियत दे । जैसे कृषि टैक्स में उनके लिये कुछ रियायत की गयी थी या बिल्कुल मुक्त कर दिये गये थे, हालांकि वह तो अब खत्म हो गया है, लेकिन सरकार वैसे ही बागों के लिये अधिक सहूलियत दे, यही मेरी प्रार्थना है ।

श्री राजदेव उपाध्याय (जिला देवरिया)--श्रीमन, प्रजा समाजवादी पार्टी की ओर से, मेरे मित्र तिवारी जी ने जो संशोधन पेश किया है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, अगर यह संशोधन मान लिया जाय तो इससे हमारे प्रदेश की ही नहीं अपितु इससे पूरे देश की हानि होगी । बाग वाली, कब्रिस्तान वाली, या और जो इस तरह की जमीनें हैं उनकी ओर मैं माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं । यह एक अहम मसला है जिस पर कि हमें बड़ी गम्भीरता के साथ विचार करना है । मसलन बाग के मसले को ही ले लिया जाय । इस समय हमारे भाई माननीय गेंदासिंह जी यहां मौजूद नहीं हैं, उन्होंने कहा था कि प्रदेश में लाखों पेड़ कटते चले जा रहे हैं । यह बात बिल्कुल सही है, लाखों पेड़ कट गये हैं । अगर आज बागों के लिये जो जमीन छोड़ दी गयी है, उसे न छोड़ा जाय तो उसका नतीजा यह होगा कि एक दिन कहीं भी एक पेड़ भी नजर नहीं आयेगा । वह सारी की सारी जमीन बंट जायगी और बाग खत्म हो जायेंगे । जब पहली बार सीलिंग पर बहस चल रही थी तो मैंने बताया था कि पूर्वी जनपद में जब अकाल पड़ा था, लोगों के खाने के लिये अन्न नहीं था, तो उस समय इतनी तादाद में वहां पर आम, जामुन, कटहल वगैरह कई प्रकार के फल पके थे उन्हीं को खाकर लोगों ने अपना पेट भरा । वे फल इतने सस्ते थे कि तीन-तीन चार-चार महीनों तक लोगों ने उन्हीं को खाकर अपना जीवन निर्वाह किया । वे मामूली अन्न खाते थे ।

इसके अलावा, श्रीमन्, आप पहाड़ों की तरफ देखिये । वहां पर लोग क्यों जाते हैं ? वहां पर बड़े-बड़े उद्यान हैं, बगीचे हैं, बड़े-बड़े सुन्दर स्थान हैं, इसलिये उनका बड़ा महत्व है । स्वास्थ्य के खयाल से भी देखा जाये तो प्रदेश में बागों की बहुत जरूरत है । अगर इनको

[श्री राजदेव उपाध्याय]

मुक्त कर दिया जाता है तो यह सब नष्ट हो जायेंगे। आज राजस्थान वगैरह की तरफ देखिये। वहां पर क्यों इतनी मरुभूमि पड़ी हुई है ? उसका कारण यही तो है कि वहां पर पेड़ नहीं हैं, बगीचे नहीं हैं ।

(इस समय २ बज कर २४ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुये ।)

मनुष्य जीवन में फलों का बहुत महत्व है, उसके जीवन में बगीचों की सुन्दरता का एक सुन्दर स्थान है। यह सब उसके जीवन के लिये अत्यन्त जरूरी चीजें हैं । इसलिये मैं अपने मित्रों से अनुरोध करूंगा कि वे अपने संशोधन को जितनी जल्दी हो सके वापस ले लें तो अच्छा है, उससे प्रदेश का उतना ही हित होगा जितनी जल्दी वे उसे वापस ले लेंगे ।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इन बगीचों के लिये जितनी ज्यादा से ज्यादा भूमि मुक्त हो सके उतनी मुक्त करने की कृपा करें । मैं अपने मित्रों से कहना चाहता हूं कि अगर वे इन बगीचों का भी बराबर बराबर बटवारा कर लें तब भी गरीबी की समस्या का, अन्न की समस्या का, इससे हल होने वाला नहीं है । इससे कितनी जमीन आपके पास आ जायेगी ? उसको कितने लोगों को आप बांट सकेंगे ? जब तक आप उद्योगों की तरफ नहीं जायेंगे, गृह उद्योगों और बड़े-बड़े उद्योगों की तरफ ध्यान नहीं देंगे तब तक यह भुखमरी की समस्या हल नहीं होने वाली है । इस प्रदेश की साढ़े ६ करोड़ और सारे देश की ४०-४५ करोड़ आबादी है। बराबर बराबर जमीन बांटने से भी यह समस्या हल होने वाली नहीं है। जिसके पास तीन, चार एकड़ जमीन होती है वह अन्न पैदा करके खुद खाता है और जिसके पास २५-३० एकड़ जमीन होती है वह अन्न पैदा करके खुद खाता है और फालतू अन्न दूसरे लोगों को देता है जिससे भुखमरी की समस्या हल होती है ।

मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि बागों को नये सिरे से लगाने के लिये और बागों से संबंधित रिसर्च के लिये जितनी भूमि की जरूरत हो वह मुक्त की जानी चाहिये। इस कारण मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और तिवारी जी से कहना चाहता हूं कि देश और प्रदेश के हित में जनहित में इसको वापस लें । जिस समय मनुष्य बीमार पड़ता है उसको फल की आवश्यकता होती है, बच्चों और बूढ़ों के लिये फल की आवश्यकता होती है । जिस देश में फल और दुग्ध नहीं होगा उस देश की क्या हालत होगी, यह अन्दाज माननीय सदस्य स्वयं लगा सकते हैं । इसलिये मैं मूल प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और जो संशोधन पेश किया गया है उसका विरोध करता हूं ।

राजा वीरेन्द्रशाह---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब बहस बन्द की जाय क्योंकि सुबह से एक ही क्लाज पर बहस हो रही है ।

श्री उपाध्यक्ष---आचार्य दीपंकर के बोलने के बाद मैं आपका प्रस्ताव ले लूंगा ।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)---आदरणीय उपाध्यक्ष जी, इस बिल पर जो संशोधन माननीय तिवारी जी ने प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करते हुये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, आपके जरिये सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि अधिकतम जोत सीमा निर्धारित करने के लिये सीलिंग का यह बिल पेश करते हुये सरकार ने यह बात कही थी कि गरीब आदमियों को, छोटे किसानों को जमीन दिलाने के लिये और जिनके पास अधिक जमीन है उनसे जमीन लेने के लिये सरकार यह बिल रख रही है। पहले तो इस प्रकार का बिल लाने की सरकार हमेशा मुखालिफत करती रही और सिद्धान्त रूप से सरकार ने यह दावा किया कि बिल आ नहीं सकता है और अधिकतम जोत सीमा निर्धारित हो नहीं सकती। लेकिन जो बिल

पेश भी किया गया है उसमें इस प्रकार की बंदिशें लगा दी गईं जिनसे सारा उद्देश्य ही समाप्त हो गया। मसलन् इसमें जो अपवाद निर्धारित किये गये हैं कि बाग कितनी ही जमीन पर लगाये गये हों वह सीलिंग में नहीं आयेंगे या जो औद्योगिक फसलें पैदा करने वाले खेत हैं वह भी सीमा निर्धारण से बाहर रहेंगे, इसी प्रकार की अन्य बंदिशें लगाई गई हैं।

सबसे पहले मूलरूप में यह विधेयक जब यहां पेश हुआ तो उस पर यहां बहुत लम्बी बहस हुई और उसके बाद यह विधेयक प्रवर समिति के सिपुर्द किया गया। प्रवर समिति में इसमें बहुत सी तरमीमें कर दी गई हैं; बजाय इसके कि जनता के पक्ष को रखने वाले विरोधियों की बातों का आशय लगाया जाता, सीमा को नीचे लाया जाता, सीमा को और ऊंचे ले जाया गया है। सरकार बजाय इसके कि ४० एकड़ से कम रखती जैसा कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, कम्यूनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के भी कुछ सदस्यों ने दबी जबान में कहा कि ४० एकड़ ज्यादा रखा जा रहा है, इसको कम होना चाहिये, सरकार ने इसको बढ़ा कर ४७ एकड़ कर दिया। इसके अलावा यह भी सब जानते हैं कि किसानों की जमीनों का देय लगान ऊंचा है और जमींदारों की जमीन का देय लगान आमतौर पर पूरे प्रदेश में नीचा होता है। छोटे किसान ज्यादा लगान देते हैं, उसके अनुसार उनका देय लगान ज्यादा होता है लगान का और बड़े जमींदार बहुत कम लगान दिया करते थे उसके अनुसार उनकी जमीनों का लगान बहुत नीचा है। तो ज्यादा जमीन उनके पास वैसे भी रह जाती है। अगर उससे भी कोई कसर बाकी रह जाय तो अब हमारे प्रदेश में ३, ४ हजार बीघा जमीन पर बाग लगाने वालों की तादाद बहुत बड़ी है।

इस बात से कौन इन्कार कर सकता है कि अगर किसी ने ४ या २ एकड़ जमीन में आड़ू या लीची जैसा क़ीमती फल लगा लिया तो उसे ५० एकड़ खेती करने वाले किसान से भी अधिक आमदनी होती है? आज से ५, ६ वर्ष पहले सरकार की पालिसी यह थी कि वह अधिकतम सीमा निर्धारण करना नहीं चाहती थी और यह सरकार एडेमेंट थी इस बात के लिये कि यह अव्यावहारिक है। उस नीति में और आज की नीति में यद्यपि देखने में अन्तर नजर आता है कि पहले वे सिद्धान्ततः इसकी मुखालिफ़त करते थे और आज वे समर्थन करते हैं लेकिन व्यावहारिक रूप से आज भी कोई फर्क नहीं है। कमाल की बात यह है कि पिछली मर्तबा यह भी किया गया था कि १५ अगस्त की सीमा को आगे बढ़ाने का तय किया गया जब कि पिछले १, २ वर्ष की सीमा रखनी चाहिये थी। सरकार ने इस बात को स्वीकार करने के बजाय १५ अगस्त की पवित्रता का ढोल पीट कर ५ दिन और बढ़ा दिये जिनमें कुछ लोगों को अनुचित तरीक़े से क़ब्जा करने का मौक़ा मिल जाता है।

इस सदन में बुद्धिसंगत या न्यायसंगत बात करना वैसे ही होता है जैसे कि स्टीम रोलर किसी चीज़ को रोंदता चला जाता है। हमारी अच्छी बात को भी सरकार की मेजारिटी रोंद देती है। सरकार के बाग़ों के पक्ष में होने का भी बहुत प्रचार किया गया। अगर सरकार उसे सचमुच प्रोत्साहित करना चाहती है तो उसके और बहुत से तरीके हैं। किसानों को सुविधा दी जा सकती है और कुछ छूट भी दी जा सकती है। बागों का लगाया जाना हमारी पुरानी धार्मिक संस्कृति के अनुसार पवित्र भी है। परन्तु बागों के नाम पर जो गरीबों का शोषण करते रहे हैं उनको इस बात पर खुली छूट देना कि वे ज्यादा से ज्यादा जमीन अपने अधिकार में रखे रहें, यह ग़रीबों को २, ४ बिस्वा जमीन से वंचित रखना है और बिल्कुल ग़लत है। यही नीति है जो जन-विरोधी है।

इन शब्दों के साथ, मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और अपील करता हूं कि बजाय इस मामले में किसी पार्टी के हित की बात ली जाय, जनता के हित को सोचकर मूल कानून में यह बात कर दी जाय।

राजा वीरेन्द्रशाह—मेरा प्रस्ताव अब ले लिया जाय कि अब विवाद बन्द किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

*श्री गोविन्दनारायण तिवारी--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन पर लगभग सवा दो घंटे बहस हुई है और दोनों तरफ के बैठने वालों ने इसमें काफी हिस्सा लिया। माननीय राजस्व मंत्री जी यहां हैं नहीं, वह हमारे ऊपर विशेष रूप से हमला करके चले गये। बुन्देलखंड की परम्परा यह है कि जब कोई भागता है तो हम लोग उसका पीछा नहीं करते और किसी के ऊपर पहले वार भी नहीं करते हैं।

मैं केवल एक बात निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम में और जमींदारों में क्या रिश्ता है, यह तिवारी जी नहीं जानते। बहरहाल, इस संशोधन की बहस के दौरान में हमारे चार राजा लोग बोले, और मंत्री जी के अलावा दूसरे कांग्रेस के लोग भी बोले। ये सब एक स्वर से बोले। इनकी वाणी एक थी। सभी चाहते थे कि संशोधन स्वीकार न हो। इस बहस के दौरान में यह बात बिल्कुल निश्चित हो गयी कि मंत्री जी का और जमींदारों का क्या रिश्ता है।

एक सदस्य--अपनी भी तो कहिये। हमारा तो रिश्ता है ही।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी--ऐंठ नहीं जाती है। जमींदारी खत्म होने पर भी हम तो आपको राजा ही समझते हैं और आप हमारे जिले के राजा हैं भी।

खैर, इस बहस के दौरान में जो दलीलें दी गईं, उनमें राजा अवधेशप्रतापसिंह ने कहा कि इसके आब्जेक्ट्स और रीजन्स को तो पढ़ा ही नहीं गया। विधेयक में भूमि के बटवारे के लिये तो है ही नहीं। इसलिये इस विधेयक से सीलिंग का सवाल पैदा नहीं होता है। वैसे इसके उद्देश्य और कारणों में स्पष्ट लिखा है कि भूमिहीनों को भूमि दी जाय।

जहां तक अधिक उत्पादन का सवाल है, तो मेरा खयाल है कि अधिक उत्पादन भी देश में तभी हो सकता है, जबकि जमीन का बटवारा हो। जब इन्टेंसिव कल्टीवेशन होगा तो उत्पादन अधिक होगा। उन्होंने मेरी दलीलों को मिसरिप्रेजेंट करके यह भी कह दिया कि आप यह चाहते हैं कि बाग़ काट दिये जावें। माननीय मंत्री जी ने भी फ़रमाया कि मेरी बात का अवधेशप्रताप सिंह जी ने जवाब दे दिया है। श्रीमन्, इतने बड़े हाउस में, जहां लेजिस्लेशन का काफ़ी तजुर्बा है, मेरी बहस को एप्रीशियेट नहीं किया गया। मैं चाहता हूं कि अब भी उसे एप्रीशियेट कर दिया जाय। मैं चाहता हूं कि वह फैलेंसी जो आर्ग्यूमेंट्स की है वह हम श्रीमन् के सामने एक्सपोज़ कर दें। हमारा कहना है कि अधिकतम सीमा में बाग़ शामिल कर लिये जावें। ४० एकड़ के बाद बाग़ दूसरों को दे दिया जायगा। बाग़ भी आजकल भूमिधरी कहलाता है। मान लीजिये कि किसी के पास ८० एकड़ में से २० एकड़ बाग़ है। तो वह २० एकड़ बाग़ अपना बराबर रख सकता है और २० एकड़ दूसरी जमीन ले ले। अगर किसी के पास १०० एकड़ बाग़ है तो वह ४० एकड़ बाग रख सकता है। इसमें सारी की सारी दलीलें इस प्रकार की दी गयी हैं।

एक सहारनपुर के सदस्य तथा अन्य दूसरे सदस्यों ने यह फरमाया कि हमने यह दलील दी कि हम चाहते हैं कि बाग काट दिये जायं। आज आपके यहां भिन्न-भिन्न कानून मौजूद हैं, फारेस्ट ऐक्ट मौजूद है, जिनकी वजह से आज भी अगर कोई अपना बाग काटना चाहे तो नहीं काट सकता। इसलिये अगर हमारा संशोधन मान भी लिया जाता है तो भी उसके द्वारा किसी बाग को काटने का सवाल पैदा नहीं होता।

एक बड़ी दलील यह भी दी गयी कि यह राष्ट्रहित की बात है। हम भी कहते हैं कि बाग लगाना राष्ट्रहित की बात है लेकिन उसके साथ-साथ यह भी राष्ट्रहित की बात है कि बागों के लिये आपको किसी प्रकार का कोई एग्जेम्पशन न दिया जाय।

बागों के ही सिलसिले में जरा देखा जाय तो उत्तर प्रदेश में जितनी सड़कें हैं वे सब खाली पड़ी हैं, उनके किनारे कोई दरख्त मीलों तक नहीं है। अगर सरकार उनके किनारे ही दरख्त

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लगवा दे तो बहुत सी वन की समस्या पूरी हो सकती है। श्रीमन्, हमारे जिले में १५-२० मील तक सड़कों के किनारे वृक्ष नहीं हैं। बबूल और इमली के लगाये जा सकते हैं, वे भी नहीं हैं। सरकार को उसके लिये पैसा देना चाहिये और स्टाफ रखना चाहिये। लेकिन आप कुछ लोगों के फेवर में बाग के नाम से जमीन छोड़ना चाहते हैं इसलिये आप यह दलील दे रहे हैं।

माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने यह दलील दी कि घर मेरा और दरवाजा और किसी का हो जाय। अब वह दरवाजा किस तरफ होगा--सहन में होगा या बाहर होगा? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो सीमारोपण विधेयक है क्या उसमें आबादी का रकबा भी शामिल होगा या केवल हार का रकबा ही होगा, क्योंकि हार का अलग खसरा होता है और आबादी का अलग खसरा होता है। अगर वह आबादी से लागू नहीं होता तो रेजीडेंशल हाउस का सवाल ही पैदा नहीं होता और रास्ता निकालने का अधिकार उसको कहां से पैदा हो जायगा? हमारी मांग तो यह है कि कोई लिमिट कर दीजिये।

मंत्री महोदय ने दोष लगाया कि केस ला में इसको डेस्क्राइब कर दिया गया है कि इतना-इतना रकबा रहेगा। मेरा उनसे निवेदन है कि ऐसा कोई भी केस ला नहीं है कि सहन पेश दरवाजा कहां होगा।

मंत्री जी ने कह दिया कि बबूल के बाग मान लिये जायेंगे। लेकिन हाई कोर्ट में जब इन्टरप्रिटेशन का सवाल आयेगा तो वे यह नहीं देखेंगे कि मंत्री जी ने क्या कहा था। जब तक आप उसको लेजिस्लेशन में नहीं लायेंगे तब तक उस बात को वे मानने वाले नहीं हैं। इस हाउस में डिस्कशन होता है; उसको ला के इन्टरप्रिटेशन के लिये प्रयोग नहीं कर सकते। यहां मंत्री महोदय ने फरमा दिया कि बुन्देलखंड के बबूल के बाग मान लिये जायेंगे। उन्होंने यह भी फरमाया कि केस ला में सहन पेश दरवाजे के बारे में दिया हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारा मकान जो रेजीडेंशियल होगा वह आबादी वाला होगा या फार्म जो बनायेंगे वहां होगा।

इसके बाद मंत्री जी ने हमारा थोड़ा सा मजाक किया कि हमने जो संशोधन दिया वह बड़ा अनहैप्पीलो वर्डेड संशोधन दे दिया। श्रीमन्, चाहे तो आप अंग्रेजी के क्लाज को देखिये या हिन्दी की धारा को ही देखिये। अगर ये अल्फाज निकाल दिये जायं, जो एग्जेम्पशन इस ऐक्ट में दिया गया है उसे हटा दिया जाय तो सीलिंग सेक्शन ४ के अन्दर फिक्स हो गयी, उसका मतलब होगा। श्री गोविन्दसिंह ने इसको काफी क्लीयर कर दिया है इसलिये इस प्वाइंट पर मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता।

माननीय मंत्री जी ने एक बात गलत कह दी कि मैंने कब्रिस्तान और मरघट को भी एग्जेम्ट करने पर एतराज किया। मुझे रेवेन्यू ला का २२ साल का तजुर्बा है, सन् १९२६ के ऐक्ट का भी मुझे तजुर्बा है और वकील होने की हैसियत से मुझे १९०१ और १८८३ का तजुर्बा है और प्रैक्टिकली १९२६, १९३९, और १९५२ के ऐक्ट का भी तजुर्बा है और रेवेन्यू रेकार्ड का सन् १८६४-६५ से लेकर अब तक के सेटिलमेंट का तजुर्बा है। इसलिये जहां मैंने कब्रिस्तान और मरघट का जिक्र किया वहां गांव के सामूहिक कब्रिस्तान से और मरघट से मतलब था जोकि अक्सर हमारे देश के गांवों में होता है। किसी का इनडिवीजुअल कब्रिस्तान नहीं होता है। सारी विलेज कम्युनिटी की तरफ से अगर मुसलमान ज्यादा हैं तो उनके लिये एक रकबा अलग कर दिया जाता है और इसी तरह से मरघट का रकबा अलग कर दिया जाता है। हां, अगर कोई राजा हुआ, तल्लुकेदार हुआ या बड़ा भारी चौधरी हुआ जिसकी जमींदारी १०, २० गांवों में हुई तो जहां उसके बाग होते थे; वहीं वह अपने फेमिली के नाम पर कब्रिस्तान के लिये कुछ जमीन नियत कर देता था तो वह दूसरी बात थी लेकिन आमतौर पर सामूहिक तौर पर ही कब्रिस्तान या मरघट होते हैं। इसलिये यह दलील देना सही नहीं है कि ऐसे क्रिमेशन ग्राउन्ड या कब्रिस्तान को भी एग्जेम्प्ट कर दिया जाय जो कि इनडिवीजुअल हों। इस तरह से मेरे सम्बन्ध में जो माननीय मंत्री जी ने कहा वह गलत बात थी। मेरा मतलब इनडिवीजुअल कब्रिस्तान व मरघट से ही था।

[श्री गोविन्दनारायण तिवारी]

मंत्री महोदय ने फरमाया कि बदकिस्मती से बुन्देलखंड में बाग नहीं लगे हैं, वहां पर बबूल के ही बाग हैं। यह बात सही है कि बदकिस्मती की बात है कि बुन्देलखंड में बाग नहीं लगे और यह हमारी बदकिस्मती है कि जब से यह सरकार शासनारूढ़ हुई है तब से उसने बुन्देलखंड की चिन्ता नहीं की और वहां बाग लगाने की कोई कार्यवाही नहीं की। बुन्देलखंड बराबर इगनोर होता रहा है और इस ऐक्ट के अन्दर भी बुन्देलखंड को इगनोर करने का प्राविजन रखा गया है। अगर बुन्देलखंड में भी वही सीलिंग रखी गयी जो बाहर वालों के लिये है तो बुन्देलखंड के रहने वालों और बाहर के रहने वालों में १ और १० का अन्तर होगा और उसके फलस्वरूप उनकी आमदनी में भी १ और १० का अन्तर हो जायगा। अब रहा यह कि बुन्देलखंड में बाग नहीं लगे इसलिये मंत्री जी ने ऐसा कहा---तो मेरा कहना यह है कि इस तरह की डिस्पेरिटी नहीं होनी चाहिये। बुन्देलखंड को इस तरह से इगनोर करने से काम नहीं चलने वाला है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि बाग नेशनल एसेट्स हैं, मैं भी इस बात को मानता हूं कि बाग नेशनल एसेट्स हैं लेकिन आप ६०, ४०, २५, २० एकड़ की कोई सीमा तो निर्धारित कर दीजिये कि उसी के अन्दर किसान अपना बाग भी लगा सके। इसलिये बाग के कटने या नेशनल राइट के नुकसान का कोई सवाल नहीं है।

एक बात माननीय मंत्री जी ने गोसदन और गोशालाओं की कही कि गायें हमारी माता हैं। तो क्या सिर्फ गोसदन और गोशाला की गायें ही आपकी माता हैं या किसानों के पास जो एक, दो, चार गायें हैं वे भी आपकी माता हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन---हमारी आपकी दोनों की माता हैं।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी---तो आपने उन किसानों की गायों के लिये क्या प्राविजन किया है? आपने उनको गाय के लिये कौन सी जमीन दे दी? केवल धार्मिक ग्राउन्ड पर सेन्टीमेंट की बात कह देने से ही गाय की रक्षा नहीं होती। मैं जानता हूं कि कुछ लोग आपके कृपापात्र हैं, उन्हीं की गौशालायें चल रही हैं, डेरी फार्म चल रहे हैं, उन्हीं को एनीमल हस्बेंडरी विभाग से रुपया मिलता है और उनके लिये गाय के नाम पर सुविधायें आप प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप वाकई गौ माता के भक्त हैं तो जिनके पास जमीन नहीं है और वह गाय पालते हैं और दूध का पेशा करते हैं उनके लिये भी आप जमीन का प्राविजन करें।

राजा राघवेन्द्रप्रतापसिंह ने एक बात कही, उन्होंने बड़ी कानूनी बात कही थी, वह इनटेलीजेन्ट बात जरूर है कि इस संशोधन के मानने से इंडियन रूलर्स के साथ भी एग्जेम्पशन करना होगा और इस कारण यह संशोधन निराधार हो जायगा। जहां तक इंडियन रूलर्स की बात है, उनका सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि हमें उनके बारे में कोई बात तय करने का अधिकार ही नहीं है, न उनके विषय में हम लेजिस्लेट कर सकते हैं। तो उनका जिक्र करने से हो क्या लाभ? अगर सदन ऐसा करे भी तो वह कानून ही अल्ट्रावायरस हो जायगा। इसलिये एग्जेम्पशन का कोई सवाल पैदा नहीं होता। अगर आप इंडियन रूलर्स की जमीन को छोड़ देंगे तो यह आपकी खामखयाली होगी। लिहाजा इन वजूहात से मेरा संशोधन असंगत न होगा।

इसके अलावा माननीय बलदेवसिंह जी ने भी मेरे संशोधन की बहस में भाग लिया और कहा कि २४ एकड़ का बाग हमारे पास है। तो ४० एकड़ यों मिलेगी और २४ एकड़ वह बाग बताते हैं, वैसे भगवान जाने कि होंगे कितने, मेरा आब्जेक्शन यह है जैसा कि उन्होंने बताया कि कम से कम उनके पास सीलिंग के बाद भी ८०-९० एकड़ आराजी रहेगी। उनको कोई आय ऐसे बाग से नहीं है लेकिन अगर यही आराजी किसी भूमिहीन के पास होती वह उसमें मेहनत कर के पैदा करता, जिससे उत्पादन बढ़ता, खाद्य समस्या हल होती और हमारी नेशनल इनकम बढ़ती। ऐसे लोगों को बाग रखने का कोई अधिकार नहीं है जिनको उनसे कोई आय नहीं है और वह उनको बेकार डाले हुये हैं, उनके ऐसे बाग सीलिंग में आने चाहिये ताकि दूसरे गरीबों की और देश की तरक्की हो।

उन्होंने एक और बात कही कि जमींदार के जमाने में बाग की लकड़ी मिल जाती थी लेकिन आगे दाह क्रिया के लिये भी लकड़ी नहीं मिलेगी, अगर बाग ले लेंगे तो। लकड़ी आपके यहां नहीं मिलेगी तो उसका इन्तजाम तो सरकार करेगी लेकिन उनकी लकड़ी तो हम दाह क्रिया के लिये भी लेकर उनका एहसान नहीं लेना चाहते। उस स्टेज पर भी हम उनका एहसान नहीं लेना चाहते।

हमारे यहां के राजा वीरेन्द्रशाह ने भी हमारे संशोधन का विरोध किया लेकिन उन्होंने आधे मन से उसका समर्थन भी किया। मेरा निवेदन है कि अगर सरकार सीलिंग को सार्थक करना चाहती है, अगर नेशनल आय और उत्पादन को बढ़ाना चाहती है और अगर केवल नारेबाजी से ही वह काम लेना नहीं चाहती है तो वह मेरे संशोधन को अवश्य स्वीकार करे।

राजस्व उप-मंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस खंड पर जितने जोर से बहस की गई उसको सुन कर हमें कुछ आश्चर्य हुआ और इस बात पर विशेष आश्चर्य हुआ कि यह अवसर इस तमाम तर्क के लिये मुनासिब था अथवा नहीं। जब इस विधेयक पर आम बहस हो रही थी तब भी प्रायः यही बातें कही गई थीं और जिन विमुक्तियों के विरोध में इस समय तर्क पेश किये गये उनका प्राविधान खण्ड ६ में है। खण्ड ६ में सब से अधिक संशोधन इस विधेयक में आये हुये हैं और माननीय सदस्य इन्हीं तर्कों को पुनः उपस्थित करने का अवसर पायेंगे। परन्तु, मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी उधर के जो माननीय सदस्य बोल रहे थे उनके दल के श्री गेंदासिंह जी ने जब इस विवाद में भाग लिया तो कहा कि जो खण्ड ६ में विमुक्तियां रखी गई हैं उनमें से कुछ से वह सहमत हैं। सबसे न भी सहमत हों, परन्तु एक से भी सहमत हों तो यह संशोधन यहां पर सर्वथा अमान्य हो जाता है, क्योंकि बिना इस प्रकार की व्यवस्था यहां किये हुये कदापि फिर वह विमुक्ति रखी नहीं जा सकती।

माननीय न्याय मंत्री जी ने इस संशोधन की निरर्थकता पर बल देते हुये जिस बात को कहा था उस पर माननीय उधर के वकील श्री गोविन्दसिंह विष्ट जी ने और दूसरे ऐसे वकील जिन्होंने अभी दावा किया कि सन् १८८५, १९०१, १९२६, १९३९, १९५२ और आज तक के जितने रेवन्यू संबंधी कानून हैं उनमें उन्होंने माहरत प्राप्त की है, निश्चय ही कानून के ड्राफ्ट में भी माहरत होनी चाहिये, किन्तु हठकारिता के लिये कोई उत्तर नहीं है—उन्होंने कहा कि उनका यह संशोधन कतई असंगत नहीं है। श्रीमन्, मैं उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। खण्ड ३ जिस प्रकार है उसे मैं आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं। वह यह है "अधिकतम क्षेत्र का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन विमुक्ति भूमि से भिन्न भूमि के उस क्षेत्र से है जो धारा ४ के उपबंधों के अनुसार इस रूप में अवधारित किया गया हो। इसमें इन शब्दों को निकालने का संशोधन है कि "अधीन विमुक्ति भूमि से भिन्न भूमि के"। यदि यह निकाल दिया जाय तो शेष बचता है कि अधिकतम क्षेत्र का तात्पर्य इस अधिनियम के उस क्षेत्र से है जो धारा ४ के उपबंधों के अनुसार इस रूप में अवधारित किया गया हो।

मान्यवर, मैं यह तो नहीं कहता कि माननीय सदस्य को हिन्दी भाषा का ज्ञान नहीं होगा, परन्तु यह हठवादिता ही होगी अगर वह बार बार हठ करें कि उनके संशोधन को मानने से इस खंड का जो स्वरूप होगा वह इस आदरणीय विधान सभा के सदस्यों द्वारा पारित होने योग्य होगा। फिर तो इसके बारे में यही हंसी उड़ाई जा सकती है, जैसा कि कहा गया, कि इस बड़े सदन में इतने बड़े लोग और वकील लोग बैठते हैं फिर भी उन्होंने नहीं देखा कि भाषा का क्या सरूप होता है। क्या इस अधिनियम के अन्दर कोई क्षेत्र है? इसमें स्पष्ट है कि "अधिकतम क्षेत्र का तात्पर्य उस क्षेत्र से है. ." तो इस अधिनियम में कौन सा क्षेत्र है, यह वह बताने की कृपा करेंगे। इसलियेभाषा के अनुसार भी और मूलतः मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विशेष रूप से जिन विमुक्तियों के विरोध में कहा गया उन में विशेष रूप से बाग पर हमला किया गया।

[श्री महावीर प्रसाद शुक्ल]

मान्यवर, मुझे क्षोभ होता है, हमारे विरोधी दल के सदस्य जो इस बात की आकांक्षा रखते हैं और जो प्रजातांत्रिक प्रणाली में संभव हो सकता है कि कभी वह इस देश और प्रदेश के कार्य को अपने हाथ में लेंगे वे ग्रामीण और कृषि अर्थ व्यवस्था से इतने अनभिज्ञ अपने को इस सदन में प्रकट करें । यदि ग्रामीण अर्थ व्यवस्था से जरा भी, उसकी वास्तविकता से जरा भी, वे अपने को परिचित मानें---परिचित तो हैं--- तो अच्छा हो । मैं कहना नहीं चाहता, हमारे ऊपर तो उन्होंने बार बार नीयत पर हमला किया, कि मैं उसका जवाब उन शब्दों में नहीं देना चाहता । उन्होंने यह भी कहा कि तथाकथित जमींदारों से हमारा गठबंधन है । लेकिन यदि मैं कहूं--- जैसे कि उन्होंने कहा कि कोई जमीन बचती नहीं है, तो यह तो सारा मामला वोट कैंचिंग है---कि क्या वह इस बात को नहीं मानते कि ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में बाग का होना जरूरी है ? क्या वह नहीं जानते कि खेती बारी का अनन्य संयोग है ? क्या वह नहीं मानते कि गांवों में खलिहान, खाद के गड्ढे, श्मशान जरूरी हैं ? क्या वह यह नहीं मानते कि गायों के लिये गोसदन जरूरी है ? जो इसमें विमुक्तियां हैं उनमें से मुख्य मुख्य की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं । बाग के लिये विमुक्ति है, उद्योग धंधों के अन्तर्गत भूमि है उसको उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में भूमि की परिभाषा से अलग कर रखा है । क्या कोई कह सकता है कि गांव में बिना खलिहान के किसान खेती कर सकता है ? क्या उसे घर नहीं चाहिये, श्मशान की आवश्यकता न होगी ? माननीय सदस्य ने कहा कि श्मशान और ग्रेव लैंड कामन हो । मुमकिन है कि उनके क्षेत्र में ऐसा हो लेकिन और क्षत्रों में तो ऐसा है कि पारिवारिक कब्रिस्तान और श्मशान होते हैं ।

चाय से हमको काफी फारेन एक्सचेंज मिलता है यदि उसको बढ़ावा न दिया जाय तो हमारा ही नुकसान होगा । हमारे साथी अक्सर कहते हैं कि आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों की उन्नति की तरफ ध्यान देना चाहिये । लकिन अगर उनके उत्पादन की व्यवस्था नहीं रखी गई तो कैसे उन्नति होगी ? इसी प्रकार पान है । उस पर अगर सीमा आरोपित हो गई तो कौन आदमी पान की खेती करेगा ? हमारे साथी ने कहा कि उनके संशोधन से बागों के काटने का प्रश्न ही नहीं उठता । अगर उनकी बात मान भी ली जाय तो जिस किसान को हमने आप्शन दिया है कि कौन सी जमीन वह रखे और कौन सी न रखे, क्या वह बाग को अपने पास रखेगा ? लखनऊ, दिल्ली, और इलाहाबाद जैसे बड़े बड़े शहरों के पास तो लोग भले ही बागों से आमदनी करते हों लेकिन गांवों में जो किसान बाग लगाता है वह आमदनी केलिये नहीं ऐसा करता है, केवल फल खाने के लिये ही बाग रखता है । और जब उसे आप्शन दिया जायगा तो स्वाभाविक है कि वह बाग की भूमि को छोड़ देगा ।

हमारा उद्देश्य है कि जो भूमि मिले वह भूमिहीनों की कोआपरेटिव सोसाइटी को देंगे । तो पहली बात यह है कि बाग की भूमि लेने के लिये कितने ऐसे किसान होंगे जिनको तीन सही एक बटे आठ भूमि दी जाय और वह उसमें खेती करें अगर उनको रोक दिया जाय कि बाग काट नहीं सकोगे उसी में खेती करो ? तो कोई भी इस शर्त पर तैयार नहीं होगा । यदि भूमि खेती करने को दी जायगी तो बाग का बने रहना मुश्किल हो जायगा । इसलिये अगर किसान को आप्शन दिया गया तो वह सब बाग की भूमि छोड़ देगा और वह सारी भूमि गरीब किसान को दी जायेगी । वह उस पर यदि खेती नहीं कर पायेगा तो भूमि क्यों लेगा फलों से तो सालभर गुजर नहीं होगी ? हर बाग हर साल फल भी नहीं देता, निदान उसे पेड़ काटना ही होगा । इसलिये अगर बाग पर सीमा लगाई तो सारा प्रदेश वीरान हो जायगा, सब पेड़ निश्चय ही कट जायेंगे ।

आपको यह मालूम नहीं कि हमारा सारा राजस्थान वीरान हो गया है, वह हमारे इस प्रदेश में बढ़ता चला आता है । बुन्देलखंड के माननीय सदस्य इस बात को कहते हैं, जिनके प्रदेश में पेड़ों के न होने के कारण, वर्षा की कमी होने के कारण दुर्भिक्ष की प्रायः बात रहती है, कि बागों को नहीं रहना चाहिये । हमारे देश और प्रदेश के विशेषज्ञों ने यह तय किया है कि हमारे सारे प्रदेश की भूमि में ३३ फी सदी भूमि पर बागों और जंगलों को होना चाहिये । लेकिन हमारे

प्रदेश में ११.५ भूमि बागों तथा जंगलों के अन्दर है । हमारे यहां ४८ फी सदी भूमि पहाड़ों में तथा ५ फी सदी मैदानों में सवृक्ष हैं जबकि नेशनल पालिसी के अनुसार हमारी ६० फी सदी भूमि पर पहाड़ों में वन होना चाहिये और २० फी सदी मैदानों में सवृक्ष होना चाहिये ।

राष्ट्र के हित में और प्रदेश के हित में बागों तथा जंगलों का होना नितान्त आवश्यक है वर्ना प्रदेश के बसने वाले करोड़ों इंसान जिनकी तादाद साढ़े ६ करोड़ है और जो शीघ्र ही १० करोड़ होने वाले हैं उनके लिये अन्न देने वाली सुविधा नहीं रहेगी। बाग न रहने से वृष्टि नहीं होगी और अकाल से पीड़ित या विभुक्षुओं के रहने लायक यह प्रदेश नहीं रह जायगा जिनके नाम से वे कहते हैं कि बाग पर सीमा लगाइये । बाग पर सीमा लगाना राष्ट्र व प्रान्त के हित के विरुद्ध है । जिसके पास जरा भी प्रदेश के भविष्य तथा ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था के संबंध में जानकारी है वह कदापि इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि हमारे प्रदेश में बाग न बढ़ें । बाग बढ़ाने की आज नहीं पिछले ४००, ५०० वर्षों से हमेशा छूट दी गयी थी। उनका लगान माफ किया गया था । आज भी जमींदारी उन्मूलन अधिनियम में इस बात की व्यवस्था है कि जिस भूमि पर बाग लगाये जायें उनसे लगान न लिया जाय । बाग का लगाना बहुत प्राचीन काल से हमारे पूर्वजों ने देश की आर्थिक कृषि व्यवस्था के लिये अत्यन्त अनिवार्य तथा आवश्यक समझा था। इसलिये बाग का लगाना तथा रखना अनिवार्य है । लेकिन भूमि बांटने का यह नारा आप इसलिये देते हैं ताकि आप कह सकें कि हमने तुम्हारे लिये यह कहा और वोट कैच करने का यह एक डिवाइस है । ये बातें तो मुझे उधर के उत्तर में बाग के सिलसिले में कहनी थीं ।

और बातें कही गयीं वे बड़ी एब्सर्ड हैं। अगर यह कहा जाय कि गांव में किसान के पास कब्रिस्तान न रहे, कोई उद्योग धन्धा खड़ा हो तो उसके लिये जमीन न रहे तो ये सब बातें बड़ी भ्रांतिपूर्ण हैं । कुछ लोगों ने बिना समझे हुए यह कहा कि जितनी विमुक्तियां हैं वे एक ही आदमी पर लागू हो जायेंगी, एक ही आदमी बाग के लिये, चाय के लिये, पान के लिये, केवड़े के लिये विमुक्ति पा जायगा, तो इस तरह से हजारों एकड़ जमीन एक आदमी के पास हो जायगी। लेकिन वे नहीं जानते कि पान लगाने वाला कहीं होगा, केवड़ा लगाने वाला और चाय लगाने वाला कहीं और होगा ।

श्री प्रतापसिंह—यह कहां तक ठीक है कि बाग में फल लगते हैं जो खाये जाते हैं, उससे कोई आमदनी नहीं होती ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—मैंने पहले ही कहा कि बड़े शहरों के नजदीक और पहाड़ों में फल वाले बागों से आमदनी होती है लेकिन मैदानी इलाके में गांवों में परम्परा से आम बेचना गांव के लोग अधर्म मानते हैं । यह गांव की परम्परा है । मान्यवर, जब उधर के सदस्यगण बोल रहे थे तो मैं बहुत ही धैर्य और शान्तिपूर्वक उनकी बातें सुन रहा था । जरा भी मैंने, किसी बात में भी कोई आपत्ति नहीं की । खेद है कि मेरी बातें सुन कर जब उनको अपनी बातें कटती हुई नजर आती हैं तो उन्हें तकलीफ़ होने लगती है ।

इन शब्दों के साथ में इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ३ के उपखंड (क) में शब्द "अधिनियम के" तथा "इस क्षेत्र से" के बीच निम्नलिखित निकाल दिया जाय—

"अधीन विमुक्त भूमि से भिन्न भूमि के"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :—

पक्ष में— .. २८,
विपक्ष में— .. ८३ ।)

श्री उपाध्यक्ष—माननीय मदन गोपाल वैद्य ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पर एक व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं । यह संशोधन अनियमित है, जरा इसको देख लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—पहले उनको पढ़ने दीजिये ।

श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ३ के उपखण्ड (ख) में से "मौरूसी दर ६ रुपये प्रति एकड़ से अधिक हो" निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर "जिसको खातेदार अपने जोतों में स्वयं नियत रीति से संवरण करले" रख दिया जाय ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इसमें मौरूसी दर की बात की गई है और यदि उनका संशोधन मौरूसी दर के बारे में, संख्या के बारे में, उपज के बारे में या जमीन के बारे में होता तब तो वह नियमानुकूल होता । लेकिन उनका संशोधन यह है कि खण्ड ३ के उपखण्ड (ख) में से "मौरूसी दर ६ रुपये प्रति एकड़ से अधिक हो" निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर "जिसको खातेदार अपने जोतों में स्वयं नियत रीति से संवरण कर ले" इसलिये रख दिया जाय, इसलिए श्रीमन्, इसका कोई अर्थ नहीं होता है ।

श्री मदनगोपाल वैद्य—श्रीमन्, यहां पर अच्छी भूमि की परिभाषा की गई है । सरकार की तरफ से अच्छी भूमि की एक परिभाषा दी गई है । उसको बदलकर मैं दूसरी परिभाषा रखना चाहता हूं कि अच्छी भूमि का तात्पर्य उस भूमि से है जिसको खातेदार अपने जोतों में स्वयं नियत रीति से संवरण कर ले ।

श्री उपाध्यक्ष—मतलब यह है कि खातेदार जो जमीन बढ़िया से बढ़िया समझता हो उसको छांट ले, उसी को मान लिया जाय ।

श्री मदनगोपाल वैद्य—जी हां, अच्छे प्रकार की भूमि ।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि उनका मतलब स्पष्ट है । यह एक विचारधारा है । अगर सदन इसको पसन्द नहीं करेगा तो अस्वीकार कर देगा, लेकिन यह नियम के विरुद्ध नहीं है ।

श्री मदनगोपाल वैद्य—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के अन्दर अधिकतम जोत की सीमा ४० एकड़ मानी गई है । लेकिन ४० एकड़ ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ उसको कुछ विशेषण के साथ संयुक्त किया गया है । इसकी परिभाषा विधेयक में दी गई है जिसके जरिये से अधिकतम जोत सीमा ४० एकड़ के बजाय ८० एकड़ तक हो जाती है ।

श्रीमन्, सिलेक्ट कमेटी में जब यह गया तो वहां भी इसकी परिभाषा के अन्दर ५ रुपये की जगह ६ रुपये कर दिया गया । हम जानते हैं कि जो अव्वल किस्म की जमीन है उसकी मौरूसी दर शायद ५ रुपये ९ आने है और अच्छी से अच्छी जमीन को घटिया जमीन में शामिल करने के लिये ५ रुपये से ६ रुपये का परिवर्तन किया गया है । इस प्रकार से अच्छी से अच्छी भूमि को द्वितीय श्रेणी की भूमि में रखा गया है । इतना ही नहीं, मौरूसी दर के बल पर ही यह सारा विधेयक आधारित है । मौरूसी दर के संबंध में और अच्छी भूमि के बीच में घनिष्ट संबंध है । सरकार यहां पर जो अच्छी भूमि की परिभाषा करना चाहती है उसमें मौरूसी दर के उसूल को लिया गया है । उसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई है बल्कि उसको एक श्रेणी में बांध दिया गया है कि जो ६ रुपये की मौरूसी दर है वह मानी जायगी ।

मौरूसी दर के निर्धारित करने के संबंध में इस विधेयक में एक भ्रम पैदा किया गया है जिससे शंकायें और भी बढ़ जाती हैं । मौरूसी दर के निर्धारित करने में ऐसा मालूम होता है कि जो दर पुराने बंदोबस्त में कायम की गई है उसी को मान लिया जायगा । इसके माने यह हैं कि पुराने बंदोबस्त में पुराने कानून के मातहत जो दर नियत थी उसको ही इस विधेयक के कार्यान्वित करने के लिये माना जायगा । लेकिन उसी के साथ साथ यह भी कहा गया है कि जिन भूमि के लिये मौरूसी दर नियत नहीं है उनकी नई विधि से, सामानों के नये मूल्य के आधार पर, नियत की जायगी ।

इस प्रकार से श्रीमन्, डिसक्रिमिनेशन होगा । एक तो मौरूसी दर के आधार पर नियत होगी और दूसरी जिनके लिये पहले से मौरूसी दर निर्धारित नहीं है उनको नई विधि से और सामानों के नये मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जायगा । इस प्रकार से दो तरह से यह निर्धारित होगी । एक तो सस्ते जमाने की मौरूसी दर का उपयोग किया जायगा जो भूतपूर्व जमींदारों के जमाने की है और दूसरे वह जिनकी मौरूसी दर कायम नहीं है उनके लिये नये जमाने के सामान के मूल्य के आधार पर निर्धारित की जायगी । तो उसमें कुछ नये नियम बनाये जायेंगे मौरूसी दर को कायम करने के लिये ।

आगे जब हम मुआवजे का प्रकरण देखते हैं तो वहां एक दूसरी ही परिभाषा मानी गयी है । वहां पर भूमिधर को सबसे अच्छा मुआवजा देंगे । इस लिये दर को निर्धारित करने के लिये इस विधेयक में कोई एक सिद्धांत नहीं है । पुरानी जो मुआवजे की दर निकाली जा चुकी है उसको भी माना गया है, और जिन भूमियों के लिये मौरूसी दर पहले से उपलब्ध नहीं हैं उनके लिये मौरूसी दर निकाली जायगी और यह भी कहा गया है कि अगर पुराने हेरिडिटरी रेट्स के बाद नये डेवलपमेंट्स हुए हैं तो उनमें रिवीजन किया जायगा मौरूसी दर का । उसका मतलब यह होता है कि फिर से सेटिलमेंट करवाया जाय, लीगल प्रोसीडिंग्स चलें, मुकदमेबाजी और घूसखोरी बढ़े, कागजी काम बढ़े और जो हम जोत सीमा आरोपण विधेयक को जल्दी से जल्दी लागू करवाना चाहते हैं, वह दस-पांच वर्ष के लिये टल जाय ।

हमें इसका बड़ा कटु अनुभव है । हमने चकबन्दी कानून में देखा कि धारा ८ में पांच-पांच वर्ष हो गये निर्धारण नहीं हो सका । जिन लोगों पर इस विधेयक का असर पड़ेगा, अगर वह कानूनी कार्यवाही करने लग जायं तो मैं समझता हूं कि मौरूसी दर के निर्धारण में १०-५ वर्ष लग सकते हैं । इस तरह से इसमें बहुत काम बढ़ जायगा । इतना ही नहीं, हम यह भी जानते हैं कि जहां विकास के कामों के लिये लोगों की जमीन ली गयी है उनके मुआवजे १२-१२ वर्ष हो गये नहीं मिले । इसी प्रकार अगर मौरूसी दर का फिर से निर्धारण किया गया तो उसमें बहुत लम्बा समय लग जायगा और जो हमारी इच्छा है कि इस विधेयक को जल्दी से जल्दी लागू करें ताकि लोग ट्रांसफर न कर पायें, वह इच्छा पूरी नहीं होगी ।

इस कानून में ऐसे लूपहोल्स हैं जिससे नाजायज ट्रांसफर हो रहे हैं । उस सम्बन्ध में भी निवेदन करूंगा । जो नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश विधेयक बनाया उसमें भी ऐग्रीकल्चरल और नान ऐग्रीकल्चलरल लैंड के, डिमार्केशन में कितना समय लग रहा है इसी प्रकार अगर मौरूसी दर निर्धारित करना है तो बहुत लम्बा समय लग जायगा । इसी प्रकार जो हम सरप्लस लैंड निकालना चाहते हैं उसमें खेत के अलावा सब प्रकार की जमीनें शामिल होनी चाहिये । सरकार की तरफ से मौरूसी दर के आधार पर अधिकतम जोत की सीमा जो निर्धारित की जा रही है उसमें भी बड़ा भ्रम है । माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि पुराने टेनेंसी कानून में भी इस प्रकार की व्यवस्था थी कि बुंदेलखंड डिवीजन में या कुछ इनेगिने जिलों में जमीन की किस्म ऐसी थी कि वहां की एक एकड़ जमीन आधा एकड़ के बराबर मानी जाती थी । लेकिन इस कानून से तो बावनों जिले बुंदेलखंड बनने जा रहे हैं ।

फर्ज कीजिये मेरे पास ५०० एकड़ जमीन है । उसमें ६ रुपये वाली जमीन भी है और उससे कम वाली जमीन भी है । तो मैं यह पसन्द करूंगा कि कम मौरूसी दर वाली जमीन लूं और ८० एकड़ हासिल कर लूं और जो अच्छी जमीन है उसका अधिकतम मुआवजा हासिल कर लूं । तो इस प्रकार जो हमारा उद्देश्य है कि हम अधिक से अधिक जमीन किसानों के लिये प्राप्त करें वह पूरा नहीं होता है । इसलिये मैंने एक नवीन परिभाषा रखी है । जिसके पास जैसी जमीन है, उसमें से वह स्वयं अच्छे से अच्छे प्लाटों को, ४० एकड़ चुन लें । वह पुराना काश्तकार है, बहुत बुद्धिमान काश्तकार है, उसकी परम्परागत खेती है, उसका अनुभव है, उसने अपने खेतों को बहुत अच्छा बनाया है । उसमें से जिसे वह सबसे अच्छा समझता हो, चुनकर ४० एकड़ ले ले । फिर उसको ६० या ८० एकड़ करने की गुंजायश नहीं रह जाती और न ही लेखपाल, कानूनगो या तहसीलदार के पचड़े में पड़ने की जरूरत रह जाती है । जो

[श्री मदनगोपाल वैद्य]

संशोधन मैंने रखा है उससे लिखा पढ़ी और मुकदमेबाजी का काम समाप्त हो जाता है और सेटिलमेंट में जो लाखों रुपया खर्च होगा जिससे कोई लाभ भी किसी को नहीं होगा और बहुत विलम्ब भी होगा, उसकी भी इससे जरूरत नहीं रह जाती। इसलिये हमने यह संशोधन रखा है कि अच्छे प्रकार की भूमि वही भूमि है जो कि जोतधर के पास है और जिसको वह स्वयं अपनी इच्छानुसार चुन ले। सरकार ने भी इस सिद्धांत को माना है। जोतकार को मौका दिया गया है कि वह जिन जोतों को अपने पास रखना चाहे बता दे और जिनको छोड़ना चाहे उनको भी बता दे।

अब रह गई यह बात कि हर प्रकार की जमीन एक कीमत की जमीन मान ली जाय। हमारे पास जो जमीन है वह घटिया भी है, बढ़िया भी है, औसत दर्जे की भी है, इसलिये हम स्वयं जो हमारे पास सबसे अच्छी जमीन हो उसको चुन लें और उसके लिये हमें पूरा मौका होगा कि ४० एकड़ सबसे अच्छी जमीन हम अपने लिये रख लें। उसमें किसी प्रकार की लम्बी प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। काम बहुत सरल हो जाता है और जल्दी से जल्दी इस तरह से हम इस विधेयक को लागू करने में तत्पर हो सकते हैं। अब कुछ अन्तर हो सकता है कि किसी को अच्छी जमीन मिलेगी, किसी को कुछ खराब मिल सकती है। लेकिन यह अन्तर तो हमेशा रहा है।

जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में जब हमने संशोधन किया और कहा कि साढ़े १२ एकड़ से ज्यादा कोई आगे जमीन नहीं खरीदेगा तो, उसमें यह नहीं कहा कि अच्छी हो तो साढ़े १२ एकड़ और घटिया हो तो २५ एकड़। तो यह तो हमेशा रहता है। इसके अलावा उन भूमिधरों को तमाम विशुक्तियां भी दी गई हैं। इसलिये मैंने जो प्रस्ताव रखा है वह बहुत ही सरल है और इससे मुकदमेबाजी और कागजी कार्यवाही सब समाप्त हो जाती है। अगर सरकार इस बात पर तत्पर हो कि पुराने टेनेंसी ऐक्ट के मुताबिक जो बन्दोबस्त था, जो व्यवस्था थी और उसमें १९३९ से लेकर १९५२ तक जितने नोटिफिकेशन हुए हैं उन्हीं को मान ले और नये बन्दोबस्त की जरूरत न पड़े जिससे मुकदमेबाजी की नौबत न आये, तब भी यह बात मान्य हो सकती है। लेकिन यह जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से रखा गया है इससे कार्यवाही में बड़ा विलम्ब हो सकता है और जिस तरह कि चकबन्दी में देर हो रही है, आज पांच छः वर्ष हो गए धारा ८ भी उसकी नहीं लागू हो पायी है, उसी तरह से इस विधेयक का भी परिणाम होगा। बहुत लम्बा समय लग जायगा मुकदमेबाजी में और हम जो करना चाहते हैं किसानों के हित में जमीन प्राप्त करना चाहते हैं, वह नहीं प्राप्त होगी।

हमारे प्रदेश में मुहकमा माल और इन बड़े-बड़े भू-स्वामियों के सहयोग से ऐसी-ऐसी तरकीबें निकाली जा रही हैं कि जिससे इन तमाम कानूनों के बावजूद भी इसका प्रयास किया जा रहा है कि सरकार का प्रयत्न निष्फल साबित हो जाय। एक मिसाल मैं देना चाहता हूं। पुराने जमींदारों और मुहकमा माल के सहयोग से एक ऐसी तरकीब निकाली गई है कि काश्तकार से वह बयान दिला देते हैं कि तुम यह कह देना कि छः वर्ष से तुम इस पर काबिज हो और हम उसको तस्लीम कर लेंगे। १०० रुपये बीघा के हिसाब से ६ वर्ष का तुम हमको दे देना। तो इस कब्जे की बिना पर वह जमीन ट्रांसफर कर रहे हैं। मुहकमा माल इसमें उनका सहयोग कर रहा है। तो चतुर लोगों ने ऐसी-ऐसी तरकीबें निकाली हैं। इस तरह से जो हमने प्रतिबन्ध लगाया कि २० अगस्त के बाद ट्रांसफर नहीं माने जायेंगे उसके लिये उन्होंने यह तरकीब निकाल ली जिससे वे लोग पैसा भी कमा रहे हैं और लिटिगेशन से बचने की भी कोशिश कर रहे हैं। इसलिये हम कहते हैं कि जो संशोधन मैंने रखा है उससे सरकार का काम बहुत सरल हो जाता है। विलम्ब नहीं होगा और इस विधेयक को जल्द से जल्द कार्यान्वित किया जा सकता है। इसलिये मैं इस सदन से आशा करता हूं कि वह हमारे इस संशोधन को स्वीकार करेगा और मैं यह निवेदन करूंगा कि वह इसको स्वीकार करे।

श्री टीकाराम पुजारी—उपाध्यक्ष महोदय, तीन दिन से मैं इस सीलिंग की बातें सुन रहा हूं कि जमीन की सीलिंग होगी। बागों का सीलिंग होगी, मरघटों का सीलिंग होगी,

मवेशियों की भी सीलिंग होगी और साथ ही फार्मों की भी सीलिंग होगी। गायों के लिये अमेरिका से बिजार मंगवाया जायगा। गांवों से देशी बिजार नहीं मिलाया जायगा। अब यहां पर अमेरिका की तरह से सीलिंग होगी। देशी तरीका बन्द किया जायगा। जब यह सरकार ही उलटी है तो इसका काम भी उलटा ही होता है। उसी तरह से यह सीलिंग का काम भी उलटा ही कर रही है। मैं देख रहा हूं तीन दिन से कि यहां पर कोई चीज ठोस मुझे दिखाई नहीं दी जो कि मेरी समझ में आवे और किसानों के लिये खास लाभ की चीज हो। उस पर कोई भी आदमी नहीं पहुंचा। मैं तो यह कहता हूं कि जमीन का बटवारा हो। समाजवाद भी यही कहता है कि जमीन का दोबारा बटवारा होना चाहिये और लोगों से लगान जो जमीन का लिया जाय वह परते का लगान लिया जाय। मैं ठाकुर साहब से निवेदन करूंगा कि परते का लगान सब से लिया जाय।

एक भाई की जमीन ३ रुपये लगान पर है और दूसरे भाई की जमीन १ रुपये लगान पर है लेकिन जमीन की कीमत दोनों की बराबर है, तो जब तक परते का लगान नहीं होगा तब तक सीलिंग करने से क्या लाभ हो सकता है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। सारी चीजें उलटी की जाती हैं। आप इलाज तो मरीज के लिये बराबर करते जाते हैं लेकिन वे सारे इलाज उलटे पड़ते जाते हैं। मरीज दबता जाता है वह इलाज करते जाते हैं। हम जनता से कहते हैं कि हकीम काबिल नहीं है। इसको छोड़ दो क्योंकि जनता बिना मौत के मर रही है लेकिन यह सरकार फिर भी उसका इलाज करती जाती है। हुआ है मरीज को त्रिदोष लेकिन हैजे की दवा दे रहे हैं। पैरों में हो रही है फड़कन लेकिन जुकाम की उसको दवा दी जा रही है। कोई भी बीमारी हो वह कह देते हैं कि अस्पताल में चले जाओ। यह क्या सीलिंग हो रही है।

पहले हमारे यहां ६४ पैसे थे, उनको आपने १०० कर दिया। यह है आपकी सीलिंग। आपने चकबन्दी की लेकिन वह भी फेल हो गई और सब योजनायें फेल होती चली जा रही हैं फिर भी आप अपनी सीलिंग करते चले जा रहे हैं। पहले तो लगान की सीलिंग होनी चाहिये। जब तक परते का लगान नहीं होगा तब तक कैसी सीलिंग और कैसा इस सीलिंग करने से बटवारा। मुझे तो बड़ा खयाल होता है इन बातों का विचार करके। इनके पास वह जादू है कि एक जादू फेंक दिया तो सारा समुन्दर सोख लिया। गरीब आदमी को किसी मान बड़ाई की जरूरत नहीं है। वह तो रोटी चाहता है।

अधमा धन मिच्छन्ति, धन मानं हि मध्यमा।
उत्तमा मान मिच्छन्ति, मानं हि महतां धनम्॥

किसी ने कहा है कि अधम पुरुष धन की ही लालसा रखते हैं, मध्यम पैसा और मान दोनों चाहते हैं, लेकिन उत्तम पुरुष केवल मान की लालसा रखते हैं क्योंकि मान ही वास्तव में असली धन है। आप सीलिंग ठीक से करें, ईमानदारी से करें, हमारे सुझाव को मानें तभी जनता का भला होने वाला है। आपने चकबन्दी का काम शुरू किया लेकिन वह भी आज तक पूरा नहीं हुआ। तो यह सरकार क्या करेगी? आप सहकारिता रूस से, अमेरिका से सीख कर आये। वहां जमीन ज्यादा है, मजदूर कम हैं और इसलिये ट्रैक्टर से काम होता है। यहां मजदूर काफी हैं, जमीन कम है और इसलिये अगर ट्रैक्टर चलेगा तो बेकारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। वहां तो ऊनी मोजा पहन कर चम्मच से खाना खाते हैं, वहां बर्फ पड़ती है, यह तो गर्म देश है। हमारे यहां मोजा पहन कर काम नहीं चलने का। तो इसलिये मैं कह रहा हूं कि :

जहर बैर का उगल-उगल कर सरबस धूल मिलाय बैठे हौ,
किया वायदा झूठ सांच अब उन कोठियों में जाय बैठे हौ,
लिया दस गुना कर चकबन्दी नये-नये टैक्स लगाय बैठे हौ,
भाई से भाई लड़वाय करके कै फूट की बेल बढ़ाय बैठे हौ,
अवसर वादी गद्दारों को दिल्ली का टिकट दिलाय बैठे हौ,
हड्डी मांस खून जनता का चूस-चूस कर खाय बैठे हौ,
कहें पुजारी सन् बासठ में जान के मौत बुलाय बैठे हौ॥

*श्री देवनारायण भारतीय---उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मदन गोपाल जी वैद्य के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अच्छी भूमि की परिभाषा करते हुए जो संशोधन रूप उसका प्रवर समिति से आया है वह इस प्रकार है : "अच्छे प्रकार की भूमि का तात्पर्य उस भूमि से है जिसकी मौरूसी दर ६ रुपया प्रति एकड़ से अधिक हो।" मान्यवर, मैं ऐसा समझता हूं कि संयुक्त प्रवर समिति में उन लोगों का बहुमत था कि जो कोई भी जमीन भूमिहीनों को देना नहीं चाहते थे, जो अधिक से अधिक भूमि अपने लिये सुरक्षित रखना चाहते थे।

श्री उपाध्यक्ष---इस प्रकार की बात आप न कहें। उसकी रिपोर्ट है और इस प्रकार कहने से लांछन लग सकता है।

श्री देवनारायण भारतीय---मान्यवर, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि उसमें बहुमत ऐसे लोगों का था जो अपने लिये अधिक से अधिक भूमि सुरक्षित रखना चाहते थे।

श्री उपाध्यक्ष---ऐसा नहीं कहना चाहिये। यह लांछन है।

श्री देवनारायण भारतीय---मैं नहीं कहूंगा। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। उन्होंने जिस दृष्टि से भी प्रवर समिति में इस संशोधन को स्वीकार किया हो, परन्तु मैं इसे त्रुटिपूर्ण मानता हूं। आगे चल कर इसी विधेयक के खंड ४ के उपखंड २ (क) में कहा गया है कि एक खातेदार का अधिकतम क्षेत्र अच्छे प्रकार की ४० एकड़ भूमि होगी। "अच्छे प्रकार की भूमि" यह शब्द वास्तव में खंड ४ में आया है और खंड ३ में इस अच्छे प्रकार की भूमि की व्याख्या की गयी है।

जो संशोधन माननीय मदन गोपाल वैद्य जी ने प्रस्तुत किया है उसके मान लेने पर इस वाक्य का रूप इस प्रकार हो जायेगा---अच्छी प्रकार की भूमि का तात्पर्य उस भूमि से है जिसको खातेदार अपनी जोतों में स्वयं नियत रीतियों से संवरण कर ले। मान्यवर, मैं यह समझता हूं कि यदि यह संशोधन सदन स्वीकार नहीं करता है तो इससे उन लोगों के पास जिनके पास एक निर्धारित सीमा से अधिक भूमि है, सुरक्षित हो जायेगी। इसको, जैसा कि यह संशोधित रूप में प्रवर समिति से स्वीकार हो कर आया है, स्वीकार करने से ही भूमि ४० एकड़ मानी जायेगी कि जिसका वार्षिक लगान ६ रुपये प्रति एकड़ से अधिक हो। मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि मैं भी खेती ही करता हूं और मेरे पास करीब ३०० बीघे जमीन है लेकिन ६ रुपया प्रति एकड़ लगान वाली मेरे पास भूमि नहीं है और इस धारा के रहते हुए मेरे पास जो जमीन है वह बच सकती है और उसको भी रखने का अधिकार मुझे समझा जायेगा जब कि वास्तव में ४० एकड़ की सीमा निर्धारित की गयी है। लेकिन मैं तो छोटा काश्तकार हूं, जो और बड़े-बड़े काश्तकार हैं उनके पास तो हजारों एकड़ जमीन होगी। इस विधेयक का उद्देश्य ही यही है कि उन लोगों से उस प्रकार की जमीन को लेना और उसे भूमिहीनों में बांटना। तो अगर यह वैद्य जी का संशोधन नहीं माना जाता है तो उससे वह सब जमीन भी वर्तमान खातेदारों के लिये बच जायेगी और जो उद्देश्य इस बिल का है वह विफल हो जायगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे इसको स्वीकार करने की कृपा करें और इस सदन के जो भी माननीय सदस्य बोलें वे भी इस पर गम्भीरता के साथ विचार करें। इसके स्वीकार होने से काफी भूमि भूमिहीनों को दी जा सकेगी। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री रघुवीरसिंह (जिला एटा)---श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। माननीय वैद्य जी ने जो यह अपना संशोधन रखा है, क्या यह इस समय बीच में आ सकता है क्योंकि यह तो परिभाषा में दिया हुआ है। अब परिभाषा में इस तरह का संशोधन क्या लाया जा सकता है?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--मैंने शुरू में यह कहा था कि यह तो उनकी राय है। इसको सदन अगर स्वीकार करता है तो वह स्वीकार हो जायेगा। अगर वह स्वीकार नहीं करता है तो अस्वीकार हो जायेगा। नियमों से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह---उपाध्यक्ष महोदय, हमारे वैद्य जी ने जो संशोधन रखा है उस नुस्खे से, मेरी समझ में नहीं आता कि किसका भला हो सकता है। वास्तव में जैसा उनका प्रश्न था उसका जवाब तो हमारे पुजारी जी ने दे दिया है। अब मुझे कुछ और ज्यादा नहीं कहना है। अगर यह संशोधन मान लिया जाता है तो इससे जो अच्छा काश्तकार है वह भी ४० एकड़ पायेगा। तो इससे जो समानता आप लाना चाहते हैं वह इस संशोधन से नहीं आ सकती। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय वैद्य जी इसे वापस ले लेंगे।

*__श्री रामलखन मिश्र__ (जिला बस्ती)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसा विश्वास है कि वैद्य जी को कुछ भ्रम सा हो गया है। मैं उनकी भावना की प्रशंसा करता हूं लेकिन मैं समझता हूं कि जिस भावना को वह प्रकट करना चाहते थे वह इन शब्दों से साकार नहीं हो सकी है। वह चाहते हैं कि नियत रीति से खातेदार स्वयं संवरण कर ले, लेकिन वह नियत रीति क्या होगी, अधिनियम में किधर उनका संकेत है यह नहीं मालूम। खातेदार अपने में से संवरण कर ले, अगर बालू की जमीन हो तो वह ४० एकड़ ले ले और यदि उत्तम जमीन हो तो उसमें से अच्छी सी अच्छी भूमि ले ले, ऐसा वह चाहते हैं। इस प्रकार से तो फिर इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। मेरा ऐसा विचार है कि लीगल फ्रैंजियालोजी, कानून के शब्दों में उनको भ्रम सा हो गया है और वह अपने को स्पष्ट नहीं कर पाये हैं और स्पष्ट न करने के कारण ही उनका संशोधन यहां पर विचारणीय नहीं होता।

किस प्रकार से इस पर विचार किया जाय? एक बात तो यह दिखाई पड़ती है कि हेरिडिटरी राइट्स या मौरूसी दरों को निश्चित करने में जो स्वायल क्लासिफिकेशन १९०१ और १९०४ में हुआ है वही बेसिस होगा इस सरकार को रेट बांधने में लेकिन यह भ्रम ही भ्रम है। धारा ३३ (२) में आप देखेंगे कि सरकार ने यह अधिकार ले रखा है कि जहां सिंचाई से भूमि प्रभावी हुई है वहां पर सरकार की दृष्टि रहेगी और यह बातें अधिकतर नियमों से सम्बन्ध रखती हैं। यह मान लेना कि सरकार १९०१ और १९०४ के क्लासिफिकेशन को आंख मूंद कर मान लेगी, यह उचित नहीं है। इसी कारण से धारा ३३ का निर्माण हुआ है और जब इस पर नियम बनेंगे तो मेरा विश्वास है कि सरकार की दृष्टि उस ओर जायगी। इसलिये जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि वैद्य जी इसको वापस ले लें क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता और इसका कारण विधान सभा में इस पर विचार ही नहीं हो सकता।

मैं बहुत ही विनयपूर्वक और नम्रतापूर्वक अपने सहयोगी माननीय वैद्य जी से निवेदन करूंगा कि वे इस संशोधन को आगे न चलाकर अब दूसरी धाराओं पर विचार होने दें क्योंकि जिस गति से बहस चल रही है उसमें मुझे शंका है कि कहीं गिलोटीन न हो जाय। मेरा ऐसा विश्वास है कि हो माननीय सदस्य बड़ी ईमानदारी से अपनी भावना को रख सकते हैं और नियत समय के अन्दर हमें अपनी ऐसी चाल रखनी चाहिये जिससे हमारी दृष्टि सभी धाराओं पर पड़ सके। इन शब्दों के साथ मैं पुनः वैद्य जी से निवेदन करूंगा कि वह इसे वापस ले लें।

राजा वीरेन्द्रशाह---उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि अब बहस समाप्त की जाय।

श्री उपाध्यक्ष---पुजारी जी को आप सुन चुके हैं, अब श्री बंशीधर शुक्ल को भी सुन लीजिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। ६ रुपये एकड़ की जमीन के मतलब यह नहीं हैं कि वह अच्छी जमीन ही हो। जिनके पास अच्छी जमीन है और जिनके पास ज्यादा जमीन है उनका लगान कम है। मेरे जिले में १,१०० एकड़ का भल्ला जो का फार्म है जिसका १,१०० रु० ही लगान पड़ता है और ३ हजार एकड़ का बिरला फार्म है जिसका लगान सवा तीन हजार रुपया पड़ता है। वह जमीन इतनी अच्छी है कि कुछ कहना नहीं।

श्रीमन्, यह जो ६ रुपये एकड़ वाली नाप रखी है वह बिलकुल गलत है। अगर कोई पुराना काश्तकार है, उसके पास कई बेदखलियों के बाद जमीन आई है और हर बार जमीन्दारों ने बेशी बढ़ा कर जमीन दे दी है तो उस जमीन का तो लगान अपने आप ही ज्यादा हो गया है। हमारे पास कुछ ऐसी जमीन है जो १५ रुपया एकड़ की है और कुछ ऐसी भी है जिसका २ रुपया फी एकड़ ही देना पड़ता है। अब यह कहा जाय कि १५ रुपये वाली ज्यादा अच्छी होगी, यह बात नहीं है। हम तो उस दो रुपये वाली को अच्छी समझते हैं। इसलिये सरकार की समझ में जमीन की किस्म नहीं आती और सरकार उसके लिये कोई सन्तोषजनक उपाय नहीं कर रही है।

श्री उपाध्यक्ष---मालूम होता है वह काम सरकार ने कवियों के लिये छोड़ दिया है।

श्री बंशीधर शुक्ल---सरकार के नीचे से जमीन निकल गई है इसलिये कवि लोग तो यह चाहते हैं कि सरकार भी निकल जाय तो ज्यादा अच्छा है। (हंसी)

मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करे और ६ रुपये वाली बात को छोड़ कर जो जमीन जिस ढंग की हो उसके हिसाब से उसको जांचे।

श्री रघुवीरसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मैं वैद्य जी के संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं और किसी हद तक ऐसे संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं जिसके लिये मुझे कुछ भ्रम है। यदि उसका अंश यह है कि अगर कोई किसान अपनी मर्जी की ४० एकड़ भूमि रख ले और बाकी को अपनी मर्जी से छोड़ दे, तब तो मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूं। वैसे भी सरकार की यही मन्शा है कि अच्छे प्रकार की औसत भूमि सरकार ४० एकड़ देना चाहती है। मान लिया जाय अगर किसी किसान के पास ६० एकड़ भूमि है, उसमें से वह किसान अपनी इच्छा की ४० एकड़ ले ले और बाकी २० एकड़ छोड़ दे तो उस भूमि का कुछ न कुछ अर्जन हो जायगा।

श्रीमन, इस विधेयक का वही हाल हुआ जो काशी गये हुए एक चौबे जी का हुआ था जो छब्बे होने गये थे। वे जब वहां पहुंचे तो वहां पर लोगों ने कहा आइये दूबे जी। वे तुरन्त लौट आये। लोगों ने पूछा कैसे लौट आये। उन्होंने कहा कि अगर बैठ जाता तो दूबे भी न रहता। इसी प्रकार से जब यह बिल हमने संयुक्त प्रवर समिति को भेजा था तो हमें आशा थी कि इसमें कुछ व्यापकता आयेगी और खेतिहर भूमिहीन मजदूरों को अधिक से अधिक भूमि मिलेगी। लेकिन संयुक्त प्रवर समिति ने उसकी जो व्यापकता थी, जो उसकी पवित्रता थी, वह सब नष्ट कर दी। मैं वैद्य जी का आभारी हूं कि उन्होंने ऐसा संशोधन पेश किया कि इस बिल की व्यापकता बढ़ जाय।

जैसा आजकल इस विधेयक में है, उससे मुकदमेबाजी बहुत बढ़ेगी। हर एक व्यक्ति इस बात की कोशिश करेगा कि उसको अधिक से अधिक भूमि मिल सके। बहुत सी जमीन ऐसी हैं जिनका लगान बहुत कम है और वे बहुत अच्छी हैं और बहुत सी जमीन खराब है और लगान ज्यादा है। पहले बन्दोबस्त में जो रेट दर्ज है उससे उस जमीन की हालत में बहुत कुछ सुधार हो गया है। इसलिये लोग ऐसा प्रयत्न करेंगे कि जो भूमि अच्छी है और जिसका लगान कम है उसको अपने पास रखेंगे। इसलिये इस संशोधन को मान लेने से सरकार का बहुत सा रुपया बच जायगा और सरकार को जितना स्टाफ इसके लिये रखना पड़ेगा वह भी बच जायगा और कार्य भी जल्दी हो जायगा और किसानों की आर्थिक दशा भी खराब नहीं होगी और अधिक भूमि मिल जायगी। लेकिन हमारी सरकार तो भ्रमपूर्ण कानून बनाती है जिनके फैसले

के लिये हाईकोर्ट तक जाना पड़ता है और नीचे के कोर्ट से कुछ, तो ऊपर के कोर्ट से कुछ फैसला होता है। इसलिये इससे मुकदमेबाजी भी कम हो जायगी। लेकिन यह सरकार तो ऐसे कानून बनाती है जिससे वकीलों को आर्थिक लाभ और प्रोत्साहन मिले। भ्रमपूर्ण कानून की वजह से हमारे किसानों की कमर टूटती जाती है। तो इसलिये मैं वैद्य जी के संशोधन से अपनी सहमति प्रकट करता हूं कि इससे मुकदमेबाजी कम होगी और हमारे प्रदेश के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को अधिक भूमि मिलेगी तथा विधेयक में व्यापकता आ जायगी। इन शब्दों के साथ मैं वैद्य जी के संशोधन का समर्थन करता हूँ।

राजा राघवेन्द्रप्रतापसिंह--श्रीमन्, क्लोजर का प्रस्ताव मूव हो चुका है कि अब इस पर बहस बन्द की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अब इस पर बहस बन्द की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मदन मोहन वैद्य द्वारा प्रस्तुत जो संशोधन है उसकी भावना की मैं कद्र करता हूँ। जब यह भूमि सीलिंग बिल पेश हुआ था तो उसका आशय यह था कि हम अपने प्रदेश में ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि गरीबी मिटे और कुछ लोगों को रोजगार मिले। उस समय यही धारणा थी लेकिन जिस वक्त वह सेलेक्ट कमेटी को पेश हुआ तो जो आशा थी वह विपरीत हो गई और इस तरह से बदल गयी कि जो मिलने वाली चीज थी वह कमी की तरफ गई और बढ़ोत्तरी कुछ मिलने की तरफ नहीं हो सकी।

जहां तक भावनाओं का सम्बन्ध है वैद्य जी के संशोधन का, वह बिलकुल सही है। आज हमारे प्रदेश की भूमि का मूल्यांकन जो उसकी मौरूसी दर है ६ रु० प्रति एकड़ की आंकी गयी है। यह उचित इस प्रकार से भी नहीं होगा कि समय-समय पर भूमि की दर आंकी गई और उसका मूल्यांकन किया गया। उनमें कई किस्म की भूमि ऐसी है जिनमें ज्यादा पैदावार नहीं होती है और उसकी दर ज्यादा है और जो ज्यादा पैदावार देती है उस भूमि की दर कम है। चकबन्दी में भी कुछ ऐसी दिक्कतें पेश आ रही हैं। किसान इस प्रकार के एतराज कर रहे हैं कि हमारी जमीन की दर ज्यादा है और पैदावार बहुत कम है। अगर वैद्य जी की जैसी भावना है उसके अनुसार रखा जाय कि जमीन की दर को हम इस तरह से आंकें कि भूमि का मालिक अपनी जमीन से अच्छी से अच्छी जमीन छांट ले, और उसी को अच्छी भूमि मान लिया जाय, क्योंकि जो हमेशा से भूमि का मालिक चला आता है वह तो ऐसी ही जमीन पसन्द करेगा जो उसके योग्य होगी और जिससे उसको ज्यादा लाभ होगा। आज कानून के मुताबिक जिस का रेट कम है वैसी उसको दुगुनी जमीन मिलेगी, फिर वह कोशिश करेगा कि उसे अधिक से अधिक जमीन मिले और उसके बाद जो सुविधा सरकार से अपने तरीके से मिले उसको ज्यादा कीमती बनाये। इस तरह से जो हमारी मंशा थी वही खत्म हो जाती है क्योंकि जमीन ज्यादा जायगी तो ज्यादा जमीन बचेगी कहां ?

इसी तरह से और भी सुविधायें दी गई हैं इसलिये जमीन का लाभ इससे बहुत कम पहुंचेगा और इस कारण से भी यह जरूरी है कि जमीन की कीमत को इस तरह से आंका जाय कि वह अच्छी जमीन को जिस तरह से चाहे पहले छांट ले और उसी को अच्छा मान लिया जाय। इसमें दिक्कतें भी कम होंगी और झगड़े भी नहीं होंगे और सरकार का जो बहुत सा पैसा बन्दोबस्त वगैरह में खर्च हो जाता है वह भी बच जायगा। जमीन की दरें निकालने में बहुत खर्च होगा और काश्तकारों के आपस के झगड़े भी बहुत बढ़ जायंगे। इसलिये सारे झगड़े दूर करने के लिये और सब को रोजगार देने के लिये और भूमिहीनों को जमीन देने के लिये वैद्य जी का जो सुझाव है वही ठीक है। मैं भी उनकी भावना की कद्र करता हूँ और चाहता हूँ कि उनका यह संशोधन स्वीकार किया जाय।

[श्री रामदास आर्य]

मैं चाहता हूं कि उन गरीब लोगों का भी बदोबस्त इस तरह से हो जाय जिन के पास जमीन या कोई रोजगार नहीं है। मैं वैद्य जी की सज्जनताओं की कद्र करता हूं और उनके संशोधन को सपोर्ट करता हूं।

श्री बंशीधर शुक्ल--श्रीमन्, यह नहीं बताया गया कि ६ रु० लगान भूमिधरों का माना गया है क्योंकि भूमिधरी का अगर ६ रु० लगान है तो असामी पर २४ रुपया पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष---आप बैठें, मन्त्री जी जवाब देंगे।

श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन पेश है वह कानूनसाज लोगों के लिये सर्वथा अमान्य है। जब हम यहां कोई कानून बनाते हैं तो उसको बनाने का हमारा एक मापदन्ड होता है जिसपर हमारे निर्णय आधारित होते हैं। वह मापदण्ड होते हैं सोशल जस्टिस, इक्विटी या सामाजिक न्याय और औचित्य। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ लोगों ने केवल भावनाओं के आधार पर ही कैसे इन माप-दंडों के खिलाफ इस संशोधन को स्वीकार किया। मैं नहीं समझता कि कौन-सी भावना और शुभ आकांक्षा इसमें छिपी हुई है कि जिससे यह खातेदारों की इच्छा पर छोड़ दिया जाय कि वह कौन-सी जमीन चाहते हैं।

आज जिनके पास बिलकुल थर्ड रेट जमीन है और दूसरों के पास फर्स्ट रेट की जमीन है, इन किसानों में एक साम्य लाने के लिये, एक सामाजिक बराबरी, सोशल जस्टिस करने के लिये, यह आवश्यक है कि सबको सब तरह की जमीन मिले और अच्छी जमीन एक जगह ही न रह जाय। यह कौन-सा मापदन्ड है कि वह अच्छी छांट लें और जो बच जाय वह उन गरीब मेहनत करने वालों को दी जाय? माननीय शाहजहांपुर के सदस्य जो सोशलिस्ट पार्टी के हैं ने इस का समर्थन किया लेकिन वह इस बात को भूल गये कि पहले तो वह असामीकर जोतों को बड़ा गाया गाते थे, उनका वह नारा कहां चला गया? असामीकर जोत का माप-दन्ड क्या होगा? मान्यवर, जिस वक्त यह संशोधन पेश किया गया होगा तो शायद वैद्य जी ने बड़ी संकीर्णता से इसका अध्ययन किया होगा जो रिपोर्ट आई है सेलेक्ट कमेटी से। क्योंकि मान्यवर, जिस वक्त लगान तय किया जाता है तो जो सिंचाई के साधन हैं, जो भूमि की उत्पादन शक्ति है और जो निकट भविष्य में आने वाली पावर है उत्पादन करने की व बाजार भाव, उनको देखते हुये सर्किल रेट का लगान निकाला जाता है और लगान से ही तय किया जाता है कि कौन सी जमीन उत्तम प्रकार की है और कौन सी मध्यम तथा निम्न प्रकार की है।

(इस समय ४ बजकर ६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

मान्यवर, यदि इस परिभाषा को न रखा जाय, मध्यम, अच्छी और निम्न प्रकार की परिभाषा न दी जाय तो फिर किसी भी कानून का लागू करना बिलकुल नामुमकिन होगा और दुनिया यह कहेगी कि इस विधान सभा में जो वकील और जज लोग थे और जो सोशल जस्टिस का नाम लेने वाले थे, उन्होंने कुछ विचार नहीं किया। जस्टिस चाहते हैं लेकिन तराजू नहीं देना चाहते। यह असंगत बात है।

जहां तक काश्तकारों को खुद फैसला करने का यह अख्तियार दिया गया कि वह खुद कर लें, यह भी असंगत है। क्या न्याय इसमें ज्यादा हो सकता है बजाय इसके कि एक प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी हो, चाहे वह सरकार हो, या कोई गांव सभाज हो, पंचायत हो या और कोई हो लेकिन कोई एजेन्सी हो जिसको यह पावर हो कि वह किसी प्रकार से उसे तय कर सके?

मान्यवर, क्लासीफिकेशन भूमि का सिवाय लगान के आधार (रिकरेंस) के और किसी प्रकार नहीं हो सकता। जमीन कितना पैदा करती है, १०, २० या ३० मन, इसका फैसला कोई वहां पर नहीं करेगा। वहां जो लेखपाल बैठा है वह निर्धारित करेगा कि अमुक खेत में इतना धान होता है इसलिये अच्छे प्रकार का है, इसलिये इसका सर्किल रेट यह

होना चाहिये । यहां पर कोई भी अथारिटी जब सीलिंग लागू करने जायगी तो वह पैदावार के आंकड़े कभी लेने नहीं जायगी । इसलिये जमीन का क्लासिफिकेशन होना बहुत लाजमी है ।

मान्यवर, भावनाओं का नाम बहुत लिया गया । मान्यवर, यह जो जमीन दी जा रही है ४० एकड़ ५ सदस्य के परिवार को या उससे अधिक ज्यादा सदस्यों के परिवार को, इसके भी पीछे एक ही दृष्टिकोण है कि वह इस खयाल से दी जाय--मैं नहीं समर्थन करता कि सीलिंग सही है, लेकिन जो उसके पीछे भावना का नाम लिया गया वह सही बात है कि एक जमीन ४० एकड़ है उसमें ५ यूनिट के लिये काफी उत्पादन होता है और दूसरी भूमि ४० एकड़ है उस में ३ यूनिट का ही पूरा नहीं होता है, तो एक तो भूखा मरेगा, कम उत्पादन होगा और लगान भी वही बराबर का देगा । मैं नहीं समझता कि इसके पीछे कौन सी शुभ भावना का समावेश किया गया है । यह संशोधन सदैव असंगत है, कानूनी दुनिया में यह सदैव अमान्य है और ऐसा संशोधन लाकर कानून का स्टैन्डर्ड न गिराया जाय, इस बात का ध्यान रखा जाय । मैं इन शब्दों के साथ इसका विरोध करता हूं ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--श्रीमन, मैं व्यवस्था का प्रश्न पेश कर रहा हूं । जब यह संशोधन पेश हुआ तो उपाध्यक्ष महोदय के सामने बात हुई थी और उन्होंने कहा कि सदन चाहेगा तो इस पर बहस होगी । मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस भूमि की व्याख्या से दो चीजें सिद्ध होती हैं । एक तो अच्छी प्रकार की भूमि और दूसरे उसकी सीमा । इस संशोधन पर बहस काफी हो गई लेकिन इसमें सीमा का मामला स्पष्ट नहीं हो रहा है । अच्छी प्रकार की भूमि तो किसी प्रकार मानी जा सकती है लेकिन इस अच्छी प्रकार की भूमि से सीमा का क्या सम्बन्ध होगा यह स्पष्ट नहीं है । इसलिये यह संशोधन असंगत है और इस पर विचार न हो ।

श्री मदनगोपाल वैद्य--मान्यवर, जो आपत्ति उठाई गई है मैं इसका विरोध करता हूँ । जो खंड हमारे सामने विचाराधीन है उसके अन्दर अच्छी प्रकार की भूमि की परिभाषा का प्रश्न है । विधेयक के अन्दर सरकार की तरफ से एक परिभाषा दी गयी थी और मैं उसमें संशोधन करना चाहता हूँ । सरकार की तरफ से अच्छी भूमि वह मानी गई है जिसकी मौरूसी दर ६ रु० प्रति एकड़ हो । मैं यह रखना चाहता हूँ कि अच्छी प्रकार की भूमि वह है जिसको खातेदार स्वयं अपनी जोतों में से जो खेत वह सब से अच्छा समझे उसे चुन ले । यह मेरा संशोधन है और इसमें कोई अवैधानिक बात नहीं प्रतीत होती । इसलिये मैं माननीय ब्रजनारायण तिवारी जी की आपत्ति का विरोध करता हूँ ।

श्री अध्यक्ष--(राजस्व मन्त्री से) आप बोलेंगे ? ।

श्री हुकुमसिंह विसेन--अभी तो प्वाइन्ट आफ आर्डर पर माननीय सदस्य बोलें । मैं तो अन्त में बोलूंगा ।

श्री अध्यक्ष--प्वाइन्ट आफ आर्डर का जवाब तो मैं देता हूँ, उन्होंने तो जवाब नहीं दिया है । वह कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं है । आप संशोधन पर बोलें ।

श्री हुकुमसिंह विसेन--श्रीमन्, श्री मदन गोपाल वैद्य जी की तरमीम मेरी समझ में नहीं आई । अगर यह तरमीम मान ली जाती है तो जैसा और मित्रों ने कहा--मंशा यह है कि केवल ४० एकड़ यूनीफार्म लिमिट होनी चाहिये । लेकिन बदकिस्मती यह है कि हमारे प्रदेश में एक ही किस्म की जमीन नहीं है सब जगह । कई किस्म की जमीनें हैं जैसे गोइंड़, दुमट, बलुई आदि । इसके अलावा ऐसे भी हिस्से हैं जहां की जमीन बहुत ही खराब है और पैदावार की दृष्टि से अच्छी नहीं मानी जाती है । अगर यह संशोधन मान लें तो उसकी मंशा यह होगी कि हर एक खातेदार चाहे, जिस हैसियत की उसकी आराजी हो, जिन नम्बरान को वह चुन ले वही अच्छी प्रकार की भूमि होगी । अगर किसी के पास बालू व ली जमीन है या सब खराब है तो वह ४० एकड़ चुन लेगा, वही अच्छी मानी जायगी चाहे पैदावार कुछ भी

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

न हो। और जिसके पास अच्छी जमीन है वह भी ४० एकड़ जो चुन लेगा वही अच्छी प्रकार की जमीन होगी। तो कितने प्रकार की अच्छी भूमि होगी ? सूबे भर में हर खाते में अच्छी प्रकार की भूमि हो जायगी।....

श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)---जिनके पास ४० एकड़ भूमि जैसी भी आ जायगी वह उनसे तो अच्छे ही रहेंगे जिनके पास बिलकुल भी भूमि नहीं होगी।

श्री हुकुमसिंह विसेन---लेकिन जिनके पास अच्छे किस्म की जमीन होगी उनसे तो नहीं अच्छे रहेंगे। मैं यह कह रहा था इसमें ऐसी विषमता आ जायगी। हमने जो सीलिंग रखी है वह किसी बुनियाद पर या किसी उद्देश्य से रखी है। प्लानिंग कमीशन ने सीलिंग रखने की जो बात कही तो उनका यह भी उद्देश्य है कि हर टेन्योर होल्डर की आमदनी ३,६०० रुपये सालाना से कम न हो। इसी नुक्तेखयाल से यह लाजमी हो गया कि तीन तरह की जो हमारी जमीनें हैं अव्वल, दोयम, और सोयम उनको हम अलग करें और उनको अलग करने में आसानी हमको यह होगी कि जो मौरूसी दर है उसको हम आधार मान लेंगे। हमारी मौरूसी दर ६ रुपया और कुछ आने पड़ती है लिहाजा जो औसत पड़ता है उसे स्टैन्डर्ड मान कर अच्छी जमीन रखी है हमने ६ रुपये वाली। ६ से ४ रुपये तक की मौरूसी दर जिन जमीनों की है वह सेकेंड क्लास की जमीन रहेगी और ४ रुपये से नीचे जिन जमीनों की मौरूसी दर है उनको हम तीसरे दर्जे की जमीन तसव्वर करते हैं। हमारा हिसाब यह है कि एप्राक्सिमेटली ४० एकड़ अव्वल दर्जे की जो जमीन होगी उसकी सालाना इनकम ३,६०० रुपये होगी। इसी तरह से हमारी जो सेकेंड क्लास जमीन है हमारे हिसाब से ६० एकड़ की जो सीलिंग होगी उसमें ३,६०० रुपये सालाना की इनकम हो सकेगी और थर्ड क्लास ८० एकड़ के करीब होगी, उसमें ३,६०० रुपये सालाना इनकम का तख्मीना किया जाता है।

तो आमदनी के खयाल से तय करना है कि कितनी सीलिंग कितनी आराजी की होनी चाहिये। वैद्य जी का संशोधन ऐसा है जो कोई फर्क नहीं रखना चाहता चाहे खराब जमीन हो चाहे अच्छी हो। लेकिन थर्ड क्लास जमीन से ३,६००रुपये की आमदनी नहीं हो सकती। तो इसमें विषमता हो जायगी कि एक आदमी को हम ३,६०० रुपये वाली जमीन दे दें और एक को ऐसी दे दें जिसमें कोशिश और मशक्कत के बाद भी चुहिया भी जाकर रहना पसन्द न करे। यह हम नहीं कर सकते। इस उसूल से काम करना है जिसमें आपस में विषमता पैदा न हो। इसीलिये तीन तरह की आराजी व उसका रकबा तशखीस किया है। अगर ऐसा न किया होता तो फेयर क्वालिटीज लैन्ड की क्या व्यवस्था हुई। दफा ४, ९, तथा १० में जो क्वालिटी आफ लैण्ड की डेफिनीशन है उसकी फिर क्या जरूरत है, अगर वैद्य जी की बात मान ली जाती तो ?

श्री अध्यक्ष---इस विधेयक के लिये उन्होंने डिफ़ाइन नहीं किया। स्वतंत्र डिफ़ाइन किया कि हर एक को अख्तियार होना चाहिये डिफ़ाइन करने का।

श्री हुकुमसिंह विसेन---डेफ़िनीशन के माने तो यह हैं कि चीज ज्यादा स्पष्ट कर दी जाय, न कि यह कि उससे और दिक्कतें पैदा हों। वह कोई व्याख्या नहीं कही जाती। डेफ़िनीशन का तात्पर्य यह है कि जो अल्फ़ाज इस विधेयक में इस्तेमाल किये जायं उनका क्या मतलब है उसको पहले ही हम डेफ़िनीशन क्लाज में साफ़ कर देते हैं।

श्री अध्यक्ष---तो आप इसका विरोध करते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी हां।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (ख) में से "मौरूसी दर...

श्री मदनगोपाल वैद्य---एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी जवाब देने का मौका नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष--जवाब देने के लिये ही तो मैंने आपको इजाजत दी थी।

श्री मदनगोपाल वैद्य--वह तो मैंने प्वाइंट आफ़ आर्डर का जवाब दिया था।

श्री अध्यक्ष--कोई प्वाइंट आफ़ आर्डर नहीं था। मैंने आपको जवाब देने के लिये बुलाया था। आप यह वापस लेना चाहते हैं?

श्री मदनगोपाल वैद्य--जिस प्रकार का प्रस्ताव सरकार की तरफ से प्रस्तुत किया गया है उसमें...

श्री अध्यक्ष--यह तो आप जवाब देने लगे। आप इसे क्या वापस लेते हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन--मैं दरख्वास्त करता हूं कि वापस ले लें तो अच्छा है।

श्री मदनगोपाल वैद्य--मंत्री जी अगर यह निर्धारित कर दें कि अगर किसी जोतदार के पास अच्छी भूमि हो तो उसको अच्छी भूमि जरूर मिलेगी तो मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष--आपको यह डर है कि अगर किसी के पास १०० एकड़ भूमि है तो सरकार उससे अच्छी भूमि ले लेगी और खराब रहने देगी, इसलिये आप यह चाहते हैं?

श्री मदनगोपाल वैद्य--मैं यह चाहता हूं कि प्रथम श्रेणी की जमीन जरूर मिले।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (ख) में से "मौरूसी दर ६ रुपये प्रति एकड़ से अधिक हो" निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर "जिसको खातेदार अपने जोतों में स्वयं नियत रीति से संवरण कर ले" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--जैसी प्रगति हो रही है उस हिसाब से मैं समझता हूं कई ऐसे महत्वपूर्ण संशोधन रह जा सकते हैं जिनके ऊपर विचार भी न हो सके। तो मैं आशा यह करता हूं कि हर संशोधन पर एक ही दो सदस्य भाषण दें और पांच ही पांच मिनट भाषण दें, ज्यादा बोलें भी नहीं, केवल अपने तर्क और कारण रख दें और उसके ऊपर राय ले ली जाय तो ज्यादा अच्छा हो। इससे सभी संशोधन विवाद में आ सकेंगे।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन है कि खंड ३ के उपखंड (ख) की पंक्ति २ में अंक "६" के स्थान पर अंक "४" रख दिया जाय।

इस संशोधन को रखने की मेरी मंशा यह है कि जिस समय यह बिल विधान सभा में पेश हुआ था उस समय सरकार की ओर से अच्छी भूमि की परिभाषा ५ रुपये सर्किल रेट के ऊपर की रखी गयी थी। उसका भी मैंने विरोध किया था। लेकिन प्रवर समिति में जाने के बाद सरकार के द्वारा जो संशोधन मूव किया गया उसके अनुसार यह ५ रुपया से बढ़ा कर ६ रुपये कर दिया गया। मैं इसका भी कोई औचित्य नहीं समझता हूं कि इस रेट को क्यों बढ़ाया गया। मंत्री जी ने सामान्य विवाद के अवसर पर बोलते हुये कहा था कि हमने ६ रुपये इस तरह से रखा कि सर्किल रेट की औसत ६ रुपये आयी। इस वजह से मुनासिब यह समझा कि अच्छे प्रकार की भूमि की परिभाषा में ६ रुपये रखा जाय। मैं नहीं समझ पाया कि मंत्री जी ने या उनके माल विभाग ने सर्किल रेट की औसत किस प्रकार से निकाली।

मान्यवर, जैसा अभी मंत्री जी कह रहे थे कि हमारे प्रदेश में बहुत तरह की जमीन हैं, मैं भी जानता हूं कि हमारे यहां बीसियों किस्म की जमीनें हैं और उनके मुख्तलिफ शरह हैं। एक सर्किल में एक किस्म की जमीन का जो रेट है दूसरे सर्किल में उसी किस्म की जमीन का रेट दूसरा है। इसी तरह से एक किस्म की जमीन का रेट एक गांव में कुछ है और दूसरे गांव में उसी किस्म की

[श्री भीखालाल]

जमीन का रेट दूसरा है। इसके माने यह हैं कि मुख्तलिफ किस्म की जमीनें हैं और मुख्तलिफ किस्म की शरहें हैं। मैं नहीं समझ पाया कि मंत्री जी ने कैसे औसत निकाला। मैं यह भी नहीं समझ सका कि इस औसत के निकालने में उन्होंने जमीन के अनुपात का लिहाज रखा या नहीं। ६ रुपये से ऊपर वाली जमीन का क्या अनुपात है और ६ से ४ रुपये के बीच में जो जमीन रखी गयी है उसका क्या अनुपात है और तीसरे किस्म की जो जमीन है उसका क्या अनुपात है? मैं समझता हूं कि इस बात का लिहाज नहीं रखा गया है। सरकारी विभाग की सूचना के अनुसार मैं समझता हूं कि ६ रुपये से ऊपर वाली जमीन एक चौथाई है और बाकी जमीन तीन चौथाई है। अब मंत्री जी ने क्या औसत रखी है दूसरे और तीसरे ग्रेड की जमीन का?

शरह के बढ़ाने का क्या नतीजा होगा, इसके सम्बन्ध में मैंने सामान्य विवाद में अपने विचार रखे थे। हमारा दृष्टिकोण यह होना चाहिये कि जो विधेयक का उद्देश्य है उसकी पूर्ति कैसे होनी चाहिये। हम जमीन की कैटेगरी ऐसी बनायें जिससे ज्यादा से ज्यादा जमीन मिल सके, ज्यादा से ज्यादा उपज हो सके, बटवारा अच्छी तरह से हो सके और जो विभेद है उसको दूर कर सकें तथा भूमिहीनों को भूमि दे सकें। ऐसा हमारा दृष्टिकोण होना चाहिये। लेकिन सरकार इससे दूसरी दिशा में गई है। ५ रुपये से ६ रुपये बढ़ाने का मतलब हुआ कि जो जमीन हमें पहले मिलने वाली थी वह भी अब नहीं मिलेगी। जिनको पहले हम अच्छे किसान कहते थे अब वह दूसरी श्रेणी के हो गये। इसमें जिसको पहले ४० एकड़ मिलने वाली थी उसको ६० और जिसे ६० एकड़ मिलने वाली थी उसे ८० एकड़ मिलेगी। इसका नतीजा उल्टा हुआ है, इसीलिये हम इसका विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जमीन मिले, भूमिहीनों को जमीन दे सकें, बंटवारा ठीक से हो सके और उपज बढ़ सके, इस दृष्टिकोण को हम चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि जितने (ख) के ऊपर संशोधन हैं वह सब पहले उपस्थित हो जायं, इसके बाद चर्चा की जाय।

***श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह**--श्रीमान् जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (ख) की दूसरी पंक्ति में "६" के स्थान पर "८" रख दिया जाय।

श्रीमान् जी, हमारा संशोधन एक बहुत सीधा-सादा सा है और अभी जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि वह प्लानिंग के सिद्धान्त पर चल रहे हैं और वह ३,६०० रुपया प्रति परिवार की आय निर्धारित करना चाहते हैं। मैं समझना चाहता था कि किस आधार पर वह ६ रुपये का रेट रख कर ३,६०० रुपये की आमदनी पूरी कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जैसा कि हमारे दाहिने, बायें और सामने बैठे हुए सब साहबान ने प्लानिंग कमीशन की दुहाई दी, तो इसमें दर निर्धारित करने के अलावा जितनी प्लानिंग कमीशन की सिफारिशें भी अगर वही मान ली जातीं तब भी हम कहते कि प्लानिंग कमीशन का आदर हो रहा है।

मैं अपने माल मंत्री महोदय से चाहूंगा कि डिबेट खत्म होने के पहले जरा वह समझाएं, जहां तक मेरी बुद्धि में आता है प्लानिंग कमीशन ने मोटे आंकड़ों में जाहिर किया है कि एक एकड़ में ७५ रुपये आमदनी हुआ करती है। अगर हम ७५ रुपये आमदनी मान लें और खुद उन्होंने कहा कि ६ रुपये बाई आने हमारा यहां का औसत सर्किल रेट है, तो ७५ रुपये के हिसाब से अगर ४० एकड़ जमीन मिलती है तो केवल ३ हजार की आमदनी होती है, ३६ सौ किसी प्रकार नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त मैं उनका ध्यान उन्हीं के बनाये हुए बृहत जोत कर विधेयक की ओर ले जाना चाहता हूं। उसमें जो आमदनी जोड़ी गयी है या जो कृषि आय कर में आमदनी जोड़ी गयी है वह मौरूसी दर के साढ़े १२ गुना पर जोड़ी गयी है। उस समय भी कहा गया था कि यह ऐक्चुअल आमदनी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं है, मानी हुई आमदनी है। हम इसमें किसी प्रकार की कमी करने को तैयार नहीं हैं। वृहत जोत कर के हिसाब से या प्लानिंग कमीशन के फ्लैट रेट से लगाया जाय, दोनों में ७५ रुपया आता है और उस हिसाब से जो ४० एकड़ दे रहे हैं, उसकी आमदनी ३ हजार ही होती है। मैं इतना ही कहूंगा कि जो सारे सदन और सरकार की मंशा है कि प्लानिंग कमीशन की सिफारिश मानी जाय उसका पूर्ण रूप से पालन होना चाहिए।

श्रीमन्, क्या मुझे बाद में जवाब देने का अवसर मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष—वह तो हर एक को मिलता ही है। लेकिन दो-दो, तीन-तीन मिनट ही अब समय मिलेगा।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—तो मैं पहले बात सुन लूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करूंगा कि मेरी बात मंत्री जी मान लेंगे।

श्री गेंदासिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे परम मित्र माननीय राजा साहब के इस संशोधन का मैं जितनी ताकत मेरे पास है उसके साथ विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप अपना संशोधन तो उपस्थित कर दें। मैंने कहा कि जितने संशोधन "(ख)" में हैं, वह सब उपस्थित हो जायं। उसके बाद अन्य सदस्य भाषण दे लें।

श्री गेंदासिंह—वह संशोधन श्री गौरीशंकर राय उपस्थित करेंगे।

***श्री गौरीशंकर राय**—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं—

खंड ३ के उपखंड (ख) को निम्न प्रकार से रख दिया जाय—

"अच्छे प्रकार की भूमि का तात्पर्य उस भूमि से है जिसकी औसत उपज प्रति एकड़ प्रति वर्ष सात मन हो।"

श्री अध्यक्ष—यानी सात मन गन्ना ही क्यों न हो ?

श्री गौरीशंकर राय—गल्ला। अध्यक्ष महोदय, सारा यह जो खंड है इसमें प्रश्न यह है विचाराधीन कि जमीन को अच्छा या बुरा कहने का पैमाना क्या होगा। वह पैमाना सर्किल रेट माना गया है जब कि हम देखते यह हैं और जैसा कि उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों ने अभी पहले वाले संशोधन पर कहा है और कई बार इस प्रकार की बात आयी है कि कहीं-कहीं जो बहुत बढ़िया जमीन है उसका सर्किल रेट बहुत कम है और जो घटिया किस्म की जमीन है उसका सर्किल रेट बहुत ज्यादा है। कहीं पुराने जमींदारों के जमाने में कुछ और रेट था और छोटे जमींदारों के यहां कुछ और रेट था। तो यह बड़ा अवैज्ञानिक वर्गीकरण है। इसको मानने के माने यह हैं कि एक अनुमानित चीज मान ली जाय। मैं स्वयं अपनी तरफ के खेतों के बारे में जानता हूं। जो बहुत उपजाऊ इलाके हैं, उनका सर्किल रेट कम है और ऐसे भी बहुत से स्थान हैं जहां जमीन कम उपजाऊ है लेकिन सर्किल रेट ज्यादा है। इसलिए यह एक सही बात है कि यह पैमाना उचित नहीं है। वैसे इसमें सन्देह नहीं कि बड़ा कठिन है कोई मापदंड स्थापित करना। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि भूमि के लिए उसकी पैदावार उसका मापदंड होना चाहिए। अगर कोई सुझाव मेरे सुझाव से अधिक वैज्ञानिक हो तो उसको माना जाय। लेकिन इस समय यही सब से उपयुक्त जान पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह बड़ा वैज्ञानिक मापदंड है, और इसे स्वीकार किया जाय।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जमीन कौन सी अच्छी है कौन सी खराब है, यह निश्चय करना बड़ा कठिन है। मेरे खयाल से जमीन की एक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ब्रजनारायण तिवारी]

कुदरती किस्म होती है और वह है चंवर, चउर और ताध। इसके अलावा कछार भूमि है, और पहाड़ की भूमि है लेकिन पहाड़ की भूमि की चर्चा तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि वहां तो यह सीलिंग लागू ही नहीं है। फिर भी बुन्देलखंड की जमीन और नदियों के कछार की जमीन तथा नदियों के पेटे की जमीन जो कि पानी में डूबी रहती है, इस प्रकार से मैदानी इलाके में भी तीन प्रकार की जमीन है और जो नदियों के किनारे की जमीन है वह भी तीन प्रकार की है। अब इस भूमि का वर्गीकरण कौन अच्छी है, किसको अच्छी माना जाय, किसको खराब माना जाय, यह कैसे किया जाय? यह सही है कि लगान के आधार पर किया गया वर्गीकरण बिलकुल बेबुनियाद है, हालांकि मेरा संशोधन है कि ६ रुपये से ४ रुपया कर दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, इसमें भी एक चोर दरवाजा है। इसके पहले के विधेयक में पांच रुपया रखा गया था मौरूसी दर और जब वह प्रवर समिति के सुपुर्द हुआ तो पांच का छः हो गया। तो अध्यक्ष महोदय, यह ज्यादा वैज्ञानिक होगा क्योंकि अपना भी अनुभव है कि, जो सरकार की तरफ से नियम है, आधार है लगान तय करने का वह है गोइंड़, भांझा और पालव, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि तीन किस्म की जमीन मानते हैं, अच्छे प्रकार की, दूसरे प्रकार की और तीसरे प्रकार की। तो अच्छे प्रकार की उसको मानते हैं जो गांव के नजदीक हो, अब अध्यक्ष महोदय, जहां कहीं भी आदमी जाकर बस जायं, वह गांव के नजदीक हो सकती है और अच्छी जमीन हो सकती है। लेकिन आज के पहले का जो तरीका रहा है वह यही रहा है कि गांव के नजदीक की जमीन को गोइंड़ मान लिया जाय, दूर की जमीन को भांझा और उससे भी दूर की जमीन को पालव मान लिया जाय। अध्यक्ष महोदय, यह वर्गीकरण सही नहीं है। किसी का खेत गोइंड़ है, गांव के नजदीक है, लेकिन पैदावार कम है, फिर भी उसका सर्किल रेट ज्यादा रहेगा, अगर गांव से दूर है और पैदावार ज्यादा है तो भी उसका सर्किल रेट कम रहेगा। इसलिए यह बहुत अवैज्ञानिक है और पैदावार ही एक सही तरीका हो सकता है।

जो संशोधन गौरीशंकर राय जी का है कि कम से कम प्रति एकड़ ७ मन गल्ला जहां पैदा होता हो जिस जमीन में, वह जमीन अच्छी मानी जाय, इसे अगर सरकार मान ले तो कमीशन की जो रिपोर्ट है कि किसी की आमदनी के ऊपर ही आधार माना जाय, वह चीज इसमें आ जाती है।

दूसरी चीज मुझे यह मंत्री जी से कहना है कि मंत्री जी कहते हैं कि हम ३,६०० रु० की एक सीमा मानते हैं। पुराने बिल और इस बिल को देखा जाय तो यह बात समझ में नहीं आती कि इतनी जमीन वह कहां से दे पायेंगे। पहले प्रकार की ४० एकड़, दूसरे प्रकार की ६० एकड़ और तीसरे प्रकार की ८० एकड़ उनको मिलेगी और अगर उसका परिवार ८ आदमियों का हुआ तो २४ एकड़ और मिल जायगी। एक तरह से उनको ६४ एकड़, ९६ एकड़ और १२८ एकड़ होती है। अब देखा जाय कि चोर दरवाजे से उनको और कितनी भूमि मिल जायगी। उस पहले विधेयक के अनुसार जो उनको जमीन मिलती उससे बहुत ज्यादा जमीन इस संशोधित विधेयक के द्वारा अब लोगों को मिल जायगी। ६० वाले को ७५ और ८० वाले को १०८ एकड़ हो गई। इस तरह से यह बढ़ोतरी हो गई और जिसका सर्किल रेट ४ रुपये से कम होगा वह १२८ एकड़ से १६० और १७० एकड़ तक हो जायगी। यह इतनी अधिक जमीन है कि अगर आपको सन्तोष हो तो आप दे सकते हैं।

इसके पहले जिसकी मौरूसी दर ३ रुपया थी, उसको १२८ एकड़ तक जमीन मिल सकती थी। उसका परिवार अगर ८ आदमियों का है तो उसको सवाई और बढ़ा दें। उसमें १/४ और बढ़ जायगा। १२८ एकड़ का हिसाब १६० एकड़ सवाया हो जाता है। इस तरह से यदि सर्किल रेट में इजाफा कर दें कि इतने मौरूसी दर की भूमि इस प्रकार मानी जायगी तो उस आधार पर जो हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति है उसमें यह हिसाब बहुत गलत

साबित होगा। हमारे प्रदेश की जनसंख्या ७ करोड़ के लगभग है और उसमें एक करोड़ या १। करोड़ जनसंख्या ऐसी है जिसके पास नाममात्र को जमीन नहीं है। वह आज तक नहीं जान सके कि जमीन का मालिक होने का क्या अर्थ है। खसरे और खतौनी में उनका नाम भी नहीं है। तो यह उन गरीबों की मन्शा के भी खिलाफ है और जो कारण और उद्देश्य में इसके बतलाया गया है यह उसके भी विरुद्ध है। साथ ही इस कानून की आत्मा के हनन की बात इस तरह से पैदा होती है। इसलिये गौरीशंकर राय जी का जो यह संशोधन है, यह बहुत सीधा साधा है क्योंकि यह उपज के आधार पर है।

एक प्रश्न के जवाब में सरकार की तरफ से यह कहा गया इस सदन के अन्दर कि सरकारी फार्मों की आमदनी ३ पैसा फी एकड़ है। सरकार के पास इतने साधन हैं और वह शक्तिशाली भी है और सब तरह से फार्मों के लिये प्रबन्ध कर सकती है। वह भूमिहीन किसानों की तरह से नहीं है कि कोई सिंचाई आदि का प्रबन्ध न कर सके। तो जब सरकार के आंकड़े यह बताते हैं कि उनको ३ पैसे आमदनी फी एकड़ होती है तो मैं समझता हूं गौरीशंकर राय जी का जो यह संशोधन है कि ७ मन फी एकड़ आमदनी होने वाली जमीन को अच्छी जमीन माना जाय और इस आधार पर सीलिंग की जाय तो मैं समझता हूं यह उचित है और उसको अच्छी भूमि मान लिया जाय।

*श्री गेंदासिंह——श्रीमान्, मैं गौरीशंकर राय जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और राजा साहब के संशोधन का विरोध करता हूं। मैं राजा साहब को बहुत संक्षेप में यह याद दिलाना चाहता हूं कि यहां पर यह दलील दी गई शुरू से आखिर तक कि जो बड़े खातेदार हैं वह अच्छी उपज लेते हैं और जो छोटे खातेदार हैं, वे साधन सम्पन्न नहीं हैं या और कोई कारण हो, वे अच्छी उपज नहीं लेते हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्लानिंग कमीशन ने जो हिसाब लगाया सारे देश भर में तो बड़े खातेदारों को हम अंगुलियों पर गिनने के लिये मजबूर हैं। उंगलियों पर गिनने लायक कहूं तो बुरा नहीं मानना चाहिये और बाकी सारे के सारे छोटे खाते वाले कम उपज वाले हैं। उनकी आमदनी जोड़ कर उन्होंने ७५ रुपये एकड़ का हिसाब लगाया। अगर उन बड़े खातेदारों का अलग जोड़ लगा होता तो वह २०० रुपये फी एकड़ लगा होता। उनको निकाल कर हम हिसाब लगा रहे हैं।

बड़े खातेदार बहुत ही लियाकतमंद हैं, जोत से ज्यादा उपज लेने में उनको ज्यादा जानकारी है और उसका कुछ लाभ छोटे खातेदार सारे देश और प्रदेश के उठा सकें, यह हम चाहते हैं। इस तरह की बात करने से छोटे खातेदारों को भी कुछ जमीन मिल जायगी और दूसरे लोग भी उससे फायदा उठा सकेंगे। इसलिये उनकी ८ रुपये की बात तो मुझे पसंद नहीं आयी। ८ वाली बात मान ली जाय तो यह ठीक है कि उनको कुछ ज्यादा जमीन मिलेगी, लेकिन दूसरों को कम मिलेगी। लेकिन चूंकि हम उनकी लियाकत का लाभ उठाना चाहते हैं इसलिये मैं समझता हूं कि उनके संशोधन को हमें स्वीकार नहीं करना चाहिये। मैं राजा साहब को याद दिलाऊं कि उनकी योग्यता का दूसरे भी लाभ उठा सकें इस कारण उनको चाहिये कि वे अपने संशोधन पर ज्यादा जोर न दें।

बाकी ७ मन की बात के बारे में भी कुछ कह दूं। सारे प्रदेश की एवरेज उपज इसी के इर्द गिर्द है और इसलिये मैं समझता हूं कि इसको मानने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं पड़ेगी। मैं तो समझता हूं कि हमारा संशोधन माननीय मंत्री जी स्वीकार करेंगे और इसको मानने के बाद कोई कठिनाई सामने आने वाली नहीं है। इन बातों को कहते हुए मैं कहना चाहता हूं कि अगर वे हमारे संशोधन को मान लें तो उपज को एक स्थान सारे प्रदेश में मिल जायगा और वे बहुत से झंझटों से बच जायेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री बलदेव सिंह—अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय गौरीशंकर राय जी ने और माननीय भीखालाल जी ने पेश किया है मैं उसका विरोध और माननीय राघवेन्द्र प्रतापसिंह जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय गौरीशंकरराय जी के संशोधन में ७ मन प्रति एकड़ की बात है। प्लानिंग कमीशन ने ७५ रुपया प्रति एकड़ फायदा माना है। तो अगर ७ मन की एकड़ की उपज रह जाय तो न तो दाम ही आ पायेंगे और न उनको फायदा ही होगा। एक एकड़ जमीन के जोतने में सरकार के हिसाब से १५० रुपया एकड़ खर्च होता है, और उसकी पैदावार अगर ७ मन ही रह जाय तो इस सदन में न शायद मैं जिन्दा रहूं और न माननीय गेंदासिंह जी रह पायें। इसलिये यह अव्यावहारिक है। जो संशोधन राजा साहब ने पेश किया है वह प्लानिंग कमीशन के निर्धारित रेट पर है और इसी बेसिस पर दुनिया भर में टैक्सेशन हो रहा है। उसे सरकार ने भी माना है और इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे ८ पो बाले संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें।

*श्री चन्द्रजीत यादव—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक बात के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। यहां जब अच्छे किस्म की जमीन के बारे में उसके लगान की दर क्या हो इस पर विवाद हुआ तो उसमें दोनों ओर से प्लानिंग कमीशन की बात कही गयी और प्लानिंग कमीशन ने एक दूसरी ही महत्वपूर्ण बात इस संबंध में कही है और केवल उसी ने नहीं बल्कि इस सरकार द्वारा नियुक्त एग्रेरियन कमेटी जो थी उसने भी वह बात कही है कि हमारी जो फैमिली की होल्डिंग हो उसकी तीन गुने की ऊपर सीलिंग होनी चाहिये। यह एक सिद्धांत का निरूपण उन्होंने किया था और हमारे यहां इस बात को मानते हैं कि ६ एकड़ के ऊपर फैमिली होल्डिंग होती है। अगर इस बात को माना जाय तो कायदे के साथ १८ एकड़ के ऊपर सीलिंग होनी चाहिये थी। लेकिन सरकार ने उसको न मान कर ४० एकड़ सीलिंग निर्धारित की है। जहां दूसरी बातों की ओर लोगों का ध्यान जाता है उसके साथ ही उनका ध्यान इस ओर भी जाना चाहिये कि प्लानिंग कमीशन ने इन सारी बातों को देख समझ कर भी फैमिली होल्डिंग के तीन गुने की सीलिंग के लिये कहा था। इसलिये इन तमाम बातों को, अपने देश की परिस्थिति को और लोगों के जीवन निर्वाह के साधनों को देखते हुए और सीलिंग का जो उद्देश्य है उसे दिमाग में रखते हुए, प्रोफेसर दलजीत सिंह जी ने, जो न सोशलिस्ट हैं और न कम्युनिस्ट, जो केवल अर्थ शास्त्री हैं, कहा था कि, हमारे सूबे के लिये तो हरगिज १५ एकड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिये थी। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुये मैं समझता हूं कि माननीय भीखालाल जी ने जो संशोधन रखा है वह बहुत उपयुक्त है। माननीय गेंदासिंह जी ने जो कहा है उसको तो सरकार मानने नहीं जा रही है लेकिन इस संशोधन को वह मानने की कृपा करें। ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी के सामने भी जब यह विचार गया तो वहां पर जो लोग थे, जिनका उसमें इन्टरेस्ट निहित था उन्होंने उन पर दबाव डाला, सरकार पर दबाव डाला, और उसके फलस्वरूप सरकार ने जो रेट पहले रखा था, उससे उसको बढ़ा दिया। तो इस तरह से अपने तरीके के मुताबिक, अपने सुझाव के मुताबिक वह झुकी और इसलिये यह रेट तय हुआ। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि सरकार माननीय भीखालाल जी के संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करे।

*श्री लालबहादुर (जिला वाराणसी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय भीखालाल जी, माननीय राजा साहब तथा माननीय गौरीशंकर राय तीनों के संशोधनों का विरोध करता हूं। उनके जो संशोधन हैं उनमें कोई तर्क की बात नहीं है। माननीय गौरीशंकर राय के संशोधन को मैं पहले लेता हूं। मुझे उनके संशोधन में कोई बात भी न्यायसंगत नहीं लगी। उन्होंने जो कहा कि ७ मन प्रति एकड़ के हिसाब से जिसकी उपज हो उस पर यह मापदंड माना जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, आप जानते हैं कि खेतों की जो हालत है वह सब जगह एक-सी नहीं होती। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि जो बहुत अच्छे खेत होते हैं उनमें ७ मन यदि कुछ पैदा होता है तो जो खराब खेत हैं उनमें उससे ज्यादा पैदा हो जाता है और कभी-कभी अच्छे खेतों में कम होता है। अभी पिछले साल जो पानी बरसा, उसके कारण एक ऊसर खेत में जिसमें एक मन भी पैदा नहीं होती थी उसमें करीब ८-१० मन हो गयी। तो यह जो उनका तर्क है वह मेरी समझ में तो आया नहीं कि हर जमीन का एक ही मापदंड कर दिया जाय। माननीय गेंदासिंह जी एक तजुर्बेकार आदमी हैं, खासकर टेनेन्सी ऐक्ट में वह माहिर आदमियों में से हैं, उनको तो इसका समर्थन कभी नहीं करना चाहिये। सीलिंग जो होगी, उसको तो हमने बिल में बिलकुल साफ कर दिया है। जो अच्छी जमीन होगी और जो खराब जमीन होगी, अगर दोनों को एक साथ रख दिया जायगा तो उससे तो बड़ी दिक्कत पैदा होगी।

माननीय भीखालाल जी ने जो संशोधन रखा है उसका तो मुझे कोई अर्थ ही समझ में नहीं आया। राजा जी का भी ऐसा ही संशोधन है। वे कहते हैं ६ की जगह ४ कर दिया जाय, आप कहते हैं ६ की जगह ८ कर दिया जाय, तो जब आपस में ही आप लोगों में फूट है तो माननीय मंत्री जी ने जो ६ कर दिया है वह बिलकुल ठीक है। माननीय मंत्री जी ने इसको ६ मानकर अवश्य जनता का सही प्रतिनिधित्व किया है। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे अपने-अपने संशोधनों को वापस ले लें।

*श्री बंशीधर शुक्ल--श्रीमान् जी, मेरा कहना यह है कि सरकार कुछ विरोधियों की भी बात माने। जमीन कई किस्म की होती है। जिस जमीन में एक पैदावार होती है उसकी एक किस्म है, जिसमें दो पैदावार होती हैं उसकी एक किस्म है और जिसमें तीन पैदावारें होती हैं वह एक किस्म की होती है। अगर इस प्रकार की एक फसली, दो फसली और तीन फसली जमीनों की बिना पर नाप की जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। लगान के अनुसार जमीन की नाप करना गलत है। अगर किसी की जमीन बेदखल हो गई, उसने उसको जमींदार से फिर ली तो उसका लगान बढ़ गया है। श्रीमान्जी, मेरी थोड़ी सी जमीन सत्याग्रह के जमाने में ६ बार बेदखल हुई और उसको हमने फिर लिया, उसका लगान १४-१५ रु० एकड़ हो गया और जो पहले की जमीन है वह दो रुपये एकड़ की है। और दो रुपये एकड़ वाली जमीन ज्यादा अच्छी है, १५ रु० वाली ऊसर है।

श्रीमान् जी, दो एकड़ जमीन से एक आदमी का पेट भर सकता है, वह जमीन चाहे ऊसर हो, ठीक हो, तराई हो, नदी, झील ताल या जंगल हो। इससे ज्यादा अगर जमीन होगी तो उसको मजदूर रखने पड़ेंगे जिसमें खर्चा होगा और उसी के अनुसार पैदावार होगी। श्रीमान्जी, खेती करने वाला साल भर केवल अपना निर्वाह ही कर सकता है, वह मालदार नहीं हो सकता। कुदरत ने जो जमीन दी है उसमें दो एकड़ में एक आदमी का काम चल सकता है। सरकार का यह कहना कि आदमी बहुत बढ़ गये हैं और जमीन कम है यह बिलकुल भ्रामक बातें हैं तो मेरा निवेदन यह है कि एक फसली, दो फसली और तीन फसली जमीनों के आधार पर सर्किल रेट कायम किया जाय तभी जमीन का सुधार हो सकता है और सही-सही हो सकता है। मैं यह भी बतला देना चाहता हूं कि आपको सीलिंग में एक बिस्वा भी जमीन मिलने वाली नहीं है। तिकड़मबाज लोगों ने ऐसे ढंग बनाये हैं कि आप एक बिस्वा भी जमीन नहीं पा सकते। हमारे यहां ३ हजार एकड़ का बिरला फार्म है जो कि सीलिंग में नहीं आता।

एक सदस्य--कोई कविता भी सुनाइये।

श्री बंशीधर शुक्ल--कविता तो यही है कि मैं देख रहा हूं कि आज देश का कौन जिम्मेदार है।

'देश का को है जिम्मेदार.....

श्री अध्यक्ष--मैंने आपको कविता के लिये इजाजत नहीं दी । अब आप कल बोलियेगा ।

(श्री कल्याणचन्द मोहिले के खड़े होने पर) आपको कुछ कहना है ?

श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--जी हां ।

श्री अध्यक्ष--कहिये ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--मैंने आपकी सेवा में एक पत्र सबेरे भेजा था । वह श्री पुरुषोत्तमदास टंडन जी के बारे में था । उनके जन्म दिवस के बारे में आपसे प्रार्थना की थी और यह आशा करता था कि इस सदन के द्वारा उनके जन्म दिवस पर प्रार्थना कर दी जाती तो अच्छा था ।

श्री अध्यक्ष--यह ठीक है, लेकिन वह सदन की प्रथा या नियम में तो आता नहीं है । मैं समझता हूं कि हर आदमी जो सदन का सदस्य होगा वह परमात्मा से अवश्य प्रार्थना करेगा कि पूज्य टन्डन जी चिरायु हों । इसमें कोई मतभेद नहीं है ।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ ;
३ अगस्त, १९६० ।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५४५ पर)

राज्य रोजगार समिति की ८–२–१९६० की बैठक में सामान्य मत यह था कि यद्यपि राज्य की आर्थिक उन्नति के लिये बड़े उद्योग आवश्यक है, फिर भी लघु और कुटीर उद्योग ही रोजगार में अधिक मनुष्यों को लगा सकते हैं। अतः यह आवश्यक है कि हमारी विकास योजनाओं में, राज्य में और विशेषतया ग्रामों में लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना एवं विकास का अधिक से अधिक कार्यक्रम होना चाहिये।ऐसे लघु उद्योगों के विकास पर विशेष जोर दिया जाना चाहिये जिनमें नवीनतम तरीकों का प्रयोग किया जाता हो और जिनमें ज्यादा पूंजी लगाने का प्रश्न न हो और साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि इस प्रकार के उद्योग केवल उपभोक्ता के लिये वस्तुयें न बना कर विशेष रूप से उत्पादकों के लिये सामग्री बनायें जैसा कि जापान में होता है ।

समिति की अन्य मुख्य सिफारिशें निम्नांकित है :

(१) आर्थिक कार्यवाहियों का, विशेषतया कृषि के क्षेत्र में पुनर्नवीकरण आवश्यक है ।

(२) सहकारिता के आधार पर अधिक उत्पादन के लिये कृषकों को उन्नत तरीके के कृषि यंत्र और आधुनिक तरीके का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये ।

(३) प्रदेशीय सरकार को भारत सरकार की भांति सरकारी कार्यालयों में सभी नियुक्तियां सेवा योजन कार्यालयों के द्वारा ही करने की दिशा में शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये ।

(४) विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने और रोजगार के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों को ऐसे विषयों में विशिष्ट प्रशिक्षण देने की व्यवस्था होनी चाहिये जिससे उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता मिल सके ।

(५) सरकार को कुछ प्राविधिक विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिये आवश्यक कदम उठाना चाहिये जो उद्योगपतियों को नवीन कारखानों की स्थापना और वर्तमान स्थापित उद्योगों के विस्तार में उनका मार्ग प्रदर्शन कर सकें। यह इसलिये अत्यन्त आवश्यक है, कि उद्योगपति प्रायः अपनी अनभिज्ञता और उचित अनुभवी परामर्श विशेषतया प्राविधिक तरीकों के अभाव के कारण बहुत बड़ी धनराशि लगाने में संकोच करते हैं ।

(६) औद्योगीकरण के साथ-साथ सामाजिक क्षेत्र में जैसे कि शिक्षा और संगठन की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में जैसे कि (१) श्रमदान योजनाएं, (२) स्थानीय आवश्यकतानुसार सार्वजनिक निर्माण कार्य (३) परिवहन (४) छोटी सिंचाई योजनाओं पर भी अधिक ध्यान देना चाहिये ।

(७) सर्वेक्षण द्वारा ऐसे व्यक्तियों का अनुपात मालूम किया जाना चाहिये— (१) जो सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत नहीं हैं पर वास्तव में बेरोजगार हैं, (२) जो पंजीकृत हैं पर वास्तव में रोजगार में लगे हैं ।

राज्य रोजगार समिति ने इस प्रश्न का सविस्तार अध्ययन करने के लिये एक उप-समिति की स्थापना की है, विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार की सही स्थिति जानने के लिये इस सूचना का होना आवश्यक है ।

(८) जिन क्षेत्रों में सेवा योजन बाजार की सूचना अभी एकत्रित नहीं की जाती है उन स्थानों पर भी राज्य सरकार को इस कार्य को शीघ्र ही आरम्भ करना चाहिये ।

(९) जिन व्यक्तियों के किसी योजना के समाप्त अथवा पूर्ण या और किसी कारण वश निकाले जाने कीस म्भावना हो, उन्हें रोजगार दिये जाने के सम्बन्ध में उचित प्रबन्ध किया जाना चाहिये । एक उपसमिति की स्थापना इस प्रश्न का परीक्षण करने तथा उचित सिफारिशों के लिये की गई थी

(१०) उन सैनिकों के लिये जिनकी नौकरी निकट भविष्य में समाप्त होने की सम्भावना है, रोजगार संबंधी सहायता देने के हेतु राज्य में रिक्त सैनिक कार्यालयों से सम्पर्क स्थापित किया जाना चाहिये । इसके लिये संचालक, प्रशिक्षण एवं नियोजन उचित कार्यवाही करेंगे ।

(११) शिक्षित वर्गों में बेरोजगार बढ़ने के संदर्भ में सम्पूर्ण राज्य में व्यवसाय निर्देशन तथा सेवा योजन परामर्श कार्यक्रमों का प्रयोग सभी स्तरों पर किया जाना चाहिये ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—११६ एल०ए०—१९६०—८४५